रजिस्ट्री सं. डी-(डी एन)—128/90

REGISTERED NO. D—(DN)—128/90

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 14, 1990 (चैत्र 24, 1912)

No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 14, 1990 (CHAITRA 24, 1912)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

भारतीय रिजर्व बैंक

वित्तीय कम्पनी विभाग

केन्द्रीय कार्यालय

कलकत्ता–700001, दिनांक 1 फरवरी 1990

सं० डी० एफ० सी०58/ई० डी० (टी०)–90—भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45 जे०, 45 के० और 45 एल० द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस सम्बन्ध में इसे समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस बात से सन्तुष्ट होने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्द्वारा निदेश देता है कि गैर–बैंकिंग वित्तीय कम्पनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 1977 और विविध गैर–बैंकिंग कम्पनी (रिजर्व बैंक) निदेश 1977 तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित रूप में संशोधित होंगे, अर्थात् :—

1. 1977 के सम्बन्धित निदेशों की प्रथम अनुसूची में —

(क) भाग–1 में

वर्तमान मद 9 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा :—

"उक्त मद 6 में उल्लिखित कुल जमा राशियों में से ऐसी राशियां जो ब्याज मुक्त हैं और जिन पर ब्याज लगाया जाता है (दलाली, यदि कोई हो, को छोड़कर)*

	कूट सं०
(1) ब्याज मुक्त	151
(2) 6 प्रतिशत से कम	I 52

	कूट संख्या
(3) 6 प्रतिशत अथवा उससे अधिक परन्तु 9 प्रतिशत से कम	153
(4) 9 प्रतिशत अथवा उससे अधिक परन्तु 11 प्रतिशत से कम	154
(5) 11 प्रतिशत अथवा उससे अधिक परन्तु 13 प्रतिशत से कम	155
(6) 13 प्रतिशत अथवा उससे अधिक परन्तु 14 प्रतिशत से कम	156
(7) 14 प्रतिशत पर	157
(8) 14 प्रतिशत से अधिक	158

9 के जोड़ से (1 से 8) को उक्त मद संख्या 6 से मिलना चाहिए

(ख) भाग 2 में

(1) वर्तमान मद 2 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा—

	कूट संख्या
"2. विदेशी सरकार अथवा किसी अन्य प्राधिकारी से प्राप्त राशि (नीचे दिया गया नोट 3 भी देखें)	202

(2) वर्तमान मद 4 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा—

	कूट संख्या
"4 किसी अन्य कंपनी जो भारत से बाहर निगमित कंपनी नहीं हो, से प्राप्त राशि	204

(3) नोट 3 में, "विदेशी प्राधिकारी" शब्दों के पश्चात आने वाले 3 से 5 तक की सभी मदें हटा दी जाएंगी ।

(ग) भाग 6 में

मद 1 के स्थान पर निम्नलिखित को रखा जाएगा—

	कूट संख्या
"(1) ऑटोमोबाइल्स	610
(2) ट्रक/लारी/बसें	611
(3) कार/जीप/अन्य हल्के मोटर वाहन	612
(3) दुपहिए/तीन पहिए	613
(4) अन्य	614"

(घ) भाग 7 में

(1) "आस्तियों के मुल्य" शब्दों से पूर्व और तारक निशान (×) के पश्चात् निम्नलिखित के अनुसार एक नोट अत: स्थापित किया जाएगा —

"स्तभ "5 बकाया ऋण" में उदाहरण के अनुसार गणना की गई (हजार) रुपयों में राशियां दर्शायी जानी चाहिए ।"

2. संबंधित निदेश 1977 की दूसरी अनुसूची में

(क) स्तभ 3 में

मद 1 में "बिहार" और "उड़ीसा" के बीच उल्लिखित "और" शब्द तथा "उड़ीसा" और "अरूणाचल प्रदेश" के बीच उल्लिखित "राज्य तथा" शब्दों को हटाकर उक्त हटाए गए शब्दों के स्थान पर (,) लगाते हुए "अरूणाचल प्रदेश" और "मिजोरम" के बीच से (,) हटाते हुए "और" शब्द तथा "मिजोरम" और "और अंदमान एवं निकोबार द्वीप समूह" शब्दों के बीच "राज्य" शब्द शामिल किया जाए और

(ख) स्तभ 3 में

मद 2 में "मध्य प्रदेश" और "महाराष्ट्र" शब्दों के बीच उल्लिखित "और" शब्द को हटाकर उस हटाए गए शब्द के स्थान पर (,) लगाते हुए "महाराष्ट्र" शब्द के पश्चात "और गोवा" शब्द को अत: स्थापित किया जाएगा और "नगर हवेली" और "दमण और दीव" शब्दों के मध्य उल्लिखित "और गोवा" शब्द हटा दिए जायेंगे ।

सी० सी० तारापोर
कार्यपालक निदेशक

भारतीय स्टेट बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

बम्बई, दिनांक 17 मार्च 1990

क्रमांक 11/1990—भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम 1959 की धारा 41 की उप धारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन से भारतीय स्टेट बैंक ने निम्नलिखित

समनुषंगी बैंकों के लिए उनके नाम के आगे लिखी लेखा परीक्षा फर्मों को लेखा-परीक्षक नियुक्त किया है :—

बैंक का नाम	लेखा-परीक्षक का नाम
1	2
स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर	1. मेसर्स ओ० पी० टोटला एण्ड कंपनी चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, 46, शीश विलास पैलेस, राजबाडा, इन्दौर—452004. ।
	2. मेसर्स धामिजा सुखीजा एण्ड कंपनी, चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, 26, होटल मेट्रो, एन—1, कनाट प्लेस, नई दिल्ली—110001 ।
	3. मेसर्स व्यास एंड व्यास, चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, भोला भवन, एम० आई० रोड, जयपुर—302001 ।
	4. मेसर्स के० एम० अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, 36 नेताजी सुभाष मार्ग, दर्यागंज, नई दिल्ली ।
स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1. मेसर्स बंसल सिन्हा एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, 2061/39, नलवा स्ट्रीट, गुरुद्वारा रोड, करोल बाग, नई दिल्ली ।
	2. मेसर्स सुर्यनारायण मुर्ति एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, गांधी नगर, विजयवाडा ।
	3. मेसर्स जगदीश चंद एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, 96, मॉडेल बस्ती, नई दिल्ली ।
	4. मेसर्स बी० त्यागराजन एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, 1, आठवीं स्ट्रीट, गोपालापुरम, मद्रास—600086 ।
स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर	1. मेसर्स एच० गंभीर एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, 4/6, डी० बी० गुप्ता रोड, पहाडगंज, नई दिल्ली ।
	2. मेसर्स एम० मित्तल एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, 13, दर्यागंज, एम्पलॉयमेन्ट एक्सचेंज के पीछे, नई दिल्ली—110002 ।
	3. मेसर्स एस० प्रशाद एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, 2, बरार हाऊस, बाराटूटी, सदर बाजार, नई दिल्ली—110006 ।
स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	1. मेसर्स मनियन एंड राव, चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, 24, रत्ना विलास रोड, बासावनागुडी, बंगलोर—560004 ।
	2. मेसर्स बत्रा सप्रा एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, एफ—14, नाहुर हाऊस, अमर चेंबर अपार्टमेंट्स, कनॉट सर्कस , नई दिल्ली ।
	3. मेसर्स शर्मा गोयल एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, 47, रामनगर, नई दिल्ली ।

1	2
	4. मेसर्स एस० मोहन एंड कंपनी, चार्टर्ड, अकाउण्टेंट्स, जी–47, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली ।
स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1. मेसर्स कुमार शर्मा एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, 20, अन्सारी रोड, दर्यागंज, नई दिल्ली ।
	2. मेसर्स वी० सी० गौतम एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, ड्रीम लैंड होटेल आर–7, दि रिज़ माल, शिमला (एच० पी०) ।
	3. मेसर्स प्रकाश एंड संतोष, चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, विकास मार्केट, 40/5, परेड़, कानपुर–1 ।
	4. मेसर्स बब्बर जिंदल एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, प्रताप स्ट्रीट, गोला मार्केट, गोलचा सिनेमा के पीछे, नई दिल्ली ।
स्टेट बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1. मेसर्स मनुभाई एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, दूसरी मंजिल, परमेश्वर चेंबर्स, विनेश हॉल के सामने, गांधी ब्रिज के पास, अहमदाबाद–380009 ।
	2. मेसर्स मेहता एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, 2337, रामलालजी का रास्ता, जोहरी बजार, जयपुर ।
	3. मेसर्स कोरके एण्ड रावल, चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, 603, मुरलीधर चेंबर्स, 352, जगन्नाथ शंकर शेठ रोड, बंबई–400002 ।
स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	1. मेसर्स नरसिम्हा राव एण्ड एसोसिएट्स, चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स, फ्लैट नं० 3, पहली मंजिल युनिटी हाउस, 5–0–250, अबीद रोड, हैदराबाद–1 ।
	2. मेसर्स शंकर एण्ड मुर्ति, चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स, गांधारी अम्मान कोईल, रुथानचंटी स्ट्रीट, त्रिवेंद्रम–695001 ।
	3. मेसर्स अब्राहम एण्ड जोस, चार्टर्ड एकाउण्टेंट्स, पोस्ट ऑफिस रोड, त्रिशूर–680001 ।
	4. मेसर्स बोरार एण्ड कंपनी, चार्टर्ड अकाउण्टेंट्स, 71, दरियागंज, नई दिल्ली ।

2. ये नियुक्तियां 31 मार्च, 1990 को समाप्त होनेवाली लेखावधि के लिए हैं, और 1 फरवरी, 1990 से 31 जनवरी 1991 तक की एक वर्ष की अवधि के लिए होंगी ।

(ह०) अपठनीय
अध्यक्ष

बंबई, दिनांक 17 मार्च 1990

सं० 12/1990—भारतीय स्टेट बैंक : सहयोगी बैंक : अधिनियम 1959 की धारा 63 की उपधारा (1) के अंतर्गत दिए गए अधिकारो के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक ने स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद कर्मचारी भविष्य निधि विनियमन के विनियम 17 में निम्नलिखित संकलन किया है जो कि भारतीय रिज़र्व बैंक एवं सहयोगी बैंक के निदेशक मंडल द्वारा भी अनुमोदित है ।

उप-विनियम 17(4)

"उप-विनियम (1) में कुछ भी प्रावधान होने के बावजूद, जब उक्त उप-विनियम के अंतर्गत किसी ऐसे सदस्य को कोई राशि देय हो जाती है जिसकी बैंक के प्रति कोई देयता हो, तब ऐसी देयता के अंतर्गत देय राशि (जो किसी भी स्थिति में बैंक द्वारा उसके खाते में किए गए अंशदान की राशि और उस पर लगाए गए ब्याज की राशि से अधिक नहीं होगी) सदस्य को देय राशि से घटाये जाएगी और उसका भुगतान बैंक को किया जाएगा।"

केन्द्रीय निदेशक मंडल के आदेशानुसार

वे० महादेवन
उप प्रबंध निदेशक
(सहयोगी बैंक)

स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर

प्रधान कार्यालय

इन्दौर, दिनांक 29 मार्च 1990

सं० एफ० एण्ड ए०/एस०एच०ए०आर० ई०/6248—एतद्-द्वारा यह सूचित किया जाता है कि स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर के शेयरधारियों का रजिस्टर शेयर अंतरण के लिए दिनांक 21-5-1990 से 18-6-1990 तक (दोनों दिन शामिल) बंद रहेगा ।

निदेशक मंडल के आदेश से,

एम० के० सिन्हा,
प्रबंध निदेशक

केनरा बैंक

कार्मिक प्रबंधन अनुभाग: कार्मिक विभाग

प्रधान कार्यालय

बैंगलूर-2, दिनांक 20 मार्च 1990

सं० पी० डब्लू० पी० एम०/3822/78/एन० एस० बार०—

क्रम सं०	विनियम संख्या	वर्तमान विनियम	विनियम का आशोधित रूपांतर (बोर्ड द्वारा किए गए आशोधन को ध्यान में रखकर)	बोर्ड द्वारा आशोधन अपनाए जाने की तिथि	अभ्युक्तियां
1	2	3	4	5	6
(1)	3(ठ)	"वेतन" का आशय मूल वेतन से है	"वेतन" का आशय गतिरुद्ध वेतनवृद्धि समाहित मूल वेतन से है		
(2)	3(ड)	"कुल वेतन" का आशय मूल वेतन तथा महंगाई भत्ते के योग से है	"कुल वेतन" का आशय वेतन तथा महंगाई भत्ते के योग से है		
(3)	4(1)	श्रेणियां और वेतनमान : 1-2-84 को और उस तारीख से लेकर अधिकारियों की निम्नलिखित चार श्रेणियां होंगी। यहां प्रत्येक श्रेणी के सामने उनके वेतनमान का उल्लेख किया गया है :— (क) उच्च कार्यपालक श्रेणी मान 7— रु० 4100-125-4600 मान 6— रु० 3850-125-4350 (ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी मान 5— रु० 3575-110-3685-115-3800 मान 4—रु० 2925-105-3450 (ग) मध्यम प्रबंधन श्रेणी मान 3—रु० 2650-100-3250 मान 2— रु० 1825-100-2925 (घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी मान 1—रु० 1175-60-1475-70-1895— दक्षतारोध-95-2275-100-2675 बशर्ते सरकार के विनियम-8 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार हर वह अधिकारी, जिसकी नियुक्ति के समय पर यह वेतनमान लागू थे और उसे कथित वेतनमान में रखा गया था तो उसे सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार उक्त कथित वेतन मान में रखा जाएगा।	1-2-84 को और उस तारीख से लेकर अधिकारियों की निम्नलिखित चार श्रेणियां होंगी। यहां प्रत्येक श्रेणी के सामने उनके वेतनमान का उल्लेख किया गया है :— (क) उच्च कार्यपालक श्रेणी मान 7— रु० 4100-125-4600 मान 6— रु० 3850-125-4350 (ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी मान 5— रु० 3575-110-3685-115-3800 मान 4— रु० 2925-105-3450 (ग) मध्यम प्रबंधन श्रेणी मान 3— रु० 2650-100-3250 मान 2— रु० 1825-100-2925 (घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी मान 1— रु० 1175-60-1475-70-1895— दक्षतारोध-95-2275-100-2675 1-11-87 को और उस तारीख से प्रत्येक श्रेणी के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्नवत् होंगे : (क) उच्च कार्यपालक श्रेणी : मान 7— रु० 6400-150-7000		

			मान 6— रु० 5950–150–6550
			(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :
			मान 5— रु० 5350–150–5950
			मान 4— रु० 4520–130–4910–140–5050–150–5350
			(ग) मध्यम प्रबंधन श्रेणी :
			मान—3 रु० 4020–120–4260–130–4910
			मान—2 रु० 3060–120–4260–130–4390
			(घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी :
			मान 1—रु० 2100–120–4020
			बशर्ते सरकार के विनिमय–8 के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार हर वह अधिकारी, जिसकी नियुक्ति के समय पर यह वेतनमान लागू थे और उसे कथित वेतनमान में रखा गया था तो उसे सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार उक्त कथित वेतनमान में रखा जाएगा।
(4)	5(1) वेतनवृद्धि :	विनिमय (4) में उल्लिखित विभिन्न वेतनमानों के लिए वेतनवृद्धि की संस्वीकृति विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा वार्षिक आधार पर दी जाएगी और जिस मास में वह देय होगी उस मास के पहले दिन को मंजूर की जाएगी।	1–11–1987 को और उस तारीख से वेतन वृद्धियां निम्न उप शर्तों के अधीन मंजूरी जाएंगी :—
			विनिमय 4(1) में उल्लिखित विभिन्न वेतनमानों के लिए वेतनवृद्धि की संस्वीकृति विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा वार्षिक आधार पर दी जाएगी और जिस माह में वे देय होगी उस मास के पहले दिन को मंजूर की जाएगी।
		1–1–85 को और उस तारीख से उनके अधिकतम वेतनमान को पहुंचने वाले कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान 1 और मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान 2 और 3 में रहने वाले अधिकारियों को संबंधित मानों में अधिकतम स्तर तक पहुंचने के बाद, समाप्त किए गए हर 5 वर्षों के लिए कुल वेतनवृद्धि के बराबर वाली गतिरुद्ध वेतन वृद्धियां मंजूर की जाएंगी। ये कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान 1 में रहने वाले अधिकारियों को ऐसी 2 अधिकतम वेतन वृद्धियों और मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान 2 और 3 में रहने वाले अधिकारियों के लिए ऐसी 1 वेतनवृद्धि के अधीन है।	(ख) वेतनमान 1 और वेतनमान 2 में अधिकारियों को, अपने–अपने वेतनमानों में अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के 1 वर्ष बाद गतिरुद्ध वेतनवृद्धि (यां) समाहित आगामी वेतनवृद्धियां बाद वाले उच्च वेतनमान में ही मंजूरी जाएगी/जाएंगी जैसे नीचे (ग) में विनिर्दिष्ट किया गया है बशर्ते कि वे दक्षतारोध पार कर गए हों।
			(ग) मध्य प्रबंधन वर्ग वेतनमान 2 और 3 के अधिकतम वेतनमान को पहुंचने वाले ऊपर (ख) में बताए गए अधिकारी समाहित सारे अधिकारी, वेतनमान–II के अंतिम स्तर में अधिकारियों के लिए 130/– रुपए की अधिकतम 2 वेतन वृद्धियों और वेतनमान–3 के अंतिम स्तर में अधिकारियों के लिए 140 रु० की अधिकतम एक वेतनवृद्धि के अधीन, जैसी भी स्थिति हो, वेतनमान 2 या वेतनमान 3 के अंतिम स्तर को पहुंचने के बाद समाप्त किए गए हर तीन सेवा वर्षों के लिए गतिरुद्ध वेतनवृद्धि (यां) आहरित करेंगे।
		संबंधित वेतनमानों में अधिकतम वेतन मान पर 3 वर्षों से ज्यादा सेवाकाल समाप्त करने वाले अधिकारियों के मामले में ऐसी गतिरुद्ध वेतनवृद्धि उसके देय होने की तिथि और 1 जनवरी 1985 में जो भी बाद में आता है तब से प्रभावी होकर मंजूर की जाएगी, लेकिन ऐसी दूसरी वेतनवृद्धि 1 जनवरी 1987 के बाद पात्र होने वालों को मंजूरी जाएगी न कि उससे पहले।	टिप्पण : बाद वाले उच्च वेतनमान में ऐसी वेतनवृद्धियों की मंजूरी पदोन्नति नहीं होगी। ऐसी वेतनवृद्धियां प्राप्त करने के बाद भी अधिकारी जैसी भी स्थिति हो अपने–अपने वास्तविक वेतनमान 1 या वेतनमान–2 की सुविधाएं, परिलब्धियां कर्तव्य, उत्तरदायित्व या पद प्राप्त करते रहेंगे।
(5)	5(2) स्पष्टीकरण II	अधिकतम वेतनमान में अधिकारी के पहुंचने के बाद सी० ए० आई० आई० बी० परीक्षा पास करने को विचार में रखकर कोई वेतनवृद्धि मंजूरी नहीं जाएंगी।	ऐसे अधिकारियों को जो 1–11–1987 को या उस तारीख से वेतनमान में अधिकतम स्तर तक पहुंचेंगे या पहुंच गए हों, और पदोन्नति के अलावा किसी और तरीके से आगे जाने में असमर्थ हैं, सरकारी मार्गदर्शी सिद्धांत कोई हैं तो

1	2	3	4	5	6
		1-2-1984 को और उस तारीख से अपने अपने अधिकतम वेतनमानों में पहुंचने वाले अधिकारियों को अधिकतम वेतनमान में एक वर्ष समाप्त करने के बाद सी० ए० आई० आई० बी० भाग 1 पास करने के लिए प्र० मा० 100 रुपयों का, अधिकतम वेतनमान में 2 वर्ष समाप्त करने के बाद सी० ए० आई० आई० बी० के दोनों भाग पास करने के लिए प्र० मा० 200 रुपयों का व्यावसायिक योग्यता भत्ता मंजूर जाएगा।	उनके अधीन, अतिरिक्त वेतनवृद्धियों के बदले में, सी० ए० आई० आई० बी० परीक्षाएं पास करने के विचार से व्यावसायिक योग्यता भत्ता निम्नवत् मंजूर जाए: सिर्फ सी० ए० आई० आई० बी० का प्रथम भाग पास करने वालों को — एक साल के बाद 100/- रु० प्र० मा० जिसमें से 75/- रु० अधिवार्षिकी लाभ के पात्र होंगे सी० ए०आई० आई० बी० के दोनों भाग पास करने वालों को — 1. एक साल के बाद 100/- रु० प्र० मा० जिनमें से 75/- रु० अधिवार्षिकी लाभ के पात्र होंगे 2. दो सालों के बाद 250/- रु० प्र० मा० जिनमें 200/- रु० अधिवार्षिकी लाभ के पात्र होंगे टिप्पण: व्यावसायिक योग्यता भत्ता प्राप्त करने वाला अधिकारी, यदि अगले उच्चतर वेतनमान को पदोन्नत हुआ है तो उसे ऐसे उच्चतर वेतनमान में निर्धारित करने पर सी० ए० आई० आई० बी० पास करने के लिए अतिरिक्त वेतनवृद्धियां उस हद तक मंजूर जाएंगे जिस हद तक उस वेतनमान में वेतनवृद्धियां उपलब्ध हैं और यदि वेतनमान में कोई वेतनवृद्धियां उपलब्ध नहीं है या वेतनमान में केवल एक वेतनवृद्धि उपलब्ध हैं तो अधिकारी वेतनवृद्धि(यों) के बदले में व्यावसायिक योग्यता भत्ते के लिए पात्र होगा।		
(6)	21 महंगाई भत्ता	1-2-1984 को और उस तारीख से अधिकारी को महंगाई भत्ता देय होगा जब अखिल भारतीय कामगार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 322 (आधार 1960-100) के परे जाए। ऐसे महंगाई भत्ते का निर्धारण की दर, समायोजन की बारंबारता, वह जिसके लिए वह देय होगा और वेतन सहित महंगाई भत्ते की हदबंदी सहित, समय समय पर सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार किया जाएगा। (प्रस्तावित विनियम की दृष्टि में, विनियम 21 के अंतर्गत जारी वर्तमान मार्गदर्शी सिद्धांत उच्छदित हैं)।	1-11-1987 को और उस तारीख से महंगाई भत्ता योजना निम्नवत् होगी : (1) महंगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत कामगार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960-100 के त्रैमासिक औसत में 600 बिन्दुओं पर 4 बिन्दुओं के हर चढ़ाव या उतार के लिए देय होगा। (2) महंगाई भत्ता निम्न दरों के आधार पर देय होगा (1) 1650/- रु० + तक वेतन की 0.67 प्रतिशत (2) 1650/- रु० से अधिक 2835/ रु० + तक वेतन की 0.55 प्रतिशत (3) 2835/- रु० से अधिक 4020/- रु० + तक की वेतन की 0.33 प्रतिशत (4) 4020/-रु० से अधिक वेतन की 0.17 प्रतिशत		

(7) 22 मकान किराया भत्ता

(1) 1-2-1984 को और उस तारीख से, जहां अधिकारी को बैंक द्वारा आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई है वहां उसके वेतनमान के प्रथम चरण का 10 प्रतिशत वेतन या आवास का मानक किराया जो भी कम हो, उससे वसूल किया जाएगा।

(2) 1-2-1984 को और उस तारीख से, अधिकारी को बैंक द्वारा आवास की सुविधा न दिए जाने पर अधिकारी मकान किराया भत्ते के लिए अर्ह होगा। यह राशि उसके द्वारा अपने आवास के लिए अपने वेतनमान के प्रथम चरण के वेतन के 10 प्रतिशत से अधिक दिए गए वास्तविक किराए के बराबर होगी इसकी दर निम्नलिखित के अधीन होगी :

जहां कार्य का स्थान निम्नलिखित स्थान पर है	देय मकान किराया भत्ता
(1) सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार, मंडल द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट "ए" श्रेणी के प्रमुख नगर और ग्रुप "क" में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	मूल वेतन का 17-1/2 प्रतिशत अधिकतम सीमा 500/- रु० प्रति माह
(2) क्षेत्र-1 जो उपर्युक्त मद 1 के अंतर्गत न हो और ग्रुप "ख" में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	मूल वेतन का 15 प्रतिशत अधिकतम सीमा 400/- रु० प्रति माह
(3) क्षेत्र-2 और राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की राजधानियां जो उक्त (1) और (2) के अंतर्गत न आई हों	मूल वेतन का 12-1/2 प्रतिशत अधिकतम सीमा 300/- रु० प्र० माह
(4) क्षेत्र 3	मूल वेतन का 10 प्रतिशत अधिकतम सीमा 250/- रु० प्रति माह

टिप्पण:

मकान किराया भत्ता किराए की रसीद प्रस्तुत किए जाने पर देय होगा। बशर्ते कि अधिकारी प्रमाण पत्र के आधार पर मकान किराए भत्ते का उपर्युक्त दरों पर दावा कर सकता है, जो निम्नलिखित दरों से अधीन न हो:

"ए" श्रेणी के प्रमुख नगर और ग्रुप "क" में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	अधिकतम 275/- रु०
क्षेत्र 1 में अन्य स्थान और ग्रुप "ख" में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	अधिकतम 225/- रु०
क्षेत्र 2 राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों की राजधानियां	अधिकतम 165/- रु०
क्षेत्र 3	110/- रु० (निश्चित)

1-11-1987 को और उस तारीख से, जहां अधिकारी को बैंक द्वारा आवास की सुविधा उपलब्ध कराई गई हैं वहां उसके वेतनमान के प्रथम चरण का 6 प्रतिशत वेतन या आवास का मानक किराया जो भी कम हो, उससे वसूल किया जाएगा।

1-11-1987 को और उस तारीख से, अधिकारी को बैंक द्वारा आवास की सुविधा न दिए जाने पर अधिकारी निम्न दरों पर मकान किराया भत्ते के लिए अर्ह होगा:

जहां कार्य का स्थान निम्नलिखित स्थान पर है	देय मकान किराया भत्ता
(1) सरकार के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार समय समय पर उस प्रकार विनिर्दिष्ट किए गए "ए" श्रेणी के प्रमुख नगर और "क" ग्रुप में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	अधिकतम 375/- रु० के अधीन वेतन की 14 प्रतिशत
(2) क्षेत्र-1 में अन्य स्थान और "ख" ग्रुप में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	अधिकतम 300/- रु० के अधीन वेतन की 12 प्रतिशत
(3) ऊपर (1) और (2) में अप्रवरित क्षेत्र II और राज्य राजधानियां तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की राजधानियां	अधिकतम 250/- रु० के अधीन वेतन की 10 प्रतिशत
(4) क्षेत्र—3	अधिकतम 225/- रु० के अधीन वेतन की 8 प्रतिशत

बशर्ते कि अधिकारी किराया रसीद पेश करता हो, उसको देय मकान किराया भत्ता, प्रथम स्तर में उसे रखे गए वेतनमान में वेतन की 6 प्रतिशत के ऊपर, अपनी आवासीय सुविधा के लिए अधिकारी द्वारा अदा किया गया वास्तविक किराया होगा जो अन्यथा देय अधिकतम मकान किराया भत्ते की 160 प्रतिशत के अधीन है।

1	2	3	4	5	6
	22(3)	यदि अधिकारी का निवास उसके निजी मकान में हो तो उसे उप विनियम 2 में उल्लिखित अनुसार उसी आधार पर मकान किराया भत्ता देय होगा। ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि वह निम्नलिखित (क) अथवा (ख) (जो भी अधिक हो) का बारहवां भाग मासिक किराए के रूप में देता है। क निम्नलिखित का कुल योग: (1) आवास के लिए देय नगर पालिका के कर, एवं (2) भूमि मूल्य सहित आवास की पूंजी लागत का 12 प्रतिशत और यदि आवास भवन का एक हिस्सा हो तो आवास के लिए उपयोग की गई भूमि के मूल्य सहित अनुपातिक पूंजी लागत जिस में वातानुकूलन जैसे विशेष जुड़नारों के मूल्य सम्मिलित नहीं होगा। ख नगरपालिका द्वारा मूल्यांकन करने के लिए निर्धारित आवास का वार्षिक किराया मूल्य। स्पष्टीकरण: (1) इस विनियम के संदर्भ में "मानक किराया" का आशय है— (क) यदि आवास बैंक के स्वामित्व में हो तो सरकार में प्रचलित गणना पद्धति के अनुसार आकलित मानक किराया। (ख) यदि आवास बैंक द्वारा किराए पर लिया गया हो तो बैंक द्वारा देय अनुबंधित किराया।	यदि अधिकारी का निवास उसके निजी मकान में हो तो उसे उप विनियम 2 में उल्लिखित अनुसार उसी आधार पर मकान किराया भत्ता देय होगा। ऐसी स्थिति में यह माना जाएगा कि वह निम्नलिखित (क) अथवा (ख) (जो भी अधिक हो) का बारहवां भाग मासिक किराए के रूप में देता है। क निम्नलिखित का कुल योग: (1) आवास के लिए देय नगर पालिका के कर, एवं (2) भूमि मूल्य सहित आवास की पूंजी लागत का 12 प्रतिशत और यदि आवास भवन का एक हिस्सा हो तो आवास के लिए उपयोग की गई भूमि के मूल्य सहित अनुपातिक पूंजी लागत जिस में वातानुकूलन जैसे विशेष जुड़नारों के मूल्य सम्मिलित नहीं होगा। ख नगरपालिका द्वारा मूल्यांकन करने के लिए निर्धारित आवास का वार्षिक किराया मूल्य। स्पष्टीकरण: (1) इस विनियम के संदर्भ में "मानक किराया" का आशय है— (क) यदि आवास बैंक के स्वामित्व में हो तो सरकार में प्रचलित गणना पद्धति के अनुसार आकलित मानक किराया। (ख) यदि आवास बैंक द्वारा किराए पर लिया गया हो तो बैंक द्वारा देय अनुबंधित किराया।		
(8)	23(1) नगर प्रतिकर भत्ता	20–8–1988 को या उस तारीख से यदि अधिकारी नीचे दी गई तालिका के स्तंभ 1 में उल्लिखित स्थान पर सेवारत हो तो उसे स्तंभ 2 में उल्लिखित दर पर उस स्थान के सामने वर्णित नगर प्रतिकर भत्ता देय होगा।	1–11–1987 को या उस तारीख से यदि अधिकारी नीचे दी गई तालिका के स्तंभ 1 में उल्लिखित स्थान पर सेवारत हो तो उसे स्तंभ 2 में उल्लिखित दर पर उस स्थान के सामने वर्णित नगर प्रतिकर भत्ता देय होगा बशर्ते कि गोवा राज्य में, पणजी और मार्मा गोवा के नगर प्रांतों को छोड़कर जहां यह भत्ता 1–11–1987 से देय नहीं था, वह 20–8–1988 से प्रभावी होकर देय होगा।		

स्थान	दरें
(क) क्षेत्र 1 स्थानों में और गोवा राज्य में	मूल वेतन का 10 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा 200 रु० प्र० मा०
(ख) 5 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान, राज्यों की राजधानियां और चण्डीगढ़, पांडिचेरी और पोर्टब्लेर जिन्हें ऊपर (क) में प्रावरित नहीं किया गया।	मूल वेतन का 6 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा 120 रु० प्र० मा०

स्थान	दरें
(क) क्षेत्र 1 स्थानों में और गोवा राज्य में	मूल वेतन का $6\frac{1}{2}$ प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा 220 रु० प्र० मा०
(ख) 5 लाख और उससे अधिक जनसंख्या वाले स्थान, राज्यों की राजधानियां और चण्डीगढ़, पांडिचेरी और पोर्टब्लेर जिन्हें ऊपर (क) में प्रावरित नहीं किया गया।	मूल वेतन का 4 प्रतिशत जिसकी अधिकतम सीमा 135 रु० प्र० मा०

(9)	23(5) प्रतिनियुक्ति भत्ता/ स्थानापन्न भत्ता	1 फरवरी 1984 को और उस तारीख से यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर सेवा हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह अपने प्रतिनियुक्त पद से संबंधित परिलब्धियां प्राप्त कर सकता है, या वह अपने वेतन के अतिरिक्त, वेतन का 15 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे सभी भत्ते, जो उस स्थान पर नियुक्त होने पर देय हो प्राप्त कर सकता है।	1-11-1987 को और उस तारीख से यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर सेवा हेतु प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह अपने प्रतिनियुक्त पद से संबंधित परिलब्धियां प्राप्त कर सकता है। नही तो, वह अपने वेतन के अतिरिक्त अधिकतम 700/- रुपयों के अधीन वेतन की 12 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे सभी भत्ते, जो उस स्थान पर नियुक्त होने पर देय हो प्राप्त कर सकता है।
		यदि प्रतिनियुक्ति से ठीक पूर्व के नियुक्ति स्थान पर स्थित किसी संस्थान में उसे प्रतिनियुक्त किया गया है तो उसे अपने वेतन के 7-1/2 प्रतिशत सम प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा।	यदि प्रतिनियुक्ति से ठीक पूर्व के नियुक्ति स्थान पर स्थित किसी संस्थान में उसे प्रतिनियुक्त किया गया है तो उसे अधिकतम 350/- रुपयों के अधीन अपने वेतन के 6 प्रतिशत सम प्रतिनियुक्ति भत्ता देय होगा।
		संकाय सदस्य के रूप में बैंक के प्रशिक्षण संस्थान को या बैंकिंग सेवा भर्ती मंडल को प्रतिनियुक्त किया गया अधिकारी अपने वेतन की 7-1/2 प्रतिशत दर पर प्रतिनियुक्ति भत्ते के लिए पात्र होगा। लेकिन बैंकिंग सेवा भर्ती मंडल को प्रतिनियुक्त अधिकारी ऐसे प्रतिनियुक्ति भत्ते के लिए 29 अक्तूबर 1985 से प्रभावी होकर पात्र होगा न कि उसके पहले।	संकाय सदस्य के रूप में बैंक के प्रशिक्षण संस्थान को या बैंकिंग सेवा भर्ती मंडल को प्रतिनियुक्त किया गया अधिकारी अपने वेतन की 6 प्रतिशत दर पर प्रतिनियुक्ति भत्ते के लिए अधिकतम 350/- रुपयों के लिए पात्र होगा।
(23 6		1-1-1985 को या उस तारीख से उच्चतर वेतनमान वाले पद में एक बार 7 दिन से कम न हो ने वाली निरंतर अवधि के लिए या कैलेण्डर महीने के दौरान समुच्चय 7 दिन तक स्थानापन्न करना अपेक्षित है तो जिस अवधि के लिए वह स्थानापन्न करता है उस अवधि के लिए प्रति माह अधिकतम 250/— रुपयों के अधीन अपने वेतन की 10 प्रतिशत समान स्थानापन्न भत्ता प्राप्त करेगा। स्थानापन्न भत्ता भविष्य निधि के लिए वेतन माना जाएगा न कि अन्यों के लिए।	1-11-1987 को या उस तारीख से उच्चतर वेतनमान वाले पद में एक बार 7 दिन से कम न होने वाली निरंतर अवधि के लिए या कैलेण्डर महीने के दौरान समुच्चय 7 दिन तक स्थानापन्न करना अपेक्षित हैं तो जिस अवधि के लिए वह स्थानापन्न करता हैं उस अवधि के लिए प्रति माह अधिकतम 250/- रुपयों के अधीन अपने वेतन की 6 प्रतिशत समान स्थानापन्न भत्ता प्राप्त करेगा। स्थानापन्न भत्ता भविष्य निधि के लिए वेतन माना जाएगा न कि अन्यों के लिए।
		परंतु विनियम 6 के अंतर्गत केवल वर्गीकरण की समीक्षा के परिणामस्वरूप ही यदि कोई अधिकारी उच्चतर श्रेणी में स्थानापन्नित के रूप में कार्य करता है तो उसे वर्गीकरण की समीक्षा प्रभावित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक किसी प्रकार का स्थानापन्न भत्ता देय नहीं होगा।	परंतु विनियम 6 के अंतर्गत केवल वर्गीकरण की समीक्षा के परिणामस्वरूप ही यदि कोई अधिकारी उच्चतर श्रेणी में स्थानापन्नित के रूप में कार्य करता हैं तो उसे वर्गीकरण की समीक्षा प्रभावित होने की तिथि से एक वर्ष की अवधि तक किसी प्रकार का स्थानापन्न भत्ता देय नही होगा।
(10)	23(7) खाता बंदी भत्ता	यदि उसे प्रत्यक्ष रूप से लेखाबन्दी कार्य में संलग्न किया जाता है या ऐसे लेखा बन्दी के कारण अतिरिक्त कार्य करना पड़ता है, तो उसे प्रत्येक अर्ध-वार्षिक लेखा बंदी पर 150/— रु० का लेखा बंदी भत्ता।	1989-90 के वित्त वर्ष को और उस वित्त वर्ष से यदि उसे 31 मार्च और 30 सितम्बर को लेखाबन्दी की जाने वाली शाखाओं में नियुक्त किया जाता हैं तो दिनों लेखाबन्दियो के लिए 150-150 रुपयों का लेखाबन्दी भत्ता।
(11)	23(10)	यदि वह निम्नलिखित तालिका के स्तंभ 1 में उल्लिखित किसी स्थान पर सेवारत है तो उसे स्तंभ 2 में उस स्थान के सामने बताए गए दर पर पहाड़ी क्षेत्र व ईंधन भत्ता देय होगा :—	1-1 -1987 को और उस तारीख से यदि वह निम्नलिखित तालिका के स्तम्भ 1 में उल्लिखित किसी स्थान पर सेवारत हैं तो उसे स्तंभ 2 में बताए गए दर पर पहाड़ी क्षेत्र व ईंधन भत्ता देय होगा :—

1	2	3	4	5	6

1-1-1985 को और उस तारीख से विनियम 23(10) में दी गई तालिका निम्न तालिका से प्रतिस्थापित हो :—

तालिका

स्थान	दर
1	2
मध्यमान समुद्र तल से 1500 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई पर स्थित कार्यालय	वेतन का 10 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 130/- रु० प्र० मा०
मध्यमान समुद्र तल से 1000 मीटर और उससे अधिक ऊँचाई लेकिन 1500 मीटर से कम ऊंचाई पर स्थित कार्यालय	वेतन का 8 प्रतिशत किन्तु अधिकतम 100/- रु० प्र० मा०

तालिका

स्थान	दर
1	2
(1) 1000 मीटर और उससे अधिक लेकिन 1500 मीटरों से कम की ऊंचाई वाले स्थान और मर्केरा शहर	अधिकतम 130/- रु० के अधीन वेतन की 5 प्रतिशत
(2) 1500 मीटर और उससे अधिक लेकिन 3000 मीटरों से कम की ऊंचाई वाले स्थान	अधिकतम 160/- रु० के अधीन वेतन का 6-1/2 प्रतिशत
(3) 3000 और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थान	अधिकतम 600/- रु० के अधीन वेतन का 15 प्रतिशत

नोट:

(क) अधिकारी जिन्हें 750 मीटरों के अन्यून ऊंचाई वाले स्थानों में नियुक्त किया हो और जो स्थान अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ो से घिरे हों और जहां 1000 मीटर या अधिक ऊंचाई पार किए बिना पहुंचा नहीं जा सकता, तब उसे पहाड़ी क्षेत्र और ईंधन भत्ता उसी दर पर देय होगा जो कि 1000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई के केन्द्रों में देय हैं।

(ख) ऊपर के वर्गीकरण द्वारा अप्रावरित किसी भी केन्द्र में संप्रति अदा किया जा रहा पहाड़ी क्षेत्र और ईंधन भत्ता रद्द किया जाता हैं। 1-11-1987 और 30-4-1989 के बीच में दिया जा चुका भत्ता फिर से वसूला नहीं जाएगा।

30 अप्रैल 1989 को या उसके पहले उस केन्द्र में नियुक्त अधिकारियों के मामले में पुराने प्रावधानो के तहत यथा 30-4-89 तक प्रदत्त भत्ते की प्रमात्रा ही मई 1989 से सुरक्षित की जाएगी जब तक कि अधिकारी उसी वेतनमान में उसी केन्द्र में रहते हों।

(12) 24(1) चिकित्सा सहायता

अधिकारी को अपने और अपने परिवार हेतु उसके द्वारा दिए गए वास्तविक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित आधार पर की जाएगी :

(क) चिकित्सा व्यय: 1-1-1985 को और उस तारीख से—

नीचे दी गई तालिका के स्तंभ 1 में उल्लिखित वेतनमान में कार्यरत अधिकारी एवं उसके परिवार के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति स्तंभ 2 में निर्दिष्ट

अधिकारी को अपने और अपने परिवार हेतु उसके द्वारा किए गए वास्तविक चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति निम्नलिखित आधार पर की जाएगी :

(क) चिकित्सा व्यय : 1-11-1987 को और उस तारीख से—

नीचे दी गई तालिका के स्तंभ 1 में उल्लिखित वेतन मान में कार्यरत अधिकारी एवं उसके परिवार के चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति स्तंभ 2 में निर्दिष्ट सीमा के

सीमा के अधीन की जाएगी। यह प्रतिपूर्ति, दावा की गई रकम के लिए लेखा विवरण द्वारा समर्पित, ऐसे व्यय किए जाने के अधिकारी के अपने प्रमाण पत्र के आधार पर की जाएगी :—

तालिका

वेतन सीमा	वार्षिक प्रतिपूर्ति सीमा
रु० 1175/– से रु० 1825/– प्र० मा०	रु० 600/–
रु० 1826/– और अधिक प्र० मा०	रु० 800/–

नोट : इस्तेमाल नहीं की गई चिकित्सा सहायता उस हद तक संचित करने के लिए अधिकारी को अनुमत किया जाए कि कभी भी वह ऊपर दी गई अधिकतम राशि से 3 गुना ज्यादा न हो।

स्पष्टीकरण :

इस उद्देश्य के लिए अधिकारी के परिवार में उसका/की पति/पत्नी पूर्णतया आश्रित बच्चे और पूर्णतया आश्रित माता-पिता ही होंगे।

(ख) चिकित्सालय वास का व्यय

(1) जिन स्थितियों में अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो, अधिकारी के लिए 75 प्रतिशत और उसके परिवार के सदस्यों के लिए 50 प्रतिशत तक चिकित्सालय वास के व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(5) मान्यता प्राप्त अस्पताल प्राधिकारियों और बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित अनुसार घरेलू उपचार आवश्यक होने वाले निम्न रोगों के संदर्भ में 1–1–1987 को और उस तारीख से किए गए चिकित्सा व्यय चिकित्सालय व्यय माने जाएंगे और अधिकारी के मामले में 75 प्रतिशत तक और उसके पारिवारिक सदस्यों के मामले में 50 प्रतिशत प्रतिपूर्तित किए जाएंगे।

कैन्सर, क्षय रोग, लकवा, हृदय रोग, ट्यूमर, चेचक, पलूरेसी, डिफ्थिरिया, कुष्ट, गुरदे का रोग

(13) 25 आवासीय सुविधा

कोई भी अधिकारी हक के रूप में बैंक द्वारा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अर्ह नहीं होगा। फिर भी, अधिकारी द्वारा वेतनमान के प्रथम चरण में जिस वेतन मे उसे रखा गया है उसमें 10 प्रतिशत और आवास के लिए मानक किराए में जो भी कम हो अदा किए जाने पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना बैंक के विवेक पर हैं। किन्त इस प्रकार आवास सुविधा उपलब्ध किए जाने पर विद्यत, पानी, गैस और रखरखाव का व्यय अधिकरी द्वारा उठाया जायेगा।

आधार पर की जाएगी। यह प्रतिपूर्ति, दावा की गई रकम के लिए लेखा विवरण द्वारा समर्पित, ऐसे व्यय किए जाने के अधिकारी के अपने प्रमाण पत्र के आधार पर की जाएगी:—

तालिका

वेतन सीमा	वार्षिक प्रतिपूर्ति सीमा
रु० 2100/– से रु० 3060/– प्र० मा०	रु० 600/–
रु० 3061/– और अधिक प्र० मा०	रु० 800/–

नोट : इस्तेमाल नहीं की गई चिकित्सा सहायता उस हद तक संचित करने के लिए अधिकारी को अनुमत किया जाय कि कभी भी वह ऊपर दी गई अधिकतम राशि से 3 गुना ज्यादा न हो।

स्पष्टीकरण :

इस उद्देश्य के लिए अधिकारी के परिवार में उसका/की पति/पत्नी, पूर्णतया आश्रित बच्चे और पूर्णतया आश्रित माता-पिता ही होंगे।

(ख) चिकित्सालयवास का व्यय

(1) 1–4–1989 को और उस तारीख से, जिन स्थितियों में अस्पताल में भर्ती होना आवश्यक हो, अधिकारी के लिए 90 प्रतिशत और उसके परिवार के सदस्यों के लिए 60 प्रतिशत तक चिकित्सालय वास के व्यय की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(5) मान्यता प्राप्त अस्पताल प्राधिकारियों और बैंक के चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रमाणित अनुसार घरेलू उपचार आवश्यक होने वाले निम्न रोगों के संदर्भ में 1–4–1989 से और उस तारीख से किए गए चिकित्सा व्यय चिकित्सालय व्यय माने जायेंगे और अधिकारी के मामले में 90 प्रतिशत तक और उसके पारिवारिक सदस्यों के मामले में 60 प्रतिशत तक प्रतिपूर्ति किए जाएंगे।

कैन्सर, क्षय रोग, लकवा, हृदय संबंधी रोग, ट्यूमर, चेचक, फूलूरेसी, डिपिथिरिया कुष्ट, गुरदे का रोग।

1–1–1987 को और तारीख से कोई भी अधिकारी हक के रूप में बैंक द्वारा आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अर्ह नहीं होगा। फिर भी, अधिकारी द्वारा वेतनमान के प्रथम चरण में जिस वेतन में उसे रखा गया है उसमें 6 प्रतिशत और आवास के लिए मानक किराए में जो भी कम हो अदा किये जाने पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना बैंक के विवेक पर हैं। बशर्ते कि ऐसे आवास में फर्नीचर उपलब्ध कराया गया है तो बैंक द्वारा अधिकारी के वेतनमान के प्रथम चरण में वेतन की 1½ प्रतिशत की समराशि और वसूली जाएगी। अपरंच इस प्रकार आवास सुविधा प्रदान किए जाने पर विद्युत, पानी, गैस और रखरखाव का व्यय अधिकारी द्वारा उठाया जाएगा।

1	2	3	4	5	6
(14)	34(1) बीमारी छुट्टी	अधिकारी प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए 30 दिनों की बीमारी छुट्टी के लिए पात्र होगा। ऐसी छुट्टी का संचयन 360 दिनों तक किया जा सकेगा और अधिकारी यह छुट्टी बैंक द्वारा स्वीकार्य चिकित्सक के या बैंक के विवेक पर उसकी लागत पर मनोनीत चिकित्सक के प्रमाण पत्र के अधीन प्राप्त कर सकता है।	1-1-1989 को और उस तारीख से अधिकारी प्रत्येक पूर्ण सेवा वर्ष के लिए 30 दिनों की बीमारी छुट्टी के लिए, पूरे सेवाकाल के दौरान अधिकतम 18 महीनों के अधीन पात्र होगा। ऐसी छुट्टी का संचयन पूरे सेवाकाल के दौरान 540 दिनों तक किया जा सकता है और यह छुट्टी बैंक को स्वीकार्य चिकित्सक के या अपनी लागत पर अपने विवेक पर बैंक द्वारा मनोनीत चिकित्सक के प्रमाण पत्र के अधीन प्राप्त की जा सकती है।		
(15)	35 अतिरिक्त बीमा छुट्टी	इस विनियम के लागू होने से ठीक पूर्व बैंक में सेवारत अधिकारी 24 वर्षों का सेवाकाल पूर्ण होने पर अतिरिक्त बीमारी छुट्टी का पात्र होगा (वर्तमान बैंक में अपने सेवाकाल सहित) और ऐसी अतिरिक्त बीमारी छुट्टी के लिए, तब की सेवा शर्तों के अधीन और ऐसी अतिरिक्त बीमारी छुट्टी के संदर्भ में उसके पात्र होने की परिलब्धियों का आभा भाग देय होगा।	1-1-1989 को और उस तारीख से कोई अधिकारी 24 वर्षों का सेवाकाल रखता हो तो, 24 वर्षों से अधिक हर एक सेवा वर्ष के लिए एक महीने की दर पर वह अतिरिक्त बीमारी छुट्टी के लिए पात्र है जो कि अधिकतम तीन महीनों की अतिरिक्त बीमारी छुट्टी के अधीन होगी।		
(16)	41 यात्रा का प्रकार और यात्रा व्यय	अधिकारी द्वारा कार्यवश यात्रा करने की आवश्यकता होने पर निम्न प्रावधान लागू होंगे :—	1-1-1990 को या उस तारीख से अधिकारी द्वारा कार्यवश यात्रा करने की आवश्यकता होने पर निम्न प्रावधान लागू होंगे :—		
		(1) 2925/- रु० और उससे अधिक मासिक वेतन प्राप्त करने वाला अधिकारी रेल द्वारा वातानुकूलित प्रथम श्रेणी में या वायुयान द्वारा यात्रा कर सकता है। वायुयान द्वारा यात्रा करने की स्थिति में बोर्ड के विशेष या सामान्य निर्णय द्वारा अन्यथा प्रावधान नहीं किया गया है तो वह मितव्ययी श्रेणी किराए के लिए ही पात्र होगा।	1. कनिष्ठ प्रबंधन वर्ग स्थित अधिकारी रेलगाड़ी में प्रथम श्रेणी में या वातानुकूल शायिका यात्रा करें लेकिन, वह कार्य की अत्यावश्यकताओं व जनहित को दृष्टि में रखकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यों अनुमत किया गया हो तो वह वायुयान (मितव्ययी श्रेणी) द्वारा यात्रा करें।		
		(2) 2650/- रु० प्र० मा० या उससे अधिक लेकिन 2925 — रु० प्र० मा० से कम वेतन पाने वाला अधिकारी रेल द्वारा प्रथम श्रेणी में यात्रा कर सकता है। फिर भी, यात्रा की दूरी 500 कि० मी० से अधिक है या उसमें रात्री यात्रा सम्मिलित हो तो वातानकलित प्रथम श्रेणी में या सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से विमान द्वारा यात्रा कर सकता है। वायुयान द्वारा यात्रा करने पर वह केवल मितव्ययी श्रेणी के किराये के लिए ही पात्र होगा।	2 मध्यम प्रबंधन वर्ग स्थित अधिकारी रेल गाड़ी में प्रथम श्रेणी में या वातानकूल शायिका में यात्रा करें लेकिन यात्रा की जाने वाली दूरी 500 कि० मी० से अधिक है तो वह वाययान (मितव्ययी श्रेणी) द्वारा यात्रा करें। लेकिन इससे भी कम दूरी के लिए भी कार्य की अत्यावश्यकताओं व जनहित को दृष्टि में रखकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यों अनुमत किया गया है तो वह वायुयान द्वारा यात्रा (मितव्ययी श्रेणी) करें।		
		(3) 2650/- रु० प्र० मा० से कम वेतन प्राप्त करने वाले अधिकारी रेल द्वारा प्रथम श्रेणी में यात्रा कर सकता है। फिर भी, कार्य की अत्यावश्यकता या जनहित को दृष्टि में रखकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा यों अनुमत किया गया है तो वह वायुयान द्वारा भी यात्रा कर सकता है।	3 वरिष्ठ प्रबंधन या ऊच्च कार्यपालक वर्ग स्थित अधिकारी तेलगाडी में प्रथम श्रेणी में या वायुयान (मितव्ययी श्रेणी) में यात्रा करें।		
		(4) 2925/- रु० और उससे अधिक प्र० मा० वेतन प्राप्त करने वाला अधिकारी वायुयान या रेल द्वारा जोड़े न गए स्थानों के बीच में कार में यात्रा कर सकता है बशर्ते की दूरी 500 कि० मी० से ज्यादा न हो। फिर भी दोनों स्थानों के बीच वाली दूरी का अधिक हिस्सा वायुयान या रेल द्वारा ही सफर की जा सकती है तो शेष दूरी आम तौर पर कार द्वारा ही सफर करनी चहिये।	4. वरिष्ठ प्रबंधन या उच्च कार्यपालक वर्ग स्थित अधिकारी वायुयान या रेल द्वारा जोड़े न गए स्थानों के बीच मोटरगाड़ी में यात्रा कर सकता है बशर्ते कि दूरी 500 कि० मी० से अधिक न हो। फिर भी, दोनों स्थानों के बीच वाली दूरी का अधिक हिस्सा वायुयान या रेल द्वारा ही सफर की जा सकती है तो शेष दूरी आम तौर पर कार द्वारा ही सफर करनी चाहिए।		

(17) 42(2) स्थानांतरण यात्रा भत्ता इत्यादि

अधिकारी का स्थानांतरण होने पर माल गाड़ी से उसके सामान की ढुलाई के व्यय की निम्न सीमा तक प्रतिपूर्ति की जाएगी :—

वेतन क्रम	परिवार के होने की दशा में	परिवार के न होने की दशा में
रु० 1175/—प्र० मा० से रु० 1825/—प्र० मा०	3000 किलो	1000 किलो
रु० 1826/—प्र० मा० और उससे अधिक	पूरा डिब्बा	2000 किलो

1—1—1987 को और उस तारीख से अधिकारी का स्थानांतरण होने पर माल गाड़ी में उसके सामान की ढुलाई के व्यय की निम्न सीमा तक प्रतिपूर्ति की जाएगी :—

वेतन क्रम	परिवार के होने की दशा में	परिवार के न होने की दशा में
रु० 2100/—प्र० मा० से रु० 3060/—प्र० मा०	3000 किलो	1000 किलो
रु० 3061/—प्र० मा० और उससे अधिक	पूरा डिब्बा	2000 किलो

(18) 45(2) भविष्य निधि

भविष्य निधि पर समय-समय पर लागू नियमों के अधीन बैंक भविष्य निधि में अंशदान करेगा परन्तु इस अंशदान की राशि, अधिकारी के वेतन के 8-1/3 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।

भविष्य निधि पर समय-समय पर लागू नियमों के अधीन बैंक भविष्य निधि में अंशदान करेगा बशर्ते कि उसके द्वारा दिया गया अंशदान 1—1—1987 को और उस तारीख से 31—12—1988 तक अधिकारी के वेतन की 80 प्रतिशत की 10 प्रतिशत, 1—1—1989 को और उस तारीख से 31—12—1989 तक अधिकारी के वेतन की 90 प्रतिशत की 10 प्रतिशत और 1—1—1990 को और उस तारीख से अधिकारी के वेतन की 10 प्रतिशत से अधिक न हो।

(19) 46(2) उपदान

प्रत्येक अधिकारी को देय उपदान राशि प्रतिपूर्ण सेवा वर्ष के लिए एक मास का वेतन होगी और अधिकतम सीमा 15 मास के वेतन के समतुल्य होगी। बशर्ते सेवा के 30 वर्ष से अधिक वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् अधिकारी पूर्ण किए गये उन अधिक वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए मासिक वेतन के आधे भाग के समतुल्य अधिक सेवा उपदान के रूप में अतिरिक्त राशि देय होगी।

प्रत्येक अधिकारी को देय उपदान राशि प्रतिपूर्ण सेवा वर्ष के लिए 1 मास का वेतन होगी और अधिकतम सीमा 15 मास के वेतन के समतुल्य होगी। बशर्ते सेवा के 30 वर्ष से अधिक वर्ष पूर्ण करने के पश्चात् अधिकारी को पूरे किए गए उन अधिक वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए मासिक वेतन के आधे भाग के समतुल्य अधिक सेवा उपदान के रूप में अतिरिक्त राशि देय होगी।

नोट: पूर्ण सेवा वर्षों के परे सेवा का हिस्सा छः महीने या उससे अधिक है तो उस अवधि के लिए उपदान सममूल्य पर अदा किया जाएगा।

सी० आर० वैद्यीश्वरन,
महा प्रबंधक

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 26 मार्च 1990

सं० बी०-33(13)-8/86-स्था०-4—कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनिचम 10 के साथ पठित कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 55 के अनुसरण में तथा निगम की अधिसूचना सं० बी-33/13/8/82-स्था०-4 दिनांक 21-12-1984 तथा संशोधन दिनांक 31-3-1986 का अतिक्रमण करते हुए कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अध्यक्ष इसके द्वारा कर्नाटक क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय बोर्ड का पुनर्गठन करते हैं जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात् :—

1. समाज कल्याण तथा श्रम मंत्री कर्नाटक सरकार ।	अध्यक्ष
2. सचिव, स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग, कर्नाटक सरकार ।	उपाध्यक्ष
3. श्रम आयुक्त, कर्नाटक सरकार ।	सदस्य
4. निदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा योजना चिकित्सा सेवाएं, राजाजी नगर, बंगलौर ।	कर्मचारी राज्य बीमा योजना के सीधे प्रभारी अधिकारी—पदेन सदस्य
5. उप चिकित्सा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, दक्षिणी जोन, बंगलौर ।	पदेन सदस्य
6. श्री एम० के० पांडुरंग शेट्टी, प्रैसीडेंट, फेडरेशन आफ कर्नाटक चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इन्डस्ट्री, बंगलौर ।	नियोजकों के प्रतिनिधि
7. श्री नारायण शैट्टी निदेशक (कार्मिक) एन० जी० ई० एफ० बायप्पना हल्लि, बंगलौर ।	नियोजकों के अतिरिक्त प्रतिनिधि ।
8. श्री एम० एल० चन्दक, प्रबंध निदेशक वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स लि० डन्डेली, उत्तर कनारा जिला, कर्नाटक	—वही—
9. श्री रामचन्द्र, आर० एस० प्रबंध निदेशक, दावनगेरे काटन मिल्स लि० दावनगेरे, कर्नाटक ।	नियोजकों के अतिरिक्त प्रतिनिधि ।
10. श्री अल्लमपल्ली वेंकटराम, महासचिव, भारतीय मजदूर सभा, सूबेदार चेतरम रोड, बंगलौर ।	कर्मचारियों के प्रतिनिधि
11. श्री सुन्दर मूर्ति सचिव, इन्टक, नवबंर, 26, 11 वीं क्रास, व्यालीकेवल, बंगलौर	कर्मचारियों के अतिरिक्त प्रतिनिधि
12. श्री टी० आई० माधवन, महासचिव, हिन्द मजदूर सभा 6ठा क्रास, एल० एन० कालोनी पहला मेन, यशवन्तपुर, बंगलौर	—वही—
13. श्री एच० महादेवन, एटक अधिकारी, समपिज मार्ग, मल्लेस्वरम बंगलौर ।	—वही—
14. सचिव, कर्नाटक सरकार, समाज कल्याण तथा श्रम विभाग	राज्य के निवासी कर्मचारी राज्य बीमा निगम के सदस्य-पदेन सदस्य
15. क्षेत्रीय निदेशक, कर्मचारी राज्य बीम निगम, कर्नाटक क्षेत्र ।	सदस्य सचिव

श्रीमती कुसुम प्रसाद,
महानिदेशक

श्रम मंत्रालय

केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त का कार्यालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 27 मार्च 1990

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम/89/भाग-I/3108.—जहां अनुसूची-I में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उप-धारा 2(क) के अंतर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंश दान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना की और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची-I

क्षेत्र : आन्ध्र प्रदेश

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना की छूट बढ़ाने के लिए भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की तिथि	अवधि जिसके लिए और छूट दी गई है	के० भ० नि० आ० फा० सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मैसर्स दि एसोसियेटिड सीमेंट कम्पनीज लि० मनचेरियल सीमेंट वर्क्स, जिला अदीलाबाद, आन्ध्र प्रदेश	ए०पी०/239	एस-35014/(388)/82 पी०एफ०II(एस० एस० IV दिनांक 2-9-85	26-11-1988	27-11-88 से 26-11-1991	2/658/82-बी-II डी० एल०आई०
2.	मैसर्स कोरोमण्डल फर्टिलाइजर्स लि०, 1-2-10, सरदार पटेल रोड पी० बी० नं० 1589, सिकन्दराबाद	ए०पी०/2760	एस-35014(168)82/ पी० एफ० II (एस० एस० IV दिनांक 10-6-1985	24-9-1988	25-9-1988 से 24-9-1991	2/506/81-डी० एल० आई०
3.	मैसर्स मार्गदर्शी चिट फण्ड (प्रा०) लि०, सेन्ट्रल कार्यालय मार्ग दर्शी हाउस, एबिड सेन्ज़र, हैदराबाद 500001	ए०पी०/3427	एस०-35014(36)/84-पी० एफ० II (एस एस II (दिनांक 3 3 87)	16-3-1990	17-3-1990 से 16-3-1993	2/1007/84 डी० एल० आई०
4.	मैसर्स मिश्रा धातु निगम लि० पोस्ट कंचन बाग, हैदराबाद-500258, आन्ध्र प्रदेश	ए०पी०/3986	एस 35014(219)85 एस० एस II/दिनांक 14-10-85	13-10-1988	14-10-1988 से 13-10-1991	2/642/82 डी०एल० आई०
5.	(1) मैसर्स इण्डियन एक्स प्रैस (मदुराई) प्रा० लि लोवरटेंक बन्द रोड, दामलगुदा, हैदराबाद।	ए०पी०/5456	एस-35014(102)86/ एस एस II दिनांक 10-3-86	9-3-1989	10-3-89 से 9-3-1992	2/1314/85 डी० एल० आई०
	(2) मैसर्स इण्डियन एक्सप्रैस, (मदुराई) प्रा० लि०, इण्ड-स्ट्रीयल स्टेट, वी० टी० अग्राहम विजया-नगरम-531211 (आ०प्र०)	ए०पी०/5456				
6.	मैसर्स रायलसीमा ग्रामीण बैंक, एच० ओ पी० बी० नं० 65, कुडडप्पा- 516001	ए०पी०/6075	एस-35014(12)/84/ पी० एफ० II (एस एसII दिनांक 24-3-87	2-3-1990	3-3-1990 से 2-3-1993	2/982/83 डी० एल० आई०

1	2	3	4	5	6	7
7.	मैसर्स ओ० एम० सी, कम्प्यूटर लि० 4थां मंजिल, सूर्याटावर्स, 104 एस० पी० रोड, सिकन्दराबाद, (आ० प्र०)	ए पी /12895	एस-35014(192)86/ पी०एफ० II (एस एस II दिनांक 16-7-86	15-7-1989	16-7-1989 से 15-7-1992	2/1383/86 डी० एल० आई०
8.	मैसर्स पीनाकिनी ग्रामीण बैंक, जी० टी० रोड, ए० के० हैगर, पोस्ट: नैलोर-524004	ए०पी०/14126	एस-35014(207)86/ पी०एफ० II (एस एस II) (एस एस II) दिनांक 21-7-86	20-7-1989	21-7-1989 से 20-7-1992	2/1466/86 डी० एल० आई०

अनुसूची—II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा दिया जाएगा।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की अद्यतन संख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसके स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाए जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किए गए किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों की बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/डी. एल. आई/एक्जाम/89/भाग-I/3113.—जहां अनुसूची- में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इससे इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

अतः मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सह

बद्ध बीमा स्कीम 1976 के अन्तर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है। (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इसके साथ संलग्न अनुसूची में उल्लिखित शर्तों के अनुसार मैं, वी. एन. सोम, प्रत्येक उक्त स्थापना को प्रत्येक के सामने उल्लिखित पिछली तारीख से प्रभारी जिस तिथि से उक्त स्थापना को क्षेत्रीय भवष्य निधि आयुक्त आन्ध्र प्रदेश ने स्कीम की धारा 28(7) के अंतर्गत ढील प्रदान की है, 3 वर्ष की अवधि के लिए उक्त स्कीम से संचालन की छूट देता हूं ।

अनुसूची–I

क्षेत्र : आन्ध्र प्रदेश

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	छूट की प्रभावी तिथि	के० स० नि० आ० फा० नं०
1	2	3	4	5
1.	मैसर्स लुथेरन मेडिकल एण्ड कम्युनिटी रत्थ सेन्टर जीवाग्राम, रैनीगुन्टा–517520 प्रचितूर जिला, आ०प्र०	ए पी/3808	1-12-1988	2/2407/90-डी० एल० आई०
2.	मैसर्स तुगभद्रा मशीनरी एण्ड टूल्स लि०, पोस्ट बैग नं० 1, नरसिंहराव पेंट, करनूल -518004, आ० प्र०	ए पी/5819	1-1-1988	2/1945/88-डी० एल० आई०
3.	मैसर्स खैतान टिब्रेवाला टलैक्ट्रीकल लि०, ए-13, को० आप इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, बालानगर, हैदराबाद-500037, (आ० प्र०)	ए पी/6096 ए पी/6096-बी	1-1-1988	2/2409/90-डी० एल० आई
4.	मैसर्स मार्डन्स प्रोडक्ट्स लि०, प्लाट 1-12, करनूल इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, पी० ओ० करनूल, (आ०प्र०)	ए पी/6236	1-12-1988	/2/2408/90-डी० एल०आई०
5.	मैसर्स वेंकटेश्वर स्पिनिंग मिल्वेस, इण्डस्ट्रीयल एस्टेट मदनापल्ली, चित्तूर जिला (आ० प्र०)	ए पी/6790	1-11-1988	2/2414/90-डी० एल० आई०
6.	मैसर्स ओरीयेन्ट सीमेंट, पी० ओ० देवपुरा, सीमेंट वर्क्स, पो०आ० देवपुरा सीमेन्ट 504218 बाया, मानचेरियल (एस०सी० रेलवे) आदिलबाद डिस्ट्रीक्ट, (आ० प्र०)	ए पी/13433	1-3-1988	2/2413/90-डी० एल० आई०
7.	मैसर्स रासी रेफैक्ट्रीस लि०, 8-2-248/1/7/182, रोड नं० 1, बंजाराहिल्स, पुन्जगुट्टा, हैदराबाद-500482	ए पी/17121	1-3-1988	2/2412/90-डी० एल० आई०
8.	मैसर्स नवीन डिजल्स, पी०बा० नं० 1, भाग्य नगर कालोनी, कुड्डाप्पा -517001	ए पी/17169	1-11-1988	2/2411/90-डी० एल० आई०
9.	मैसर्स आई० डी० सी० इलैक्ट्रानिक्स लि०, प्लाट नं० 40-46, पार्ट "एल, आई० डी० ए०, चेरलापल्ली, पी०ओ० हिन्दुस्तान केबल्स लि०, हैदराबाद-500051, (आ० प्र०)	ए पी/18161	1-1-1989	2/2410/90-डी० एल० आई०

अनुसूची–II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात नियोजक कहा गया है) सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भवष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसकी स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायेगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा।

सं. 2/1959/डी. एल. आई./एक्जाम./89/भाग-I/3118.—जहां अनुसूची-। में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है)।

चूंकि मैं, बी. एन. सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किये बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जो कि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है)।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मन्त्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं जैसा कि उनके नाम के सामने दर्शाया गया है।

अनुसूची—

क्षेत्र : कोयम्बटूर

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना की छूट बढ़ाने के लिये भारत सरकार की अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिये छूट दी गई है	क० भ० नि०आ० फाइल नं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० नीडल इन्डस्ट्रीस इंडिया प्रा० लि०, नीडल, इण्डस्ट्रीज पोस्ट— 643243 नीलगिरिस	टी० एन०/854	एस०/35014/290/82—पी० एफ०-II एस० एस०-, दिनांक 21-4-86	31-12-88	1-1-89 से 31-12-92	2/761/82—डी० एल० आई०

1	2	3	4	5	6	
2.	मै० डी० पी० एफ० टेक्सटाइल लि०, पी० बी० नं. 5305 भेट्टपलायेम रोड, जी एन० मिल्स (पी० ओ०) कोयम्बटूर–641029	टी० एन० 1059	एस–35014(255)/85–एस० एस०–IV/ दिनांक 25–11–85	24–11–88	25–11–88 से 24–11–91	2/192/78—डी० एल० आई
3.	मै० सैशासई पेपर एण्ड बोर्ड लि० पालोपलायम कावेरी आर० एस० पी० ओ० इरोड–638007	टी० एन०/4028	एस०–35014/274/83–पी० एफ II एस०एस० II दिनांक 20–10–86	23–12–89	24–12–89 से 23–12–92	2/159/78–डी० एल० आई
4.	मै० दी मद्रास अल्यु मीनियम कं० लि० भूतूरडैम, सलेमि-डिस्ट्रिक्ट	टी० एन० 5324	एउ० 35014/189/85–एस० एस० IV दिनांक 21–8–85	20–8–88	21–8–88 से 20–8–91	2/304/79–डी० एल० आई

अनुसूची—II

1. उक्त स्थापना के संबंध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा **प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अंतरण निरीक्षण प्रभार का** संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक **द्वारा किया जायेगा।**

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक **बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन** किया जाए, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है, तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों की उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किए जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हो जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय है ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय **राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी की उस दशा में संदेय** होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अन्तर के बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्ति-युक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख के भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्ययगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. **नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी** व्यक्तिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

सं 2/1959/डी. एल. आई. एक्जम/89/भाग-I/3123.—जहां अनुसूची-I में उल्लिखित नियोक्ताओं ने (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्थापना कहा गया है) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) की धारा 17 की उपधारा 2(क) के अन्तर्गत छूट के लिए आवेदन किया है (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) ।

चूंकि मैं, बी.एन.सोम, केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, इस बात से संतुष्ट हूं कि उक्त स्थापना के कर्मचारी कोई अलग अंशदान या प्रीमियम की अदायगी किए बिना जीवन बीमा के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम की सामूहिक बीमा स्कीम का लाभ उठा रहे हैं, जोकि ऐसे कर्मचारियों के लिए कर्मचारी निक्षेप सहबद्ध बीमा स्कीम, 1976 के अंतर्गत स्वीकार्य लाभों से अधिक अनुकूल है (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) ।

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा 2 (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा श्रम मन्त्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या तथा तिथि जो प्रत्येक स्थापना के नाम के सामने दर्शायी गयी है, के अनुसरण में तथा संलग्न अनुसूची में निर्धारित शर्तों के रहते हुए मैं, बी. एन. सोम, उक्त स्कीम के सभी उपबन्धों के संचालन से प्रत्येक उक्त स्थापना को और 3 वर्ष की अवधि के लिए छूट प्रदान करता हूं, जैसा कि उनके नाम के सामने दर्शाया गया है ।

अनुसूची–I

क्षेत्र : मदुरै

क्रम सं०	स्थापना का नाम और पता	कोड संख्या	स्थापना को छूट बढ़ाने के लिये भारत सरकार के अधिसूचना की संख्या तथा तिथि	पहले से प्रदान की गई छूट की समाप्ति की तिथि	अवधि जिसके लिये और छूट दी गई	के०भ० नि०आ० फाइल सं०
1	2	3	4	5	6	7
1.	मै० सुन्दाराजा मिल्स रोड, डिन्डीगुल–6	टी० एन०/160	2/1959/डी० एल० आई० एक्जैम्पट/89/पार्टाट/1/545 दिनांक 1–9–89	31–12–89	1–1–90 से 31–12–93	2/2236/89/ डी० एल० आई०
2.	मै० लायल टैक्सटाइल मिल्स लि०, 21/4, भिल स्ट्रीट, कोविलपट्टी– 627701 (तमिलनाडु	टी० एन०/188	एस–35014/(233)/86 एम० एस० II, दिनांक 29–8–86	28–8–88	29–8–89 से 28–8–92	2/1488/86/ सेडी० एल० आई०
3.	मै० दी विजयाकुमार मिल्स लि०, कालयाम-मुथूर–624615, वाया/ पलानी, दक्षिण रेलवे	टी० एन०/274	2/1959/डी० एल० आई एक्सम्प/89/पार्ट/1/545 दिनांक 1–9–89	31–1–90	1–2–90 से 31–1–93	2/2056/89/ डी० एल० आई०
4.	मै० दी० कन्याकुमारी डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव स्पिनिंग मिल्स लि० अलवेमाजही–629301	टी० एन०/5610	एस० 35014/83/83–पी० एफ० II एस० एम० II दिनांक 24–7–87	6–5–89	7–5–89 से 6–5–92	2/872/83/ डी० एल० आई०
5.	मैसर्स स्वामीजी मिल्स लि०, 76, पी० के० एस० स्ट्रीट, सिवाकाशी 626123 (कामराज डिस्ट्रिक्ट)	टी० एन०/6357	एस–35014/306/83–पी० एफ० II एस एस० II, दिनांक 3–12–86	27–1–90	28–1–90 से 27–1–93	2/970/83– डी० एल० आई०
6.	मैसर्स पायनियर स्पिनर्स, कमुदकुडी–623719 परमकुडी, तालुक, रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट	टी० एन०/7707	2/1959/डी० एल० आई एक्जैम्प/89/पार्ट–1/545 दिनांक 1–9–89	31–12–89	1–1–90 से 31–12–93	2/2058/89/ डी० एल० आई०

अनुसूची—II

1. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक (जिसे इसमें इसके पश्चात् नियोजक कहा गया है) संबंधित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, को ऐसी विवरणियां भेजेगा और ऐसे लेखा रखेगा तथा निरीक्षण के लिए ऐसी सुविधाएं प्रदान करेगा जो केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

2. नियोजक, ऐसे निरीक्षण प्रभारों का प्रत्येक मास की समाप्ति के 15 दिन के भीतर संदाय करेगा जो केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (3-क) के खण्ड-क के अधीन समय-समय पर निर्दिष्ट करें ।

3. सामूहिक बीमा स्कीम के प्रशासन में, जिसके अन्तर्गत लेखाओं का रखा जाना, विवरणियों का प्रस्तुत किया जाना, बीमा प्रीमियम का संदाय, लेखाओं का अन्तरण निरीक्षण प्रभार का संदाय आदि भी है, होने वाले सभी व्ययों का वहन नियोजक द्वारा किया जायेगा ।

4. नियोजक, केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित सामूहिक बीमा स्कीम के नियमों की एक प्रति और जब कभी उनमें संशोधन किया जाये, तब उस संशोधन की प्रति तथा कर्मचारियों की बहुसंख्या की भाषा में उसकी मुख्य बातों का अनुवाद स्थापना के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करेगा ।

5. यदि कोई ऐसा कर्मचारी जो कर्मचारी भविष्य निधि का या उक्त अधिनियम के अधीन छूट प्राप्त किसी स्थापना की भविष्य निधि का पहले से ही सदस्य है, उसको स्थापना में नियोजित किया जाता है तो, नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के सदस्य के रूप में उसका नाम तुरन्त दर्ज करेगा और उसकी बाबत आवश्यक प्रीमियम भारतीय जीवन बीमा निगम को संदत्त करेगा ।

6. यदि उक्त स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभ बढ़ाये जाते हैं, तो नियोजक सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन कर्मचारियों को उपलब्ध लाभों में समुचित रूप से वृद्धि किये जाने की व्यवस्था करेगा, जिससे कि कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा स्कीम के अधीन उपलब्ध लाभों से अधिक अनुकूल हों जो उक्त स्कीम के अधीन अनुज्ञेय हैं ।

7. सामूहिक बीमा स्कीम में किसी बात के होते हुए भी यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु पर इस स्कीम के अधीन संदेय राशि उस राशि से कम है जो कर्मचारी को उस दशा में संदेय होती जब वह उक्त स्कीम के अधीन होता तो, नियोजक कर्मचारी के विधिक वारिस/नाम निर्देशितों को प्रतिकर के रूप में दोनों राशियों के अंतर बराबर राशि का संदाय करेगा ।

8. सामूहिक बीमा स्कीम के उपबन्धों में कोई भी संशोधन सम्बन्धित क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जायगा और जहां किसी संशोधन से कर्मचारियों के हित पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो, वहां क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त अपना अनुमोदन देने से पूर्व कर्मचारियों को अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करने का युक्तियुक्त अवसर देगा ।

9. यदि किसी कारणवश स्थापना के कर्मचारी भारतीय जीवन बीमा निगम की उस सामूहिक बीमा स्कीम के, जिसे स्थापना पहले अपना चुकी है अधीन नहीं रह जाता है या इस स्कीम के अधीन कर्मचारियों को प्राप्त होने वाले लाभ किसी रीति से कम हो जाते हैं तो यह रद्द की जा सकती है ।

10. यदि किसी कारणवश नियोजक उस नियत तारीख से भीतर जो भारतीय जीवन बीमा निगम नियत करे, प्रीमियम का संदाय करने में असफल रहता है और पालिसी को व्यपगत हो जाने दिया जाता है तो छूट रद्द की जा सकती है ।

11. नियोजक द्वारा प्रीमियम के संदाय में किये गये किसी व्यतिक्रम की दशा में उन मृत सदस्यों के नाम निर्देशितों या विधिक वारिसों को जो यदि यह छूट न दी गई होती तो उक्त स्कीम के अन्तर्गत होते, बीमा लाभों के संदाय का उत्तरदायित्व नियोजक पर होगा ।

12. उक्त स्थापना के सम्बन्ध में नियोजक इस स्कीम के अधीन आने वाले किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उसके हकदार नाम निर्देशितों/विधिक वारिसों को बीमाकृत राशि का संदाय तत्परता से और प्रत्येक दशा में भारतीय जीवन बीमा निगम से बीमाकृत राशि प्राप्त होने के एक माह के भीतर सुनिश्चित करेगा ।

बी. एन. सोम
केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 1990

सं. पी-11013/1/88-रा.रा.क्षे. यो. बो.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2 2) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, जैसे :—

1. लघु शीर्षक एवं प्रारम्भ :—

(1) इन विनियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अंशदायी भविष्य निधि, 1990 कहा जाए ।

(2) यह विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. परिभाषाएं :

इन विनियमों में जब तक प्रसंग में अन्यथा आवश्यक न हो,

(1) "अधिनियम" का अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) से है;

(2) "लेखा अधिकारी" से अभिप्राय उस अधिकारी से है जिसे अंशदाता की भविष्य निधि लेखा के अनुरक्षा/रख-रखाव का कार्य सौंपा गया है;

(3) "बोर्ड" से अभिप्राय अधिनियम की धारा-3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से है;

(4) "अध्यक्ष" से अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के अध्यक्ष से है;

(5) "परिलब्धियाँ" से अभिप्राय वेतन, अवकाश वेतन या निर्वाह अनुदान से है जैसा कि विनियम में परिभाषित है और इसमें निम्नांकित भी सम्मिलित होगा:

(अ) वेतन के उपयुक्त मंहगाई वेतन, अवकाश वेतन या निर्वाह अनुदान, यदि ग्राह्य हो;

(ब) बोर्ड द्वारा कर्मचारियों को दिया गया कोई भी वेतन जो नियत मासिक वेतन द्वारा न आंका जाए; और

(स) वेतन के स्वरूप कोई भी पारिश्रमिक जो विदेश सेवा के सम्बंध में प्राप्त किया हो;

(5) "परिवार" से अभिप्राय:

(अ) पुरुष जमाकर्ता के मामले में, जमाकर्ता की पत्नी, माता-पिता, बच्चे, नाबालिग भाई, अविवाहित बहनें, और जमाकर्ता के मृतक पुत्र की विधवा तथा बच्चे, तथा जहां जमाकर्ता के माता-पिता जीवित नहीं हैं पैतृक दादा-दादी।

बशर्ते कि—

यदि जमाकर्ता यह सिद्ध कर देता है कि उसकी पत्नी न्यायिक तौर से उससे अलग हो गई है या सम्प्रदाय जिससे वह सम्बंधित है की प्रथा अनुसार निर्वाह भत्ता की पात्रता से वंचित हो गई है, तो उन मामलों के लिये जिनमें यह विनियम लागू होते हैं, उसे जमाकर्ता के परिवार की सदस्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि जमाकर्ता बाद में लेखा अधिकारी को लिखित में सूचित नहीं करता है कि उसे उसके परिवार की सदस्य ही समझा जाए।

(ब) महिला जमाकर्ता के मामले में, उसका पति, माता-पिता, बच्चे, नाबालिग भाई अविवाहित बहनें, उसके मृतक पुत्र की विधवा और बच्चे, और जहां जमाकर्ता के माता-पिता जीवित नहीं हैं, पैतृक दादा-दादी:

बशर्ते कि—

यदि जमाकर्ता लेखा अधिकारी को लिखित नोटिस द्वारा अपने पति को अपने परिवार की सदस्यता से बाहर रखने की इच्छा व्यक्त करती है, तो उसे उन मामलों के लिए जिनमें यह विनियम लागू होते हैं, परिवार का सदस्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि जमाकर्ता बाद में इस प्रकार के नोटिस को लिखित में रद्द नहीं कर देती है;

(7) "निधि" से अभिप्राय अंशदायी भविष्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड) निधि से है;

(8) "अवकाश" से अभिप्राय विनियमों द्वारा मान्य किसी भी प्रकार के अवकाश से है;

(9) "सदस्य सचिव" से अभिप्राय बोर्ड के सदस्य सचिव से है;

(10) "विनियम" से अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अंशदायी निधि विनियम, 1990 से है।

(11) "वर्ष" से अभिप्राय वित्तीय वर्ष से है।

इन विनियमों में प्रयुक्त कोई अन्य अभिव्यक्ति अथवा शब्द जिसे या तो भविष्य निधि अधिनियम 1925 (1925 का नियम 19) या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड विनियमन, 1986 में परिभाषित किया गया हो, को उनमें परिभाषित संदर्भ में ही प्रयुक्त किया जाए।

3. **निधि का गठन**

(1) निधि का रख-रखाव रुपयों में किया जाएगा।

(2) इन विनियमों के अन्तर्गत निधि में जमा की गई सभी राशियां बोर्ड के "अंशदायी भविष्य निधि (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड) लेखा" खाते में जमा की जाएंगी। कोई भी धन राशि जिसका भुगतान इन विनियमों के अन्तर्गत देय होने के बाद 6 महिने के अंदर नहीं लिया जाता है तो उस राशि को उस वर्ष 31 मार्च के बाद "डिपाजिट" में अन्तरित कर दिया जाएगा और उसे सामान्य विनियमों के अन्तर्गत "डिपाजिट" से सम्बंधित माना जाएगा।

4. **पात्रता की शर्तें:**

(1) यह विनियम बोर्ड के प्रत्येक गैर-पैंशन योग्य कर्मचारी पर लागू होंगे।

(2) बोर्ड के प्रत्येक कर्मचारी जिस पर यह विनियम लागू होते हैं इस निधि का अंशदाता होगा।

(3) यदि बोर्ड का कोई कर्मचारी जो इस निधि का सदस्य बना है पहले केन्द्र या राज्य सरकार या किसी संगठन के किसी अन्य अंशदायी भविष्य निधि या अंशदायी भविष्य निधि का सदस्य था, तो अंशदायी भविष्य निधि में उसके अंशदान की राशि तथा सरकार के अंशदान की राशि या अंशदायी भविष्य निधि में उसके अंशदान की राशि, जैसी भी स्थिति हो, उस पर ब्याज सहित, उस सरकार या संगठन की की अनुमति से इस निधि में उसके खाते में अंतरित कर दी जाएगी।

5. नामांकन

(1) प्रत्येक जमाकर्ता अंशदायी भविष्य निधि का सदस्य बनते समय, कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से, लेखा अधिकारी को नामांकन भेजेगा, जिसमें उसकी मृत्यु होने की अवस्था में उस राशि, के देय होने से पहले या देय होने पर भुगतान न की गई हो, जो उसके भविष्य निधि खाते में जमा है, को एक से अधिक व्यक्तियों को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करेगा।

बशर्ते कि—

यदि नामांकन करते समय जमाकर्ता का परिवार हो, तो नामांकन उसके परिवार के सदस्य के सिवा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में नहीं होगा।

परन्तु यह भी कि—

यदि जमाकर्ता इस निधि का सदस्य बनने से पूर्व किसी अन्य भविष्य निधि में अंशदान कर रहा था और उस निधि में उसके जमा धन को इस भविष्य निधि में अन्तरित कर दिया गया है तो उस निधि के लिये किया गया नामांकन इस विनियम के लिये किया गया नामांकन समझा जाएगा जब तक कि वह इस विनियम के अनुसार नामांकन नहीं देता है ।

(2) यदि जमाकर्ता उप-विनियम (1) के अंतर्गत एक से अधिक व्यक्तियों को नामित करता है तो उसे प्रत्येक नामजद को देय राशि या भाग इस तरह स्पष्ट करना होगा जिससे उसके भविष्य निधि खाते में जमा राशि किसी भी समय पूरी-पूरी बंट जाए ।

(3) प्रत्येक नामांकन प्रथम अनुसूची में दिए गए फार्म में किया जाएगा ।

(4) जमाकर्ता किसी भी समय लेखा अधिकारी को लिखित नोटिस भेजकर अपने नामांकन को रद्द कर सकता है। जमाकर्ता को ऐसे नोटिस के साथ या अलग से इस विनियम के उपबंधों के अनुसार नया नामांकन भेजना होगा ।

(5) जमाकर्ता नामांकन पत्र में निम्नलिखित उल्लेख कर सकता है—

(अ) किसी विशिष्ट नामजद के सम्बन्ध में, कि जमाकर्ता की मृत्यु से पूर्व नामजद की मृत्यु होने पर उसको दिया गया अधिकार नामांकन में उल्लिखित ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को चला जाएगा, बशर्ते कि ऐसा अन्य व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जमाकर्ता के परिवार के अन्य सदस्य होंगे, यदि जमाकर्ता के परिवार में अन्य सदस्य हों जमाकर्ता जहां ऐसा अधिकार इस खंड के अंतर्गत एक से अधिक व्यक्तियों को देता है, तो वह प्रत्येक व्यक्ति को देय राशि का भाग इस तरह से विनिर्दिष्ट करेगा कि नामजद को दी जाने वाली राशि पूरी उनमें बंट जाए ।

(ब) कि नामांकन, उसमें विनिर्दिष्ट किसी घटना के घटित होने की स्थिति में अवैध हो जाएगा :

बशर्ते कि—

यदि नामांकन करते समय जमाकर्ता का परिवार न हो तो वह नामांकन में उल्लेख करेगा कि बाद में उसके परिवार के हो जाने पर वह नामांकन अवैध माना जाएगा ।

परन्तु यह भी कि—

यदि नामांकन करते समय जमाकर्ता के परिवार में एक ही सदस्य है तो नामांकन पत्र में यह उल्लेख करना होगा कि खण्ड (अ) के अन्तर्गत दूसरे नामजद को दिया गया अधिकार बाद में उसके परिवार के सदस्य या सदस्यों के हो जाने पर अवैध हो जाएगा ।

(6) किसी नामजद, जिसके बारे में उप-विनियम-5 के खंड-(अ) के अंतर्गत नामांकन में कोई विशेष उपबंध नहीं किया गया हो, कि मृत्यु के तुरन्त बाद या किसी घटना के घटने पर जिसके कारण उप-विनियम-5 के खंड-(ब) या उसके उपबंधों के अनुसरण में नामांकन अवैध हो जाता है, तो जमाकर्ता लेखा अधिकारी को नामांकन को रद्द करने के लिए लिखित नोटिस, इस विनियम के उपबंधों के अनुसरण में, नए किए गए नामांकन सहित, भेजेगा ।

(7) जमाकर्ता द्वारा किया गया प्रत्येक नामांकन और दिया गया प्रत्येक रद्दकरण नोटिस, जब तक यह वैध रहेगा, उसी दिन से प्रभावशाली होगा जिस दिन वह लेखा अधिकारी को प्राप्त होगा ।

6. जमाकर्ता का खाता

प्रत्येक जमाकर्ता के नाम से एक लेखा खोला जाएगा, जिसमें निम्न विवरण दिया जाएगा ।

(1) जमाकर्ता का अंशदान ;

(2) विनियम-11 के अंतर्गत बोर्ड द्वारा उसके खाते में किया गया अंशदान;

(3) विनियम-12 के अनुसार जमाकर्ता द्वारा जमा राशि पर ब्याज;

(4) विनियम-12 में उल्लिखितानुसार बोर्ड द्वारा दिए गए अंशदान पर ब्याज;

(5) निधि से लिया गया अग्रिम तथा धन निकासी आदि।

अंशदान की शर्तें एवं दर

7. अंशदान की शर्तें :

(1) जमाकर्ता जब ड्यूटी पर हो या विदेश सेवा में हो, निधि में प्रतिमास जमा करेगा, किन्तु निलंबन की अवधि में नहीं। यदि जमाकर्ता निलंबन अवधि की समाप्ति पर बहाल हो जाता है तो उसे यह विकल्प दिया जाएगा कि वह उस राशि, जो उस अवधि (निलंबन अवधि) के लिए देय बकाया अंशदान की राशि से अधिक न हो, को एक मुश्त जमा करे या किस्तों में ।

(2) जमाकर्ता अपनी इच्छानुसार अपनी छुट्टी की अवधि के दौरान जिसमें किसी प्रकार का अवकाश वेतन प्राप्य न हो या अवकाश वेतन, अर्ध-वेतन या अर्ध औसत वेतन के बराबर या उससे कम, प्राप्य हो, जमा न करे ।

(3) जमाकर्ता को आवकाश पर जाने से पहले उप-विनियम (2) में उल्लिखित अवकाश के दौरान निधि में जमा न करने के अपने चुनाव को निम्नानुसार सूचित करना होगा ।

(अ) यदि वह अपने वेतन बिलों का स्वयं आहरण अधिकारी है, तो अवकाश पर जाने के बाद उसके प्रथम वेतन बिल से अंशदान की कटौती न करके;

(ब) यदि वह अपने वेतन बिलों का स्वयं आहरण अधिकारी नहीं है, तो अवकाश पर जाने से पहले अपने कार्यालय अध्यक्ष को लिखित सूचना द्वारा

उचित रूप से व समय पर सूचना न भेजने पर यह समझा जाएगा कि जमाकर्ता जमा करना चाहता है ।

जमाकर्ता द्वारा इस उप-विनियम के अन्तर्गत दिए गए विकल्प की सूचना अन्तिम होगी ।

(4) जमाकर्ता जिसने विनियम-20 के अंतर्गत अभिदान की राशि और उस पर ब्याज की राशि वापस ले ली हो, तो वह ऐसी निकासी के बाद, जब तक कि वह कार्य पर वापस नहीं आ जाता है, निधि में जमा नहीं करेगा ।

(5) उप-विनियम-1 में बताई गई बात के होने पर भी जमाकर्ता उस मास में निधि में जमा नहीं करेगा जिसमें वह नौकरी छोड़ेगा, जब तक कि वह उक्त मास के प्रारम्भ से पहले सदस्य सचिव को उस मास के लिए अंशदान करने का अपना लिखित विकल्प नहीं भेजता है ।

8. अंशदान की दर :

(1) जमाकर्ता द्वारा अंशदान की राशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वयं नियत की जाएगी :

(अ) इसको पूर्ण रुपयों में ही लिखा जाएगा;

(ब) दर्शाई गई कोई भी राशि जमाकर्ता की परिलब्धियों के 8.33 प्रतिशत से कम और कुल परिलब्धियों से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

(2) उपर्युक्त उप-विनियम (1) के प्रयोजन के लिए जमाकर्ता की परिलब्धियां निम्नलिखित होंगी :

(अ) उस जमाकर्ता के मामले में तो पिछले वर्ष की 31 मार्च को बोर्ड की सेवा में था, वह परिलब्धियां जिनका वह उस तारीख को पात्र था;

बशर्ते कि—

(1) यदि जमाकर्ता उक्त तारीख को अवकाश पर था और इस अवकाश के दौरान अंशदान न करने को चुना था या उक्त तारख को निलंबित था, तो उसकी परिलब्धियां वह परिलब्धियां होंगी जिनका वह ड्यूटी पर वापस आने के पहले दिन पात्र था;

(2) यदि जमाकर्ता उक्त तारीख को भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर था या उस तारीख को छुट्टी पर था और छुट्टी पर ही चल रहा हो और ऐसी छुट्टी के दौरान उसने अंशदान करने को चुना हो, तो उसकी परिलब्धियां वह परिलब्धियां होंगी जिनका वह, यदि भारत में ही कार्यरत रहता, का पात्र होता;

(3) यदि जमाकर्ता उक्त तारीख के बाद प्रथम बार निधि का सदस्य बना है, तो उसकी परिलब्धियां वह परिलब्धियां होंगी जिनका वह ऐसी बाद की तारीख को पात्र था ।

(ब) ऐसे जमाकर्ता के मामले में जो गत-वर्ष की 31 मार्च बोर्ड की सेवा में नहीं था, वह परिलब्धियां जिनका वह नौकरी के प्रथम दिन पात्र था या यदि वह नौकरी के प्रथम दिन के बाद पहली बार निधि का सदस्य बना है, तो वह परिलब्धियां जिनका वह ऐसी बाद की तारीख को पात्र था;

परन्तु—

यदि जमाकर्ता की परिलब्धियां घटती-बढ़ती प्रकृति की हैं तो उनका हिसाब इस तरह से लगाया जाएगा जिस तरह से अध्यक्ष निर्देश देंगे ।

(3) जमाकर्ता प्रत्येक वर्ष निम्न प्रकार से अपने मासिक अंशदान की राशि नियत करने की सूचना देगा :—

(अ) यदि वह गत-वर्ष की 31 मार्च के ड्यूटी पर था तो उस कटौती द्वारा जो वह इस संबंध में अपने वेतन बिल से उस महीने के लिए करवाना चाहता है;

(ब) यदि वह गत-वर्ष की 31 मार्च को अवकाश पर था और ऐसे अवकाश के दौरान अंशदान न करने को चुना हो या उस दिन निलम्बित था, तो उस कटौती द्वारा जो वह इस संबंध में ड्यूटी पर लौटने पर अपने प्रथम वेतन बिल से करवाना चाहता है;

(स) यदि वह, वर्ष के दौरान बोर्ड की सेवा में पहली बार आया है, तो उस कटौती द्वारा जो वह इस संबंध में, अपने उस महीने के वेतन बिल से जिस महीने वह इस निधि का सदस्य बना है, करवाना चाहता है;

(द) यदि गत-वर्ष की 31 मार्च को वह छुट्टी पर था और अब भी छुट्टी पर चल रहा हो और ऐसी छुट्टी के दौरान अंशदान करने को चुना हो तो उस कटौती द्वारा जो वह इस संबंध में उस महीने के वेतन से करवाना चाहता है;

(य) यदि वह गत-वर्ष की 31 मार्च को विदेश सेवा में था तो उस राशि द्वारा जो उसने चालू वर्ष के अप्रैल मास के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड निधि में अंशदान के कारण जमा की हो;

(र) यदि उसकी परिलब्धियां उप-विनियम (2) के उपबंध में दी गई प्रकृति की हैं तो उस प्रकार से जैसा कि अध्यक्ष आदेश दें ।

(4) इस प्रकार से नियत की गई अंशदान की राशि—

(अ) एक वर्ष के दौरान किसी भी समय एक बार ही घटाई जाए;

(ब) एक वर्ष के दौरान दो बार ही बढ़ाई जाए;

या

पूर्वोक्तानुसार घटाई-बढ़ाई जाए; किन्तु इस प्रकार घटाई गई अंशदान की राशि उप-विनियम (1) में निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होगी ।

बशर्ते कि :—

यदि जमाकर्ता कलैंडर मास के दौरान अंशत: ड्यूटी पर हो और अंशत: बिना वेतन अवकाश या अर्ध-वेतन अवकाश या अर्ध औसत वेतन अवकाश पर हो तथा ऐसे अवकाश के दौरान अंशदान न करने को चुना हो तो अंशदान की राशि उपरोक्त के अलावा यदि कोई हो, अवकाश सहित ड्यूटी के दिनों के औसत के समानुपातिक होगी ।

9. विदेश सेवा पर स्थानान्तरण या भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति :

जब कोई जमाकर्ता विदेश सेवा में स्थानान्तरित हो जाता है या प्रतिनियुक्ति पर भारत से बाहर भेजा जाता है तब भी भविष्य निधि के विनियम उस पर उसी तरह लागू होंगे, मानो उसे विदेश सेवा पर स्थानान्तरित नहीं किया जाता या प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जाता ।

10. अंशदान की वसूली :

(1) जब परिलब्धियां बोर्ड की निधि से भारत में या भारत से बाहर किसी प्राधिकृत संवितरण कार्यालय से ली जा रही हों तो अंशदान तथा अग्रिमों के मूल-धन व ब्याज की वसूली जमाकर्ता की परिलब्धियों से ही जाएगी।

(2) जब परिलब्धियों किसी अन्य स्रोत से ली जा रही हों, तो जमाकर्ता अपनी देय राशि प्रतिमाह लेखा अधिकारी को भेजेगा ।

परन्तु :—

यदि जमाकर्ता केन्द्रीय/राज्य सरकार या किसी निकाय जो केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित है, में प्रतिनियुक्ति पर है, उसके मामले में अंशदान की वसूली व उसका लेखा अधिकारी को अग्रप्रेषण उस सरकार या निकाय द्वारा किया जाएगा ।

11. बोर्ड द्वारा अंशदान :

(1) बोर्ड प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च को प्रत्येक जमाकर्ता के खाते में अंशदान करेगा :

परन्तु—

यदि जमाकर्ता वर्ष के दौरान नौकरी छोड़ देता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो गत-वर्ष की समाप्ति और उसकी मृत्यु की तारीख के बीच की अवधि के लिए अंशदान उसके खाते में जमा किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि—

उस अवधि, जिसके लिए जमाकर्ता को विनियमों के अन्तर्गत निधि में जमा करने की अनुमति नहीं दी गई हो अथवा जमा न किया हो, के लिए अंशदान देय नहीं होगा ।

(2) बोर्ड द्वारा अंशदान, जमाकर्ता द्वारा ड्यूटी पर वर्ष के दौरान या अवधि में, जैसी भी स्थिति हो, ली गई परिलब्धियों का ऐसी प्रतिशत दर होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए सामान्य या विशेष आदेश द्वारा निर्धारित की गई हो या की जाए ।

परन्तु—

यदि भूल से अथवा अन्यथा जमाकर्ता द्वारा जमा किया गया अंशदान विनियम-8 के उप-विनियम (1) के अन्तर्गत देय न्यूनतम अंशदान की राशि से कम है और यदि कम दिये गए अंशदान की राशि उस पर ब्याज सहित जमाकर्ता द्वारा उस अवधि जो विनियम-13 के उप-विनियम (2) के अन्तर्गत विशेष कारणों के लिए अग्रिम मंजूरीदाता सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के अन्दर जमा नहीं करता है तो बोर्ड द्वारा उसके खाते में देय अंशदान की राशि, जमाकर्ता द्वारा जमा किए अंशदान की राशि के बराबर या बोर्ड द्वारा सामान्यतः देय राशि, जो भी कम हो, होगी । हुआ ब्याज बोर्ड द्वारा निर्धारित समय में जमाकर्ता द्वारा नहीं दिया जाता तो बोर्ड द्वारा दिया जाने वाला अंशदान जमाकर्ता द्वारा जमा की गई राशि के बराबर या बोर्ड द्वारा आम तौर पर दी जाने वाली राशि, इनमें से जो भी कम हो होगी जब तक कि बोर्ड किसी मामले विशेष में अन्यथा आदेश देता है ।

(3) यदि कोई जमाकर्ता भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर है तो इस विनियम के प्रयोजन के लिए वही परिलब्धियां जो वह भारत में कार्यरत रहने पर प्राप्त करता, ड्यूटी पर ली गई परिलब्धियां मानी जाएंगी ।

(4) यदि जमाकर्ता छुट्टी के दौरान अंशदान करने को चुने, तो इस विनियम के प्रयोजन के लिए उसके छुट्टी वेतन को ड्यूटी पर ली गई परिलब्धियां माना जाएगा ।

(5) यदि कोई जमाकर्ता मुअत्तली की अवधि के लिए अंशदान का बकाया भुगतान करने को चुने, तो वह परिलब्धियां या परिलब्धियों का भाग जो उस अवधि के लिए बहाल होने के पश्चात् दी जाएं, इस विनियम के प्रयोजन के लिए ड्यूटी पर ली गई परिलब्धियां मानी जाएंगी ।

(6) विदेश सेवा की अवधि के लिए देय कोई भी अंशदान की राशि, यदि वह विदेश नियोक्ता से वसूल नहीं की जाती है, तो वह बोर्ड द्वारा जमाकर्ता से वसूल की जाएगी ।

(7) अंशदान की देय राशि समीपतम पूर्ण रुपये में परिवर्तित कर दी जाएगी (50 पैसे को अगला रुपया गिना जाएगा) ।

12. ब्याज :

(1) बोर्ड जमाकर्ता के खाते में जमा राशि पर उस दर से ब्याज जमा करेगा जो केन्द्र सरकार अपने कर्मचारियों के लिए समय-समय पर निर्धारित करेगी ।

(2) ब्याज प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च से निम्न प्रकार से जमा किया जाएगा :—

पिछले वर्ष की 31 मार्च को जमाकर्ता के खाते में जमा राशि पर, उसमें से चालू वर्ष के दौरान वापस ली गई राशि को घटाकर, 12 महीनों के लिए ब्याज;

चालू वर्ष के दौरान वापस ली गई राशि पर चालू वर्ष की 1 अप्रैल से जिस माह राशि वापस ली गई उससे पूर्ववर्ती मास के अन्तिम दिन तक ब्याज;

पिछले वर्ष की 31 मार्च के पश्चात् जमाकर्ता के खाते में जमा की गई सभी राशियों पर, जमा करने की तारीख से चालू वर्ष की 31 मार्च तक, ब्याज;

ब्याज की कुल राशि उसी प्रकार से निकटतम पूर्ण रुपये में परिवर्तित कर दी जाएगी जैसा कि विनियम-11 के उप-विनियम (7) में दिया गया है;

परन्तु—

जब जमाकर्ता के खाते में जमा राशि देय हो गई हो तब इस विनियम के अन्तर्गत उस पर ब्याज चालू वर्ष के आरम्भ या जमा करने की तारीख, जैसी भी स्थिति हो, से लेकर उस तारीख तक जिस तारीख को उसके खाते में जमा राशि देय हो जाती है, तक जमा किया जाएगा ।

(3) इस विनियम के प्रयोजन के लिए जमा करने की तारीख, परिलब्धियों से वसूलियां करने के मामले में, उस माह की पहली तारीख मानी जाएगी जिस माह वसूलियां की गई हैं और जमाकर्ता द्वारा अग्रप्रेषण की गई राशियों के मामले में, उस माह की पहली तारीख मानी जाएगी जिस माह वह राशियां प्राप्त हों, यदि वह राशियां लेखा अधिकारी को उस माह की पांच तारीख से पहले प्राप्त हो जाएं, परन्तु यदि उस माह की पांचवीं तारीख या उसके पश्चात् प्राप्त होती है तो अगले माह की पहली तारीख मानी जाएगी :

परन्तु—

जहां जमाकर्ता के वेतन या छुट्टी वेतन या भत्ते लेने में विलम्ब हुआ हो और परिणामस्वरूप निधि में उसके अंशदान में

भी विलम्ब हुआ हो तो ऐसे अंशदान पर ब्याज इस बात का ध्यान रखे बिना कि वेतन या छुट्टी वेतन वास्तव में किस माह में लिया गया है, उस माह से देय होगा जिस माह में विनियमों के अन्तर्गत जमाकर्ता का वेतन या छुट्टी वेतन देय था :

परन्तु—

यह और कि विनियम-10 के उप-विनियम (2) के परन्तुक के अनुसार भेजी गई राशि के मामले में जमा करने की तारीख उस माह की पहली तारीख मानी जाएगी यदि वह राशि लेखा अधिकारी को उस माह की 15 तारीख से पहले प्राप्त हो जाती है ।

परन्तु यह और कि—

जहां किसी माह की परिलब्धियां उस माह के अन्तिम कार्य दिवस को निकाली जाती हैं और वितरित की जाती हैं तो जमा करने की तारीख अंशदान वसूल करने के मामले में अगले माह की पहली तारीख मानी जाएगी ।

(4) विनियम-23 के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली किसी भी राशि के अतिरिक्त राशि पर ब्याज, जिस माह में भुगतान किया जाता है उससे पिछले माह के अन्त तक या जिस माह में ऐसी राशि देय हो जाती उसके पश्चात् छठे महीने के अन्त तक, इसमें से जो भी अवधि कम हो, उस व्यक्ति को देय होगा जिसको ऐसी राशि का भुगतान किया जाएगा :

परन्तु—

उस तारीख, जो लेखा अधिकारी द्वारा उस व्यक्ति (या उसके प्रतिनिधि) को नकद भुगतान करने हेतु सूचित की जाती है, के पश्चात् या यदि भुगतान चैक द्वारा किया जाता है तो उस तारीख जिस दिन उस व्यक्ति के पक्ष में चैक डाक में प्रेषित किया जाता है, के पश्चात् किसी भी अवधि के लिए ब्याज देय नहीं होगा :

परन्तु यह और कि—

जहां जमाकर्ता केन्द्र/राज्य सरकार या केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित निकाय या समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्त-वासी संगठन में प्रतिनियुक्ति पर हो तथा बाद में पिछली तारीख से उस निकाय या संगठन में समाहृत हो जाता है, जो जमाकर्ता के खाते में जमा राशि पर देय ब्याज के परिकलन के उद्देश्य के लिए, समाहृत होने के आदेश जारी होने की तारीख को जमाकर्ता के खाते में जमा राशि के देय होने की तारीख इस शर्त पर समझा जाएगा कि समाहृत होने की तारीख से लेकर समाहृत होने के आदेश जारी होने की तारीख तक की अवधि के दौरान अंशदान के रूप में वसूल की गई राशि को इस उप-विनियम के अंतर्गत केवल ब्याज के उद्देश्य के लिए ही निधि में अंशदान माना जाएगा ।

नोट : छः माह की अवधि के पश्चात् बकाया निधि पर ब्याज का भुगतान : —

(अ) एक वर्ष की अवधि के लिए लेखा अधिकारी द्वारा; और

(ब) लेखाअधिकारी से उच्च अधिकारी द्वारा किसी भी अवधि के लिए;

स्वयं को इस बात से संतुष्ट करने के पश्चात् कि भुगतान में विलंब जमाकर्ता या उस व्यक्ति जिसे भुगतान किया जाना था के नियंत्रण से बाहर परिस्थियों के कारण हुआ था, प्राधिकृत किया जाएगा, तथा ऐसे प्रत्येक मामले में हुए प्रशासनिक विलंब की पूर्णतया जांच की जाएगी, और यदि आवश्यकता हो तो कार्यवाही की जाएगी ।

(5) यदि कोई जमाकर्ता लेखा अधिकारी को यह सूचित करता है कि वह ब्याज नहीं लेना चाहता है तो उसके खाते में ब्याज की राशि जमा नहीं की जाएगी । परन्तु यदि बाद में वह ब्याज की मांग करता है तो उस वर्ष की पहली अप्रैल से जिस वर्ष वह ब्याज की मांग करता है ब्याज की राशि जमा कर दी जाएगी ।

(6) उन राशियों, जो विनियम-19 या 20 के अंतर्गत निधि में जमाकर्ता के खाते में वापस जमा की जाती है, पर ब्याज की परिकलना ऐसी दर, जो इस विनियम के उप-विनियम (1) के अंतर्गत उत्तरोत्तर निर्धारित की जाए और इस विनियम में उल्लिखित ढंग से की जाएगी।

(7) यदि यह पाया जाता है कि जमाकर्ता ने निकासी की तारीख को उसके खाते में जमा धन से अधिक धन निकाला है, तो जमा राशि से अधिक निकाली गई राशि, चाहे वह अग्रिम के रूप से निकाली गई हो या निकासी के रूप में निकाली गई हो या निधि से अंतिम भुगतान के रूप में निकाली गई हो, उसे जमाकर्ता को एक मुश्त राशि में ब्याज सहित वापस जमा करना होगा, ऐसा न करने पर, जमाकर्ता की परिलब्धियों में से इसकी एक मुश्त कटौती करके वसूल करने का आदेश दिया जाएगा। यदि वसूल की जाने वाली कुल राशि, जमाकर्ता की परिलब्धियां के आधे से अधिक है तो उसकी वसूली मासिक किस्तों में उसके वेतन अंशों से तब तक की जाएगी जब तक कि वह राशि ब्याज सहित वसूल नहीं हो जाती है । इस उप-विनियम के लिए ब्याज की दर जो कि जमा राशि से अधिक निकाली गई राशि पर वसूल किया जाएगा उप-विनियम (1) के अंतर्गत भविष्य निधि में बकाया राशि पर देय सामान्य ब्याज दर से 2½ प्रतिशत ज्यादा होगा । अधि-निकासी पर वसूल किया गया ब्याज बोर्ड के खाते में विशिष्ट उप-शीर्षक "भविष्य निधि से अधि-निकासियों पर ब्याज-अन्य प्राप्तय" में जमा किया जाएगा ।

13. निधि से अग्रिम

(1) उपयुक्त मंजूरीदाता प्राधिकारी किसी भी जमाकर्ता को अग्रिम धन जो पूरे रुपयों में होगा तथा जमाकर्ता के तीन माह के वेतन या भविष्य निधि में उसके खाते में जमा धन के आधे, इसमें जो भी कम हो, से अधिक न हो, निम्नलिखित एक या एक से अधिक उद्देश्यों के लिए मंजूर कर सकता है :—

(अ) जमाकर्ता या उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति की बीमारी, प्रसवावस्था या अपंगता से संबंधित व्यय, जहां आवश्यक हो यात्रा व्यय सहित, का भुगतान करने के लिए;

(ब) निम्नलिखित मामलों में जमाकर्ता उसके परिवार के किसी सदस्य या उस पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति की उच्च शिक्षा, जहां आवश्यक हो यात्रा व्यय सहित, पर व्यय की पूर्ति करने के लिए; नामत :

(1) माध्यमिक स्कूल स्तर के बाद भारत से बाहर शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक या व्यापारिक शिक्षा के लिए; और

(2) माध्यमिक स्कूल स्तर के पश्चात् भारत में किसी भी आयुर्विज्ञान, इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशेषज्ञ पाठ्यक्रम के लिए; बशर्ते कि अध्ययन का पाठ्यक्रम 3 वर्ष से कम न हो ।

(स) जमाकर्ता हो हैसियत के अनुसार अनिवार्य खर्चों की अदायगी के लिए जो सगाई, विवाह, अंतिम संस्कार या समारोह पर रीति-रिवाज के अनुसार जमाकर्ता को खर्च करने पड़ते हैं;

(द) जमाकर्ता, उसके परिवार के किसी सदस्य या उस पर वास्तव में किसी आश्रित के विरुद्ध या द्वारा चलाई गई कानूनी कार्यवाई का व्यय वहन करने के लिए । इस मामले में उपलब्ध यह अग्रिम, इसी प्रयोजन के लिए बोर्ड के किसी अन्य स्रोत से ग्राह्य किसी भी अग्रिम के अतिरिक्त होगा;

(ध) जमाकर्ता द्वारा अपने बचाव के खर्च को वहन करने के लिए, जहां वह कथित कार्यालय कदाचरण की जांच-पड़ताल में अपना बचाव करने के लिए वकील करता है;

(न) प्लाट या अपनी रिहायिश के लिए मकान या फ्लैट बनाने या दिल्ली विकास प्राधिकरण या राज्य आवास बोर्ड या आवास निर्माण सहकारी समिति द्वारा आबंटित प्लाट या फ्लैट की कीमत अदा करने का खर्चा वहन करने के लिए।

(2) अध्यक्ष विशेष परिस्थितियों में किसी जमाकर्ता को अग्रिम मंजूर कर सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट हो जाए कि संबंधित जमाकर्ता को उप-विनियम (1) में बताए गए कारणों के अलावा अन्य कारणों के लिए अग्रिम की आवश्यकता है।

(3) किसी भी जमाकर्ता को लिखित विशेष कारणों के अलावा, अन्य कारणों के लिए उप-विनियम (1) में निर्धारित सीमा से अधिक या जब तक किसी पिछले अग्रिम की अंतिम किस्त वापस नहीं की जाती है, कोई अग्रिम मंजूर नहीं किया जाएगा :

बशर्ते—

अग्रिम की राशि किसी भी हालत में निधि में जमाकर्ता के खाते में जमा अंशदान तथा उस पर ब्याज की राशि से अधिक नहीं होगी।

(4) जब उप-विनियम (3) के अंतर्गत पिछले अग्रिम की अंतिम किस्त की वसूली किए बिना ही अग्रिम मंजूर कर दिया जाए तो पहले अग्रिम की वसूल न की गई बकाया राशि को अब मंजूर किए गए अग्रिम में जोड़ दिया जाएगा तथा वसूली की किस्तों को समेकित राशि के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

(5) अग्रिम मंजूर करने के बाद, उन मामलों में जहां अंतिम भुगतान के लिए आवेदन विनियम-23 के उप-विनियम (3) के खंड-(2) के अंतर्गत लेखा अधिकारी को भेजा गया था, राशि लेखा अधिकारी के प्राधिकार पर ही निकाली जाएगी।

नोट 1 : इस विनियम के उद्देश्य के लिए वेतन में वेतन, महंगाई भत्ता जहां ग्राह्य हो सम्मिलित होंगे ।

नोट 2 : जमाकर्ता को विनियम-13 के उप-विनियम (1) की मद (ब) के अंतर्गत प्रत्येक छः मास में एक बार अग्रिम लेने की अनुमति दी जाएगी।

14. अग्रिम की वसूली

(1) जमाकर्ता से अग्रिम की वसूली उतनी ही बराबर मासिक किस्तों में की जाएगी जैसाकि मंजूरी दाता प्राधिकारी निदेश दे; परन्तु ऐसी किस्तों की संख्या, जब तक कि जमाकर्ता स्वयं ऐसा न चाहे, 12 से कम और 24 से अधिक नहीं होनी चाहिए। विशेष मामलों में जहां विनियम-13 के उप विनियम (3) के अंतर्गत अग्रिम की राशि जमाकर्ता के तीन मास के वेतन से अधिक हो, तो मंजूरीदाता प्राधिकारी 24 से अधिक किस्तों निर्धारित कर सकता है परन्तु किसी भी हालत में यह 36 से अधिक नहीं होंगी। जमाकर्ता अपनी इच्छानुसार निर्धारित किस्तों से कम किस्तों में भी अदायगी कर सकता है । प्रत्येक किस्त पूरे रुपयों में होगी। ऐसी किस्तों के निर्धारण के लिए, यदि आवश्यक हो, अग्रिम की राशि घटाई-बढ़ाई जा सकती है ।

(2) वसूली उसी तरीके से की जाएगी जैसाकि विनियम-10 में अंशदान वसूली के लिए निर्धारित किया गया है और यह अग्रिम लेने के माह के अनुवर्ती माह के वेतन से आरम्भ होगी। जब जमाकर्ता निर्हेतु अनुदान ले रहा हो या कलैंडर मास में दस दिन या उससे अधिक दिन की छुट्टी पर हो जिसमें या तो कोई अवकाश वेतन प्राप्त न हो या अवकाश वेतन, अर्ध वेतन या अर्ध औसत वेतन के बराबर या उससे कम प्राप्य हो, जैसा भी स्थिति हो, जमाकर्ता की सहमति के बिना वसूली नहीं की जाएगी जमाकर्ता के लिखित अनुरोध पर उसको मंजूर किए गए अग्रिम वेतन की वसूली के दौरान मंजूरीदाता प्राधिकारी द्वारा अग्रिम की वसूली स्थगित की जा सकती है।

(3) यदि किसी जमाकर्ता को अग्रिम मंजूर किया गया है और वह उसके द्वारा ले लिया गया है और बाद में वसूली पूरी होने से पहले ही नामंजूर कर दिया जाता है तो लिए गए अग्रिम की पूरी राशि या बकाया राशि जमाकर्ता द्वारा अविलंब निधि में वापस जमा की जाएगी, जिसके न करने पर, लेखा अधिकारी उसकी परिलब्धियों में से एक मुश्त या मासिक किस्तों में, जो 12 से अधिक न हों, जैसा भी विनियम-13 के उप-विनियम (3) के अंतर्गत विशेष कारणों के लिए अग्रिम मंजूरीदाता सक्षम प्राधिकारी द्वारा निदेश दिया जाए, कटौती करके वसूल करने के आदेश देगा :

परन्तु—

इस प्रकार के अग्रिम को नामंजूर करने से पहले जमाकर्ता को यह अवसर दिया जाएगा कि वह इस संदेश के प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर मंजूरीदाता प्राधिकारी को लिखित में स्पष्ट करे कि अग्रिम की वसूली क्यों न आरम्भ की जाए और यदि जमाकर्ता उक्त 15 दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर देता है तो उसे निर्णय हेतु अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा, और यदि जमाकर्ता उक्त समय के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो अग्रिम की वसूली इस उप-विनियम में विहित रीति से आरम्भ कर दी जाएगी।

(4) इस विनियम के अंतर्गत की गई वसूलियां निधि में जमाकर्ता के खाते में जमा कर दी जाएंगी।

15. अग्रिम का गलत प्रयोग

इन नियमों में बताई गई किसी बात के होने पर भी, यदि मंजूरीदाता प्राधिकारी को इस बात का कोई संदेह हो जाता है कि विनियम-13 के अंतर्गत निधि से अग्रिम के रूप में लिया गया धन मंजूर किए गए प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन

पर खर्च किया गया है, तो वह अपने संदेह के कारणों को जमाकर्ता को सूचित करेगा और उससे ऐसी सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर लिखित में स्पष्टीकरण मांगेगा कि क्या अग्रिम की राशि उसी प्रयोजन पर खर्च की गई है जिसके लिए मंजूर की गई थी। यदि मंजूरीदाता प्राधिकारी, जमाकर्ता द्वारा उक्त 15 दिन के भीतर दिए गए स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं होता है तो वह जमाकर्ता को इस अग्रिम की राशि को तुरन्त निधि में जमा करने का निदेश देगा। ऐसा न करने पर जमाकर्ता, चाहे वह अवकाश पर ही हो, उसकी परिलब्धियों से एक मुश्त कटौती करके वसूल करने का आदेश देगा। यदि वसूल की जाने वाली कुल राशि जमाकर्ता की परिलब्धियों के आधे से अधिक है तो वसूली उसकी परिलब्धियों के अर्धांश से मासिक किस्तों में तब तक की जाएगी जब तक की पूरी राशि वसूल नहीं हो जाए।

नोट : इस विनियम में शब्द "परिलब्धियां" में निर्वाह अनुदान सम्मिलित नहीं किया जाता है।

16. निधि में धन की निकासी

(1) इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन धन निकासी की मंजूरी विनियम-13 के उप-विनियम (3) के अंतर्गत विशेष कारणों के लिए अग्रिम मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा—

(क) जमाकर्ता द्वारा 20 वर्ष की सेवा (सेवा व्यवधान की अवधि यदि कोई हो, को मिला कर) पूर्ण करने के बाद या अवर्तन पर सेवा निवृत्त होने की तारीख से पहले 10 वर्ष की अवधि के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो, निधि में जमाकर्ता के खाते में जमा अंशदान की राशि तथा उस पर ब्याज की राशि में से निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक कारणों के लिए मंजूरी दी जाएगी, नामत :—

(अ) निम्नलिखित मामलों में जमाकर्ता या उसके बच्चे की उच्च शिक्षा, जहां आवश्यक हो यात्रा व्यय सहित का व्यय वहन करने के लिए, जैसे :—

(1) माध्यमिक शिक्षा स्तर के पश्चात् भारत के बाहर शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक या व्यापारिक पाठ्यक्रम के लिए; और

(2) माध्यमिक शिक्षा स्तर के पश्चात् भारत में किसी आयुर्विज्ञान, इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशेषज्ञ पाठ्यक्रम के लिए;

(ब) जमाकर्ता या उसके पुत्रों या पुत्रियों या उस पर वास्तव में आश्रित किसी अन्य महिला संबंधी की सगाई/विवाह समारोह के व्यय को वहन करने के लिए;

(ख) जमाकर्ता द्वारा 15 वर्ष की सेवा (सेवा में व्यवधान वास्तव में आश्रित व्यक्ति की बिमारी, जहां आवश्यक हो यात्रा व्यय सहित, का व्यय वहन करने के लिए।

(ग) जमाकर्ता द्वारा 15 वर्ष की सेवा (सेवा में व्यवधान की अवधि यदि कोई हो, को मिलाकर) पूरी करने के बाद या अवर्तन पर सेवा निवृत्त होने की तारीख से पहले 10 वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके खाते में जमा राशि से निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक प्रयोजनों के लिए दी जाएगी, नामत :—

(अ) अपनी रिहायश के लिए गृह स्थल की कीमत सहित, उपयुक्त मकान लेने या बनाने के लिए या बना-बनाया फ्लैट लेने के लिए;

(ब) अपनी रिहायश के लिए उपयुक्त मकान बनाने के लिए या लेने के लिए या बना-बनाया फ्लैट लेने के लिए स्पष्ट रूप में लिए गए ऋण की बकाया राशि को वापस करने के लिए;

(स) अपनी रिहायश के लिए मकान बनाने हेतु गृह-स्थल खरीदने के लिए या इस प्रयोजन के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण की बकाया राशि को वापस करने के लिए;

(द) जमाकर्ता द्वारा पहले से उपार्जित फ्लैट या मकान के पुनर्निर्माण या उसमें परिवर्धन-परिवर्तन करने के लिए;

(य) जमाकर्ता द्वारा कार्य-स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य जगह पर पैतृक मकान या बोर्ड से लिए गए ऋण की सहायता से बनाए गए मकान की मरम्मत या परिवर्धन-परिवर्तन या अनुरक्षण के लिए;

(र) उपर्युक्त खंड (स) के अंतर्गत लिए गए गृह-स्थल पर गृह निर्माण के लिए।

(ग) जमाकर्ता के सेवा-निवृत्त होनेकी तारीख से पहले 6 महीने के भीतर, निधि में उसके खाते में जमा धन से, कृषि भूमि या व्यापार परिसर या दोनों उपार्जित करने के लिए दी जाएगी;

(घ) वित्तीय वर्ष के दौरान एक बार जमाकर्ता द्वारा स्व-पोषी वित्त व्यवस्था एवं अंशदान पर आधारित बोर्ड के कर्मचारियों के लिए सामूहिक बीमा योजना में एक वर्ष में दिए गए अंशदान की राशि के बराबर दी जाएगी।

नोट 1 : जमाकर्ता जिसने शहरी विकास मंत्रालय या बोर्ड की गृह निर्माण उद्देश्य के लिए अग्रिम योजना के अंतर्गत अग्रिम का लाभ उठाया हो या उसे बोर्ड के स्रोतों से इस संबंध में कोई मदद दी गई हो, इस खंड (ख) के उप-खंड (अ), (स), (द) और (र) के अंतर्गत इनमें विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए और विनियम-17 के उप-विनियम (1) के उपबंध में विनिर्दिष्ट सीमा तक उपर्युक्त योजना के अंतर्गत लिए गए ऋण की अदायगी के उद्देश्य को लिए भी अंतिम निकासी की मंजूरी का पात्र होगा।

यदि जमाकर्ता के पास पैतृक मकान है या अपने कार्य स्थल के अलावा किसी अन्य जगह पर बोर्ड से ली गई ऋण सहायता से मकान बनाया है, वह अपने कार्य स्थल में गृह स्थल खरीदने या दूसरा मकान बनाने या बना-बनाया फ्लैट अर्जित करने के लिए खंड (ख) के उप-खंड (अ), (स) और (र) के अंतर्गत अंतिम निकासी का पात्र होगा।

नोट 2 : खण्ड (ख) के उप-खण्ड (अ), (ब), (य) या (र) के अंतर्गत जमाकर्ता को निकासी की मंजूरी तभी दी

जाएगी जब उसने बनाए जाने वाले मकान या मकान में किए जाने वाले परिवर्धन-परिवर्तन की योजना, उस क्षेत्र जहां वह मकान-स्थल या मकान स्थित है, की स्थानीय नगरपालिका से विधिवत् अनुमोदित, प्रस्तुत की हो और केवल उन्हीं मामलों में जहां योजना अनुमोदित करवा ली गई है।

नोट 3 : खंड (ख) के उप-खंड (ब) के अंतर्गत मंजूर की गई राशि जमाकर्ता के खाते में, उपखंड (अ) के अंतर्गत पिछली निकासी की राशि को मिलाकर और पिछली निकासी की राशि को कम करके, आवेदन की तारीख को बकाया राशि के तीन-चौथाई से अधिक नहीं होगी। फार्मूला जो अपनाया जाएगा : (उस तारीख को बकाया जमा + (जमा विवादास्पद मकान के लिए ली गई निकासी) – (घटा) पिछली निकासी (निकासियों) की राशि, कर तीन-चौथाई।

नोट 4 : खंड (ख) के उप-खंड (अ) और (ब) के अंतर्गत निकासी की मंजूरी उन मामलों में भी दी जाएगी जहां गृह-स्थल या मकान जमाकर्ता की पत्नी या पति के नाम है ; बशर्ते कि जमाकर्ता द्वारा अंशदायी भविष्य निधि में जमा राशि को प्राप्त करने के लिए दिए गए नामांकन में प्रथम नामित हो।

नोट 5 : इस विनियम के अंतर्गत एक उद्देश्य के लिए निकासी की मंजूरी एक बार ही दी जाएगी । लेकिन भिन्न बच्चों की शादी या शिक्षा अथवा भिन्न अवसरों पर अस्वस्थता, अथवा मकान या फ्लैट में परिवर्धन-परिवर्तन जिसके लिए उस क्षेत्र जहां मकान स्थित है की स्थानीय नगरपालिका द्वारा अनुमोदित योजना दी गई हो, को एक ही उद्देश्य नहीं माना जाएगा। खंड (ख) के उपखंड (अ) या (ब) के अंतर्गत एक ही मकान को पूरा करने के लिए, दूसरी बार या उसके उपरान्त निकासी की मंजूरी नोट-3 में निर्धारित सीमा तक ही दी जाएगी।

नोट 6 : यदि विनियम-12 के अंतर्गत उसी उद्देश्य और उसी समय अग्रिम मंजूर किया जा रहा है तो इस विनियम के अंतर्गत निकासी की मंजूरी नहीं दी जाएगी।

(2) जब जमाकर्ता सक्षम प्राधिकारी को अपने खाते में जमा राशि के बारे में, अभी हाल ही की अंशदायी भविष्य निधि लेखे की उपलब्ध विवरणी से, बाद में जमा अंशदान के प्रमाण सहित, संतुष्ट करने की स्थिति में हो, तो सक्षम प्राधिकारी निर्धारित सीमाओं के भीतर, वापिस किए जाने योग्य अग्रिम (Refundable advance) की तरह ही, धन निकालने की मंजूरी दे सकता है। ऐसा करते समय सक्षम प्राधिकारी जमाकर्ता को पहले मंजूर किए गए प्रत्यर्पणीय अग्रिम (Refundable advance) या धन-निकासी को भी ध्यान में रखेगा । तथापि, जहां जमाकर्ता सक्षम प्राधिकारी को अपने खाते में जमा राशि के बारे में संतुष्ट करने की स्थिति में न हो या जहां आवेदित धन निकासी (Withdrawal applied for) की ग्राह्यता के बारे में संदेह हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदित धन-निकासी की ग्राह्यता के निर्धारण के उद्देश्य के लिए लेखा अधिकारी से जमाकर्ता के खाते में जमा राशि का प्रमाण मांगा जाएगा। धन-निकासी की मंजूरी में मुख्यतया अंशदायी भविष्य निधि लेखा की संख्या तथा लेखे का हिसाब रखने वाले लेखा अधिकारी का विवरण दिया जाए तथा मंजूरी की प्रति हमेशा उस लेखा अधिकारी को प्रेषित की जाए । मंजूरी वाला प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि मंजूर की गई धन-निकासी की लेखा अधिकारी द्वारा जमाकर्ता की लेखा-बही में दर्ज कर लिया गया है। यदि लेखा अधिकारी यह सूचित करता है कि मंजूर की गई राशि जमाकर्ता के खाते में जमा राशि से अधिक है या अन्यथा ग्राह्य नहीं है, तो जमाकर्ता द्वारा निकाली गई राशि उसे तुरन्त एकमुश्त निधि में वापस जमा करनी होगी और ऐसा न करने पर, मंजूरीदाता प्राधिकारी द्वारा उस राशि को उसकी एरिलब्धियों से एकमुश्त या फिर उतनी मासिक किस्तों में जितनी अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाए, में वसूल करने के आदेश देगा।

(3) धन-निकासी की मंजूरी के बाद, उन मामलों में जहां अंतिम भुगतान के लिए आवेदन विनियम-23 के उप-विनियम (3) के खण्ड (।।) के अन्तर्गत लेखा अधिकारी को प्रेषित किया गया हो, राशि वित्त एवं लेखा अधिकारी के प्राधिकार पर ही निकाली जाएगी।

17. धन निकासी की शर्तें

(1) जमाकर्ता द्वारा विनियम-16 में दिए गए एक या एक से अधिक प्रयोजनों के लिए किसी भी एक समय में निधि में उसके खाते में जमा धन से निकाली गई कोई भी राशि सामान्यता निधि में उसके खाते में जमा अंशदान और उस पर ब्याज की रकम के ½ से या जमाकर्ता के छः महीने के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। फिर भी, मंजूरीदाता प्राधिकारी इस सीमा से अधिक, निधि में जमाकर्ता के खाते में अंशदान की रकम और उस पर ब्याज की रकम के ¾ तक की मंजूरी, निम्नांकित पर उचित ध्यान देते हुए, दे सकता है :

(1) उद्देश्य जिसके लिए राशि निकाली जा रही है;

(2) जमाकर्ता की हैसियत; और

(3) निधि में जमाकर्ता के खाते में अंशदान और उस पर ब्याज की रकम :

परन्तु—

किसी भी मामले में, विनियम-16 के उप-विनियम (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए धन-निकासी की अधिकतम रकम शहरी विकास मंत्रालय या बोर्ड की गृह निर्माण उद्देश्य के लिए अग्रिम मंजूर किए जाने की योजना के नियम-2(ए) और 3(बी) में समय-समय पर निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी।

परन्तु—

यदि जमाकर्ता ने शहरी विकास मंत्रालय या बोर्ड की गृह निर्माण के लिए अग्रिम योजना का लाभ उठाया है या इस संबंध में बोर्ड के किसी अन्य स्रोत से कोई सहायता मंजूरी की गई हो, तो इस उप-विनियम के अंतर्गत निकाली गई राशि, पूर्वोक्त योजना के अंतर्गत लिए गए अग्रिम या बोर्ड के किसी अन्य स्रोत से ली गई सहायता सहित, पूर्वोक्त योजना के नियम 2(ए) और 3(बी) के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी।

नोट 1 : विनियम-16 के उप-विनियम (1) के खंड (क) के उप-खंड (अ) के अंतर्गत मंजूर की गई निकासी राशि

किस्तों में निकाली जाए, जिनकी संख्या, मंजूरी की तारीख से 12 कैलेण्डर मास की अवधि में, चार से अधिक नहीं होगी।

नोट 2 : उन मामलों जहां जमाकर्ता को खरीदे गए गृह-स्थल या मकान या फ्लैट, अथवा दिल्ली विकास प्राधिकरण या राज्य आवास बोर्ड या आवास निर्माण सहकारी समिति द्वारा बनाए गए मकान या फ्लैट का भुगतान किस्तों में करना है, तो उसे जब भी ऐसी किस्त के भुगतान के लिए कहा जाए, निकासी की अनुमति दी जाएगी।

(2) जिस जमाकर्ता को विनियम-16 के अन्तर्गत निधि से धन-निकासी की अनुमति दी गई हो वह मंजूरीदाता प्राधिकारी को उपयुक्त समय के अन्दर, जैसा कि उस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए, इस बात से संतुष्ट करेगा कि धन का उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया गया है जिस उद्देश्य के लिए निकाला गया है और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो ऐसी निकाली गई सारी रकम या उसके उतनी ही रकम, जिसके लिए उस उद्देश्य के लिए आदेशन नहीं किया गया हो जिसके लिए वह निकाली गई थी, जमाकर्ता द्वारा निधि में एक मुश्त वापस जमा की जाएगी और ऐसा न करने पर, मंजूरीदाता प्राधिकारी इस राशि को उसकी परिलब्धियों में से या तो एक मुश्त या उतनी किस्तों में, जितनी अध्यक्ष नियत करें, में वसूल करने के आदेश देगा।

परन्तु—

इस उप-विनियम के अन्तर्गत निकाली गई रकम की वसूली आरम्भ करने से पहले, जमाकर्ता को सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर लिखित में यह स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा कि निकाली गई रकम की वसूली क्यों न की जाए; और यदि मंजूरीकर्ता प्राधिकारी स्पष्टीकरण से संतुष्ट न हो या जमाकर्ता द्वारा उक्त 15 दिन के भीतर स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, तो मंजूरीकर्ता प्राधिकारी इस उप-विनियम में निर्धारित अनुसार वसूली प्रारम्भ कर देगा ।

(3) (अ) जिस जमाकर्ता को विनियम-16 के उप-विनियम (1) के खण्ड (स) के उप-खण्ड (अ), (ब) या (स) के अन्तर्गत, निधि में उनके खाते में अंशदान और उस पर ब्याज की जमा राशि में से धन निकालने की अनुमति दी गई हो तो वह ऐसी निकाली गई राशि से बनाए गए या उपार्जित किए गए मकान या खरीदे गए गृह-स्थल का कब्जा, चाहे बिक्री, रेहन (बोर्ड के पक्ष में रेहन करने के अलावा), उपहार, अदली-बदली या अन्यथा, अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना नहीं छोड़ेगा । परन्तु ऐसी अनुमति निम्नलिखित के लिए आवश्यक नहीं होगी :—

(1) मकान या मकान-स्थल जो किसी अवधि के लिए, जो तीन वर्ष से अधिक नहीं हो, पट्टे पर दिया जा रहा हो,

या

(2) यह आवास बोर्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित किसी अन्य निकाय, जो नये मकान के निर्माण या वर्तमान मकान में परिवर्धन एवं परिवर्तन के लिए ऋण अग्रिम देती है, के पक्ष में रेहन किया जा रहा हो ।

(ब) जमाकर्ता प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक इस आशय की घोषणा करेगा कि मकान या मकान-स्थल, जैसा भी मामला हो, उसके कब्जे में ही है या पूर्वोक्तानुसार रेहन कर दिया है, अन्यथा अन्तरित किया है या किराये पर दिया है और यदि ऐसा कहा जाए, तो मंजूरीकर्ता प्राधिकारी को उस प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में निर्धारित तारीख को या उससे पहले मूल बिक्री, रेहन या पट्टा पत्र और वे कागजात भी जिसमें उनका सम्पत्ति पर अधिकार आधारित है, पेश करेगा ।

(स) यदि जमाकर्ता सेवा निवृत्ति के पूर्व किसी भी समय, मकान या मकान की जगह का कब्जा अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना छोड़ देता है तो इस प्रयोजन के लिये गए धन को निधि में तुरन्त एक मुश्त वापस जमा करेगा, और ऐसा न करने पर मंजूरीकर्ता अधिकारी जमाकर्ता के मामले में अभ्यावेदन करने के लिए उपयुक्त अवसर देने के बाद, उस रकम को जमाकर्ता की परिलब्धियों में से एक मुश्त या उतनी मासिक किस्तों में जितनी प्राधिकारी निर्धारित करे, वसूल करवाएगा ।

नोट-1 : जमाकर्ता जिसने बोर्ड से ऋण लिया है और उसके बदले में मकान या मकान-स्थल को बोर्ड के पक्ष में बन्धक किया है, को निम्नलिखित उद्देश्य के लिए घोषणा-पत्र देना होगा; नामत:

"मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मकान या मकान-स्थल, जिसके निर्माण के लिए या जिसे खरीदने के लिए मैंने भविष्य निधि से अन्तिम निकासी ली है, मेरे कब्जे में ही है लेकिन बोर्ड के पक्ष में बंधक है ।"

18. अग्रिम को निकासी में बदलना

जिस जमाकर्ता ने विनियम-13 के अन्तर्गत विनियम-16 के उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिये अग्रिम लिया है या भविष्य में ले, वह अपनी इच्छानुसार, विनियम-16 और 17 में दी गई शर्तों से सन्तुष्ट होने पर, मंजूरीकर्ता प्राधिकारी के माध्यम से लेखा अधिकारी को लिखित अनुरोध करके, इसमें बकाया रकम को अन्तिम रूप से धन निकालने में रूपान्तरित कर सकता है ।

नोट : विनियम-17 के उप-विनियम (1) के उद्देश्य के लिए, ऐसे रूपान्तरण के समय जमाकर्ता के खाते में जमा राशि का अंशदान उस पर ब्याज सहित + (जमा) अग्रिम की बकाया राशि, को बकाया राशि माना जाएगा । प्रत्येक निकासी को पृथक-पृथक माना जाएगा और वही सिद्धांत एक से अधिक रूपान्तरणों के अवसर पर भी लागू होगा ।

19. निधि में जमा राशि की अन्तिम निकासी

जब जमाकर्ता नौकरी छोड़ेगा तो निधि में उसके खाते में जमा रकम उसे भुगतान करने योग्या हो जाएगी :

परन्तु—

जिस जमाकर्ता को नौकरी से निकाल दिया गया हो और बाद में बहाल कर दिया जाता है, यदि बोर्ड ऐसा

चाहे, तो वह (जमाकर्ता) इस नियम के अनुसरण में निधि से भुगतान की गई किसी भी राशि को, विनियम-12 में दी गई दर से विनियम-20 के उपबंध की व्यवस्थाओं के अनुसार ब्याज सहित, निधि में वापस जमा करेगा। इस प्रकार वापस की गई रकम को निधि में विनिय-6 के प्रावधानों के अनुसार जमाकर्ता के अंशदान व उस पर ब्याज की राशि को उसके अंशदान व उस पर ब्याज के परिचायक भाग में तथा बोर्ड के अंशदान व उस पर ब्याज की राशि को बोर्ड के अंशदान व उस पर ब्याज के परिचायक भाग में जमा कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण-1 जमाकर्ता, जिसे अस्वीकृत छुट्टी मंजूर की जाती है, को अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की तारीख से या बढ़ाई गई सेवावधि की समाप्ति पर सेवा से मुक्त समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण-2 अनुबंध पर नियुक्त या वह जो सेवा-निवृत्त हो गया हो और बाद में सेवा में बिना किसी व्यवधान या व्यवधान सहित पुनर्नियोजित हुआ हो, के अलावा अन्य जमाकर्ता को सेवा से मुक्त नहीं समझा जाएगा।

यही स्पष्टीकरण छंटनी के बाद अविलम्ब नियोजन के मामले में भी प्रयुक्त होगा।

स्पष्टीकरण 3 जब किसी जमाकर्ता, जो अनुबन्ध पर नियुक्त हो या जो सेवा-निवृत्त हो गया हो और बाद में पुनर्नियोजित हुआ हो के अलावा, को सेवा में बिना व्यवधान के केन्द्रीय/राज्य सरकार या केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित निकाय या समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी संगठन में स्थानान्तरित किया जाता है, तो जमाकर्ता के अंशदान व बोर्ड के अंशदान की रकम उस पर ब्याज सहित, जमाकर्ता को भुगतान नहीं की जाएगी, बल्कि उस सरकार/निकाय की सहमति से उस सरकार/निकाय में जमाकर्ता के नए खाते में अंतरित कर दी जाएगी।

स्थानान्तरण में, केन्द्रीय/राज्य सरकार या केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व/नियंत्रित निकाय या समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी संगठन में बिना किसी व्यवधान और बोर्ड की लिखित अनुमति से नियुक्ति स्वीकार करने पर दिया गया त्याग-पत्र भी शामिल है। नये पद पर कार्य-भार ग्रहण करने के लिए लिया गया समय, यदि वह बोर्ड के कर्मचारियों को एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरण पर स्वीकार्य पदभार ग्रहण समय से अधिक नहीं है, तो सेवा में व्यवधान नहीं माना जाएगा :

परन्तु—

उस जमाकर्ता जो सार्वजनिक उद्यम में सेवा की इच्छा व्यक्त करता है, के अंशदान और बोर्ड के अंशदान की राशि उस पर ब्याज सहित, यदि वह ऐसा चाहता है, उस उद्यम में उसके नए भविष्य निधि खाते में अंतरित कर दी जाएगी यदि वह उद्यम इसके लिए सहमत हो। यदि जमाकर्ता इस धनराशि का अन्तरण नहीं करना चाहता है या सम्बंधित उद्यम में किसी भविष्य निधि का संचालन नहीं है, तो पूर्वोक्त राशि का भुगतान जमाकर्ता को किया जाएगा।

20. जमाकर्ता की सेवा-निवृत्ति :

जब जमाकर्ता—

(अ) सेवा निवृत्ति से पूर्व छुट्टी पर चला गया हो,

(ब) जब छुट्टी पर हो, सेवा-निवृत्ति की अनुमति दे दी गई हो या सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा आगे नौकरी करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया हो,

तो निधि में उसके खाते में जमा अंशदान और उस पर ब्याज की राशि जमाकर्ता को उसके द्वारा इस संबंध में आवेदन, जो कि लेखा अधिकारी को दिया गया हो, करने पर भुगतान योग्य हो जाएगी।

परन्तु—

यदि जमाकर्ता कार्य पर वापस आ जाता है तो, जहां बोर्ड अन्यथा निर्णय कर ले लेता है कि सिवाय, उसे इस विनियम के अनुसरण में भुगतान की गई रकम को विनियम-12 में व्यवस्थित दर से उस पर ब्याज सहित नकद या प्रतिभूतियों में या अंशतः नकद और अंशतः प्रतिभूतियों में किश्तों द्वारा या अन्यथा उसकी परिलब्धियों में से वसूली द्वारा या अन्यथा, जैसा भी नियम-13 के उप-नियम (2) के अन्तर्गत विशेष कारणों के लिए अग्रिम मंजूरीकर्ता सक्षम प्राधिकारी निदेश दे, निधि में उसके खाते में जमा करने के लिए वापस जमा करनी होगी।

21. जमाकर्ता की मृत्यु पर कार्य-प्रणाली

जमाकर्ता के खाते में जमा राशि के देय हो जाने से पहले या जहां राशि देय हो गई है, उसका भुगतान होने से पहले ही जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने पर, विनियम-22 के अन्तर्गत किसी भी कटौती की शर्त पर :—

(1) जब जमाकर्ता का कोई परिवार हो :—

(अ) यदि विनियम-5 की व्यवस्थाओं के अनुसार जमाकर्ता द्वारा अपने परिवार के सदस्य या सदस्यों के हित में नामांकन किया गया हो, तो निधि में उसके खाते में जमा रकम या उसका हिस्सा जिससे नामांकन सम्बन्धित है, नामांकन में दिखाए गए अनुपात के अनुसार उसके मनोनीत या मनोनीतों को देय हो जाएगी;

(ब) यदि जमाकर्ता के परिवार के सदस्य या सदस्यों के हित में ऐसा कोई नामांकन नहीं है या यदि ऐसा नामांकन निधि में उसके खाते में जमा रकम के किसी अंश से ही सम्बंधित है, तो सारी रकम या उसका भाग जिससे नामांकन सम्बंधित नहीं है, जैसी भी स्थिति हो, कोई भी नामांकन उसके परिवार के सदस्य या सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के हित में होने पर भी, उसके परिवार के सदस्यों को बराबर अंशों में देय हो जाएगी :

परन्तु निम्नांकित को कोई हिस्सा देय नहीं होगा :—

(1) उसके पुत्र जो व्यस्क हो गए हैं;

(2) उसके मृतक पुत्र के पुत्रों को व्यस्क हो गए हों;

(3) विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित हों;

(4) उसके मृतक पुत्र की विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित हों;

यदि उसके परिवार में खण्ड (1), (2), (3) और (4) में दिखाए गए सदस्यों के अलावा कोई अन्य सदस्य है;

परन्तु—

यह भी कि मृतक पुत्र की विधवा या विधवायें और बच्चा या बच्चे केवल उस भाग को बराबर हिस्सों में प्राप्त करेंगे, जिस भाग को वह पुत्र, यदि वह जीवित रहता और प्रथम उपबन्ध के अनुच्छेद (1) की व्यवस्थाओं से विमुक्त होता, जमाकर्ता से प्राप्त करता ।

नोट : इन विनियमों के अन्तर्गत जमाकर्ता के परिवार के किसी सदस्य को देय राशि, भविष्य निधि अधिनियम 1925 कर धारा-3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत ऐसे सदस्य को प्रदान की जाएगी ।

(ii) जब जमाकर्ता का परिवार नहीं हो और यदि उसने विनियम-5 की व्यवस्थाओं के अनुसार किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के हित में नामांकन किया हो, तो निधि में उसके खाने में जमा रकम या उसका हिस्सा जिससे नामांकन सम्बधित हो, मनोनयन में दिखलाये गए अनुपात में उसके नामांकित या नामांकितों को देय हो जाएगी ।

नोट–1 : जब नामित, भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा-2 की उप-धारा (सी.) में, जमाकर्ता का आश्रित है तो उस अधिनियम की धारा-3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत ऐसे नामित को प्रदान की जाएगी ।

नोट–2 : जब जमाकर्ता का परिवार नहीं हो और उसके द्वारा विनियम-5 की व्यवस्थाओं के अनुसार दिया गया नामांकन विद्यमान नहीं है अथवा यदि ऐसा नामांकन उसके खाते में जमा राशि के अंश से ही सम्बधित है तो भविष्य निधि अधिनियम, 1925 की धारा-4 की उप-धारा (1) के खण्ड (बी.) और खण्ड (सी.) के उप-खण्ड (i.i) की सुसंगत व्यवस्थाएं, परी राशि या उसके अंश जिससे नामांकन संबंधित नहीं है, के लिए लागू है ।

21-क. जमा सम्बद्ध बीमा योजना

जमाकर्ता की 30 सितम्बर, 1991 को या उससे पहले मृत्यु हो जाने की स्थिति में और जिस पर विनियम-21-ख लागू नहीं होता हो, उसके खाते में जमा धन को प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को लेखा अधिकारी जमाकर्ता की मृत्यु से तुरन्त पूर्व तीन वर्ष के दौरान उसके खाते में जमा अंशदान और उस पर ब्याज की औसत राशि के बराबर अतिरिक्त राशि का भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अधीन करेगा :—

(अ) ऐसे जमाकर्ता के खाते में सकाया रकम उसकी मृत्यु के मास से पूर्व 3 वर्ष के दौरान किसी भी समय निम्न सीमाओं से कम न हुई हो :—

(i) रु. 4,000/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर समय के लिए ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 1300/- या अधिक हो;

(i') रु. 2500/-, उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर समय के लिए ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 900/- या अधिक हो परन्तु रु. 1300/- से कम हो;

(iii) रु. 1500/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर समय ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 291/- या अधिक परन्तु रु. 900/- से कम हो;

(iv) रु. 1000/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर समय ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 291/- से कम हो;

(ब) इस विनियम के अन्तर्गत देय राशि 10,000/- से अधिक नहीं होगी ।

(स) जमाकर्ता ने मृत्यु के समय कम-से-कम 5 वर्ष की सेवा की हो ।

21-ख. जमा सम्बद्ध बीमा संशोधित योजना

जमाकर्ता की मृत्यु पर लेखा अधिकारी जमाकर्ता के खाते में जमा राशि को प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्ति को ऐसे जमाकर्ता की मृत्यु से तुरन्त पूर्व 3 वर्ष के दौरान उसके खाते में अर्थात् बकाया रकम के बराबर अतिरिक्त रकम का भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अधीन करेगा :—

(अ) ऐसे जमाकर्ता के खाते में उसकी मृत्यु के मास से पूर्व 3 वर्ष के दौरान किसी भी समय बकाया निम्नवत् सीमाओं से कम न रहा हो :—

(1) रु. 12,000/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर समय के लिए ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 4000/- या अधिक हो;

(2) रु. 75,00/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर समय ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 2900/- या अधिक हो परन्तु 4000/- से कम हो;

(3) रु. 4500/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर समय ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 1151/- या अधिक हो परन्तु रु. 2900/- से कम हो;

(4) रु. 3000/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर समय ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 1151/- से कम हो ।

(ब) इस विनियम के अन्तर्गत देय अतिरिक्त राशि रु. 30,000/- से अधिक नहीं होगी ।

(स) जमाकर्ता ने मृत्यु के समय कम-से-कम 5 वर्ष की हो ।

नोट–1 : औसत बकाया का हिसाब जमाकर्ता के खाते में उसकी मृत्यु के मास से पूर्व प्रत्येक 36 महिनों के अन्त में बकाया के आधार पर किया जाएगा । इस उद्देश्य के लिए, उपर्युक्त निर्धारित न्यूनतम बकाया राशि की जांच के लिए भी—

(अ) मार्च के अन्त में बकाया राशि में विनियम-11 की शर्तों के अनुसार जमा किया गया वार्षिक ब्याज भी शामिल होगा, और

(ब) यदि पूर्वोक्त 36 मासों का अन्तिम मास मार्च नहीं होता है तो उक्त 36 मासों के अन्तिम मास के अन्त में बकाया राशि में, उस वित्तीय वर्ष, जिसमें मृत्यु होती है, के प्रारम्भ से लेकर उक्त अन्तिम मास तक की अवधि के लिए ब्याज भी शामिल होगा ।

नोट–2 : इस योजना के अन्तर्गत भुगतान पूर्ण रुपयों में ही होगा । यदि देय राशि में रुपये का अंश भी शामिल है तो उसे निकटतम पूर्ण रुपये में परिवर्तित कर दिया जाएगा (जैसे 0.50 पैसे को अगला उच्चतर रुपया गिना जाएगा) ।

नोट–3 : इस योजना के अन्तर्गत देय कोई भी राशि बीमा धन के स्वरूप की है और इसलिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम 19) की धारा (3) के द्वारा दी गई वैधानिक सुरक्षा इस योजना के अन्तर्गत दी गई रकमों पर लागू नहीं होती है ।

नोट–4 : यह योजना निधि के उन जमाकर्ताओं पर भी लागू होती है जो किसी सरकारी विभाग के स्वायत्तशासी संगठन में रूपान्तरण के परिणामस्वरूप उसमें स्थानान्तरित हो जाते हैं और ऐसे स्थानान्तरण पर उनको दिए गए विकल्पों की शर्तों के अनुसार इन विनियमों के अनुसार निधि में अंशदान करने का विकल्प देते हैं ।

नोट–5 : (अ) बोर्ड के उस कर्मचारी के मामले में, जो विनियम-4 के अन्तर्गत इस निधि का सदस्य बना हो लेकिन 3 वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई हो या जैसी भी स्थिति हो, उसके निधि का सदस्य बनने की तारीख से 5 वर्ष की सेवा अवधि, पूर्व नियोक्ता के अधीन उसकी सेवावधि जिसके लिए उसके अंशदान और नियोक्ता के अंशदान की राशि, यदि कोई हो, ब्याज सहित प्राप्त हो गई हो, अनुच्छेद (अ) और (स) के लिए गिनी जाएगी ।

(ब) सावधि आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के मामले में और पुनर्नियुक्त पेंशनभोगियों के मामले में केवल ऐसी नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की तारीख से की गई सेवा अवधि, जैसी भी स्थिति हो, इस विनियम के उद्देश्य के लिए गिनी जाएगी ।

(स) अनुबन्ध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों पर यह योजना लागू नहीं होती है ।

नोट–6 : इस योजना के सम्बन्ध में बजट अनुमान निधि लेखा के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी लेखा अधिकारी द्वारा व्यय की प्रवृत्ति का ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार तैयार किया जाएगा जैसा कि अन्य निवृत्ति लाभों के लिए अनुमान तैयार किए जाते हैं ।

22. कटौतियां

शर्त यह है कि निधि में जमाकर्ता के खाते में जमा राशि का निधि से भुगतान कर दिए जाने से पहले ऐसी कोई कटौती नहीं की जाएगी, जो जमाकर्ता के खाते में जमा राशि का बोर्ड द्वारा किए अंशदान व उस पर विनियम-11 एवं 12 के अन्तर्गत ब्याज की राशि से अधिक कम कर दे,

(क) अध्यक्ष उसमें से—

परन्तु—

(1) ऐसे अंशदान और ब्याज की परिचायक राशियों की कटौती करने और बोर्ड को भुगतान करने के निदेश देगा, यदि जमाकर्ता को दुर्व्यवहार दिवालियापन या अदक्षता के कारण नौकरी से निकाल दिया जाता है ;

परन्तु—

जहां अध्यक्ष इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि ऐसी कटौती जमाकर्ता के लिए असाधारण कठिनाई पैदा कर देगी, तो वह आदेश द्वारा उसे ऐसी कटौती से, जो ऐसे अंशदान तथा ब्याज की रकम, जो जमाकर्ता को स्वास्थ्य आधार पर सेवा-निवृत्त होने की अवस्था में देय होती के दो-तिहाई से अधिक नहीं होगी, मुक्त कर सकता है ;

परन्तु यह भी कि—

यदि नौकरी से निकाले जाने के ऐसे आदेश बाद में रद्द कर दिए जाते हैं तो इस प्रकार काटी गई राशि उसकी सेवा में बहाली होने पर उसके खाते में जमा कर दी जाएगी ।

(2) ऐसे अंशदान एवं ब्याज की परिचायक राशियों की कटौती करने और बोर्ड को भुगतान करने के निदेश देगा, यदि जमाकर्ता नौकरी पर लगने के पांच साल के अन्दर नौकरी से त्याग-पत्र दे देता है या मृत्यु, सेवा-निवृत्ति आयु होने या सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा आगे नौकरी करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिए जाने या पद की समाप्ति या स्थापना की कमी जैसे कारणों के अलावा अन्यथा कारणों से बोर्ड का कर्मचारी नहीं रहता है ।

(ख) अध्यक्ष उसमें से जमाकर्ता द्वारा बोर्ड को देय देनदारी के अन्तर्गत किसी भी रकम कटौती करने और बोर्ड को भुगतान करने के आदेश देगा ।

टिप्पणी–1 : इस विनियम के खण्ड-क के उप-खण्ड (ii) के उद्देश्य के लिए—

(अ) पांच साल की अवधि की गणना, बोर्ड में जमाकर्ता की निरन्तर सेवा के प्रारम्भ से की जाएगी;

(ब) केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग में या राज्य सरकार के अन्तर्गत या सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित निकाय या समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत पंजीकृत स्वायत्त-शासी संगठन में बिना किसी व्यवधान के और बोर्ड की उचित अनुमति से नियुक्ति प्राप्त करने के लिए सेवा से दिया गया त्याग-पत्र, बोर्ड की सेवा से त्याग-पत्र नहीं समझा जाएगा।

नोट 2 : इस विनियम के अन्तर्गत अध्यक्ष की शक्तियों का उपयोग, उसमें उल्लिखित राशियों के संबंध में, विनियम-13 के उप-विनियम (2) के अन्तर्गत विशेष कारणों के लिये अग्रिम मंजूरीकर्ता सक्षम प्राधिकारी द्वारा भी किया जा सकता है।

23. निधि की रकम के भुगतान का तरीका

(1) जब निधि में जमाकर्ता के खाते में जमा रकम अथवा विनियम-22 के अन्तर्गत किसी कटौती के बाद उसकी बकाया राशि देय हो जाती है, तो अपने आप को सन्तुष्ट करने के बाद, जब उस विनियम के अन्तर्गत ऐसी किसी कटौती का निदेश नहीं दिया गया हो, कि कोई कटौती नहीं की जानी है, लेखा अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह उप-विनियम (3) की व्यवस्थाओं के अनुसार लिखित आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर भुगतान करे।

(2) यदि वह व्यक्ति, जिसे इन विनियमों के अन्तर्गत किसी रकम का भुगतान किया जाना है, पागल है और उसकी सम्पत्ति के लिये भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 के अधीन इसके लिये प्रबन्धक की नियुक्ति की गई हो तो भुगतान प्रबन्धक को किया जाएगा न कि पागल व्यक्ति को :

परन्तु--

जहां प्रबन्धक नियुक्त नहीं किया गया हो और जिस व्यक्ति को रकम देय है उसे मैजिस्ट्रेट द्वारा पागल प्रमाणित कर दिया गया हो तो भुगतान जिलाधीश के आदेश पर भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 की धारा-95 की उप-धारा (1) की शर्तों के अनुसार उस व्यक्ति को किया जाएगा जो उस पागल के लिये भारित है और लेखा अधिकार, जितनी रकम उपयुक्त समझेगा, उस व्यक्ति, जो पागल के लिये भारित है, को भुगतान करेगा और अधिशेष राशि, यदि कोई हो, या उसका कोई भाग, जैसा भी वह उपयुक्त समझे, पागल के परिवार के सदस्यों को जो उस पर आश्रित है, के निर्वाह हेतु देगा।

(3) रकम का भुगतान केवल भारत में ही किया जाएगा। जिन व्यक्तियों को रकमें देय होंगी वह भुगतान को भारत में प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रबन्ध करेंगे। जमाकर्ता द्वारा भुगतान के दावे के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाएगी, नामत :-

(1) कार्यालय अध्यक्ष प्रत्येक जमाकर्ता को निधि से रकम निकालने के लिए आवेदन करने के लिये या तो उसकी सेवा निवृत्ति की आयु पूरी होने की तारीख से एक वर्ष पूर्व या उसकी निवृत्ति की अपेक्षित तारीख, यदि पहले हो, से पहले आवश्यक आवेदन-पत्र भेजेगा जिसमें यह हिदायतें होंगी कि जमाकर्ता इन प्रपत्रों को प्राप्त करने की तारीख से एक महीने के भीतर विधिवत् भर कर वापस भेज दें। जमाकर्ता विभागाध्यक्ष या कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से लेखा अधिकारी को निधि में उसके खाते में जमा रकम के भुगतान के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन निम्नांकित के लिए किया जाएगा :

(अ) निधि में उसके खाते में जमा रकम, जो उसकी सेवा-निवृत्ति की तारीख या निवृत्ति की अपेक्षित तारीख से एक वर्ष पूर्व समाप्त हुए वर्ष की लेखा विवरणी में दिखाई गई है, के लिये; या

(ब) यदि जमाकर्ता को लेखा-विवरणी प्राप्त नहीं हुई हो तो उस मामले में उसके बही-खाता में अंकित रकम के लिये।

(2) कार्यालय अध्यक्ष आवेदन-पत्र को, जमाकर्ता द्वारा लिए गए अग्रिमों, जो अभी विद्यमान हैं, के प्रति की गई वसूलियों तथा किस्तों की संख्या जो अभी वसूल की जानी हैं का उल्लेख करके, और जमाकर्ता द्वारा लेखा अधिकारी द्वारा जारी पिछली विवरणी के बाद निकाले गए धन, यदि कोई हो, का भी उल्लेख करके, लेखा अधिकारी को अग्रप्रेषित करेगा।

(3) लेखा अधिकारी, बही-खाता से सत्यापन करने के बाद, आवेदन-पत्र में उल्लिखित रकम के भुगतान के लिए सेवा निवृत्ति की आयु होने से कम-से-कम एक महीना पहले प्राधिकार जारी करेगा, किन्तु यह रकम सेवा-निवृत्ति की तारीख को ही भुगतान योग्य होगी।

(4) अनुच्छेद-3 में वर्णित प्राधिकार भुगतान की पहली किस्त के लिये होगा। इस उद्देश्य के लिये दूसरा प्राधिकार सेवा-निवृत्ति के बाद जितनी जल्दी सम्भव हो जारी किया जाएगा। यह जमाकर्ता के द्वारा अनुच्छेद (1) के अन्तर्गत किये गये आवेदन में वर्णित रकम के बाद किये गए अंशदान तथा उन अग्रिमों, जो पहले आवेदन-पत्र के समय चालू थे, के प्रति वापिस की गई किस्तों से संबंधित होगा।

(5) अनन्तिम भुगतान के लिये लेखा अधिकारी को आवेदन-पत्र अग्रप्रेषित करने के बाद, अग्रिम/धन-निकासी की मंजूरी दी जाएगी, लेकिन राशि संबंधित लेखा अधिकारी के प्राधिकार पर ही निकाली जाएगी, जो मंजूरीकर्ता प्राधिकारी से औपचारिक मंजूरी प्राप्त होने पर तुरन्त इसका प्रबन्ध करेगा ।

पैंशन योग्य सेवा

24. पैंशन योग्य सेवा में स्थानान्तरण पर कार्यविधि :

(1) यदि जमाकर्ता स्थाई तौर पर बोर्ड के अधीन पैंशन-योग्य सेवा में स्थानान्तरित हो जाता है तो वह अपनी इच्छानुसार–

(अ) निधि में अंशदान जारी रखने का पात्र होगा, इस मामले में वह किसी पैंशन का पात्र नहीं होगा;

या

(ब) ऐसी पैंशन-योग्य सेवा में पैंशन अर्जित करने का पात्र होगा, इस मामले में वह अपने स्थाई स्थानान्तरण की तारीख से—

(1) निधि मे अंशदान करने का पात्र नहीं रहेगा;

(2) निधि में उसके खाते में बोर्ड के अंशदान की जमा राशि उस पर ब्याज सहित बोर्ड को वापस की जाएगी;

(3) निधि में उसके खाते में जमा उसके अंशदान की राशि उस पर ब्याज सहित सामान्य भविष्य निधि में उसके खाते मे अन्तरित कर दी जाएगी जिसमें वह उस निधि के नियमानुसार अंशदान करेगा; और

(4) वह स्थाई स्थानान्तरण की तारीख से पूर्व की सेवा को सुसंगत पैंशन नियमों के अन्तर्गत ग्राह्य सीमा तक पैंशन सेवा के लिये गणना करने का पात्र होगा।

(2) जमाकर्ता उप-विनियम-1 के अन्तर्गत उसके पैंशन-योग्य सेवा में स्थाई स्थानान्तरण के आदेश की तारीख से 3 महीने के भीतर लेखा अधिकारी को अपना विकल्प देगा और यदि उक्त समयावधि के दौरान लेखा अधिकारी को कोई विकल्प प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि जमाकर्ता ने उक्त उप-विनियम के खण्ड (ब) में दिये अनुसार अपना विकल्प दिया है।

25. कार्यविधि विनियम

(1) अंशदान के भुगतान के समय लेखा-संख्या उद्धृत करना : जमाकर्ता जब भारत में अंशदान का भुगतान या तो परिलब्धियों से कटौती द्वारा या नकद कर रहा हो तो उस समय वह लेखा अधिकारी द्वारा सूचित किए गए निधि में अपने लेखा-संख्या को उद्धृत करेगा।

26. जमाकर्ता को लेखे की वार्षिक विवरणी देना :

प्रत्येक वर्ष 31 मार्च के बाद यथाशीघ्र लेखा अधिकारी प्रत्येक जमाकर्ता को निधि मे उसके लेखे का विवरण प्रेषित करेगा, जिसमें वर्ष की एक अप्रैल को प्रारम्भिक बकाया, वर्ष के दौरान जमा की गई या निकाली गई कुल रकम, वर्ष के 31 मार्च तक जमा की गई ब्याज की कुल रकम और उस तारीख तक अन्तिम बकाया दिखाया जाएगा। लेखा अधिकारी लेखा विवरणी के साथ यह पूछताछ संलग्न करेगा कि क्या जमाकर्ता—

(अ) विनियम-5 के अन्तर्गत दिये गये किसी नामांकन में किसी परिवर्तन करने की इच्छा रखता है;

(ब) ने परिवार अर्जित कर लिया है, उन मामलों में जहां जमाकर्ता ने विनियम-5 के उप-विनियम (1) के उपबंध के अन्तर्गत नामांकन अपने परिवार के सदस्य के पक्ष में न दिया हो।

(2) जमाकर्ता को वार्षिक विवरणी की विशुद्धता से स्वयं को सन्तुष्ट करना चाहिये और यदि कोई त्रुटि हो तो विवरणी प्राप्त करने के तीन महीने के अन्दर लेखा अधिकारी के ध्यान मे लाना चाहिये।

(3) जमाकर्ता यदि चाहेगा तो लेखा अधिकारी, वर्ष में केवल एक बार, जमाकर्ता को उस अन्तिम माह जिसके लिये उसका खाता लिख दिया गया हो के अन्त में निधि में उसके खाते में कुल जमा रकम की सूचना देगा।

सामान्य

27. व्यक्तिगत मामलों में विनियमों के प्रावधानों में शिथिलता देना

जब अध्यक्ष इस बात से सन्तुष्ट हो जाए कि इन विनियमों के किसी विनियम के प्रचलन से जमाकर्ता को अनुचित कठिनाई होती है या होने की सम्भावना है, तो वह इन विनियमों में अन्यथा होते हुए भी, ऐसे जमाकर्ता के मामले को इस प्रकार से निपटाएगा जो उसे उचित लगे।

28. व्याख्या : यदि इन विनियमों की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो उसे बोर्ड के पास भेजा जाएगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

29. निधियों का प्रशासन : निधि का प्रशासन सदस्य सचिव द्वारा किया जाएगा।

30. निधि का निवेश : निधि का निवेश भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित प्रतिमानों पर और प्रतिभूतियों में किया जाएगा।

31. केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अंशदायी भविष्य निधि नियम (भारत), 1962 के परिवर्धन/स्पष्टीकरण में अपने कर्मचारियों के लिये जारी किये गए सभी निर्णय एवं आदेश आवश्यक परिवर्तन सहित इस बोर्ड के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार द्वारा अंशदायी भविष्य निधि नियमों (भारत), 1962 में अपने कर्मचारियों के लिये समय-समय पर किये गए संशोधन/परिशोधन/परिवर्धन आवश्यक परिवर्तन सहित इस बोर्ड के कर्मचारियों पर लागू होंगे।

32. इन विनियमों में कोई भी संशोधन/परिवर्तन वित्त मंत्रालय/पैंशन एवं पैंशनभोगी कल्याण विभाग के परामर्श से किया जाएगा।

अनुसूची [विनियम 5 (3)]

नामांकन पत्र

मैं,.....एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों जो, जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अंशदायी भविष्य निधि विनियम, 1990 के विनियम–2 में परिभाषित है, मेरे परिवार का/ के सदस्य हैं/नहीं हैं/है/नहीं है को निधि में मेरे खाते में जमा राशि को, जिसके देय होने से पहले या देय हो जाने पर भुगतान होने से पहले ही मेरी मृत्यु हो जाने की अवस्था में, निम्नानुसार प्राप्त करने के लिए नामित करता हूं।

नामित (तों) का नाम व पूरा पता	जमाकर्ता के साथ सम्बन्ध	नामित की आयु	नामित (तों) को देय भाग	घटना जिसके घटने पर नामांकन अवैध हो जाएगा	उस/उन व्यक्ति (यों), यदि कोई हो, जिन्हें जमाकर्ता की मृत्यु से पहले ही नामित की मृत्यु हो जाने की अवस्था में नामित का अधिकार चला जाएगा, का नाम पूरा पता व उसका/ उनका जमाकर्ता के साथ सम्बन्ध	यदि नामित जमाकर्ता के परिवार का सदस्य नहीं है जैसा कि विनियम–2 में परिभाषित है, तो उन कारणों का उल्लेख करें।

दिनांक : तारीख .....मास.....19 , स्थान :.....

जमाकर्ता के हस्ताक्षर.....

पूरा नाम .....

पदनाम .....

दो साक्षियों के हस्ताक्षर

नाम व पूरा पता हस्ताक्षर

1.....

2.....

कार्यालय अध्यक्ष/वित्त एवं लेखा अधिकारी द्वारा प्रयोग हेतु स्थान

श्री/श्रीमती.....पदनाम.....द्वारा नामाकन

नामांकन की प्राप्ति की तारीख .....

कार्यालय अध्यक्ष/वित्त एवं लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर

पदनाम.....

तारीख.....

जमाकर्ता के लिए निर्देश—

(अ) अपना नाम भरा जाए ।

(ब) निधि का नाम उचित रूप से पूरा किया जाए।

(स) शब्द "परिवार" की परिभाषा जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अंशदायी भविष्य निधि विनियम, 1990 में दी गई है पुनः प्रस्तुत की जाती है।

"परिवार" से अभिप्राय :—

(1) पुरुष जमाकर्ता के मामले में, जमाकर्ता की पत्नी, माता-पिता, बच्चे, नाबालिग भाई, अविवाहित बहनें, और जमाकर्ता के मृतक पुत्र की विधवा तथा बच्चे, तथा जहां जमाकर्ता के माता-पिता जीवित नहीं है पैतृक दादा-दादी :

बशर्ते कि—

यदि जमाकर्ता यह सिद्ध कर देता है कि उसकी पत्नी न्यायिक तौर से उससे अलग हो गई है या सम्प्रदाय जिससे वह संबंधित है की प्रथा अनुसार निर्वाह भत्ता की पात्रता से वंचित हो गई है, तो उन मामलों के लिये जिनमें यह विनियम लागू होते है, उसे जमाकर्ता के परिवार की सदस्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि जमाकर्ता बाद में लेखा अधिकारी को लिखित में सूचित नहीं करता है कि उसे उसके परिवार की सदस्य ही समझा जाए।

(2) महिला जमाकर्ता के मामले में, उसका पति, माता-पिता, बच्चे, नाबालिग भाई, अविवाहित बहनें, उसके मृतक पुत्र की विधवा और बच्चे, और जहां जमाकर्ता के माता-पिता जीवित नहीं है, पैतृक दादा-दादी :

बशर्ते कि—

यदि जमाकर्ता लेखा अधिकारी को लिखित नोटिस द्वारा अपने पति को अपने परिवार की सदस्यता से बाहर रखने की इच्छा व्यक्त करती है, तो उन मामलों के लिये जिनमें यह विनियम लागू होते है, परिवार का सदस्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि जमाकर्ता बाद में इस प्रकार के नोटिस को लिखित में रद्द नहीं कर देती है।

नोट : —बच्चे से अभिप्राय न्यायोचित बच्चे से है और इसमें गोद लिया गया बच्चा भी सम्मिलित है जहां पर कि वैयक्तिक कानून, जिससे जमाकर्ता प्रशासित है, द्वारा मान्य हो।

(द) यदि एक ही व्यक्ति है तो कालम 4 में नामित के सामने शब्द "पूरा" लिखा जाना चाहिए। यदि एक से अधिक व्यक्ति नामित जाते है, तो भविष्य निधि में जमा राशि में से प्रत्येक नामित को देय हिस्सा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(ई) कालम 5 में नामित की मृत्यु के आकस्मिकता घटना के तौर पर उल्लेख नहीं करनी चाहिये ।

(र) कालम 6 में अपने नाम का उल्लेख न करें।

(ल) नामांकन में अन्तिम प्रविष्टी के नीचे तिरछी रेखा खींच दें ताकि आपके द्वारा हस्ताक्षर कर देने के बाद इसमें और को प्रविष्टी न कर सके ।

सं. सी-11013/1/88 रा. रा. क्षे. यो. बो.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड, केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमोदन से निम्नलिखित विनियम बनाता है, जैसे :—

1. लघु शीर्षक एवं प्रारम्भ :—

(अ) इन विनियमों को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड सामान्य भविष्य निधि नियम, 1990 कहा जाए।

(ब) यह विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. परिभाषाएं :

इन विनियमों में जब तक प्रसंग में अन्यथा आवश्यक न हो,—

(1) "अधिनियम" का अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 (1985 का 2) से है;

(2) "लेखा अधिकारी" से अभिप्राय उस अधिकारी से है जिसे जमाकर्ता के भविष्य निधि लेखा के अनुरक्षण/रख-रखाव का कार्य सौंपा गया है;

(3) "बोर्ड" से अभिप्राय अधिनियम की धारा-3 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत गठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड से है;

(4) "अध्यक्ष" से अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के अध्यक्ष से है;

(5) "परिलब्धियों" से अभिप्राय वेतन, अवकाश वेतन या निर्वाह अनुदान से है जैसा कि विनियम में परिभाषित है और इसमें निम्नांकित भी सम्मिलित होगा —

(अ) वेतन के उपयुक्त मंहगाई वेतन, अवकाश वेतन या निर्वाह अनुदान, यदि ग्राह्य हो;

(ब) बोर्ड द्वारा कर्मचारियों को दिया गया कोई भी वेतन जो नियत मासिक वेतन द्वारा न आंका जाए; और

(स) वेतन के स्वरूप कोई भी पारिश्रमिक जो विदेश सेवा के संबंध में प्राप्त किया हो।

(6) "परिवार" से अभिप्राय :—

(अ) पुरुष जमाकर्ता के मामले में, जमाकर्ता की पत्नी, माता-पिता, बच्चे, नाबालिग भाई, अविवाहित बहनें, और जमाकर्ता के मृतक पुत्र की विधवा तथा बच्चे, तथा जहां जमाकर्ता के

माता-पिता जीवित नहीं हैं पैतृक दादा-दादी :

यदि जमाकर्ता यह सिद्ध कर देता है कि उसकी पत्नी न्यायिक तौर से उससे अलग हो गई है या सम्प्रदाय जिससे वह संबंधित है की प्रथा अनुसार निर्वाह भत्ता की पात्रता से वंचित हो गई है, तो उन मामलों के लिये जिनमें यह विनियम लागू होते हैं, उसे जमाकर्ता के परिवार की सदस्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि जमाकर्ता बाद में लेखा अधिकारी को लिखित में सूचित नहीं करता है कि उसे उसके परिवार की सदस्य ही समझा जाए।

(ब) महिला जमाकर्ता के मामले में, उसका पति, माता-पिता, बच्चे, नाबालिग भाई, अविवाहित बहनें, उसके मृतक पुत्र की विधवा और बच्चे, और जहां जमाकर्ता के माता-पिता जीवित नहीं हैं, पैतृक दादा-दादी :

बशर्ते कि—

यदि जमाकर्ता लेखा अधिकारी को लिखित नोटिस द्वारा अपने पति को अपने परिवार की सदस्यता से बाहर रखने की इच्छा व्यक्त करती है, तो उसे उन मामलों के लिये जिनमें यह नियम लागू होते हैं, परिवार का सदस्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि जमाकर्ता बाद में इस प्रकार के नोटिस को लिखित में रद्द नहीं कर देती है।

(7) "निधि" से अभिप्राय सामान्य भविष्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड) निधि से है;

(8) "अवकाश" से अभिप्राय विनियमों द्वारा मान्य किसी भी प्रकार के अवकाश से है;

(9) "सदस्य सचिव" से अभिप्राय बोर्ड के सदस्य सचिव से है;

(10) "विनियम" से अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी के लिए योजना बोर्ड सामान्य भविष्य निधि विनियम, 1990 से है;

(11) "वर्ष" से अभिप्राय वित्तीय वर्ष से है।

इन विनियमों में प्रयुक्त कोई अन्य अभिव्यक्ति अथवा शब्द जिसे या तो भविष्य निधि अधिनियम 1925 (1925 का नियम 19) या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड नियमावली, 1986 में परिभाषित किया गया हो, को उनमें परिभाषित संदर्भ में ही प्रयुक्त किया जाए।

3. निधि का गठन

(1) निधि का रख-रखाव रुपयों में किया जाएगा।

(2) इन नियमों के अन्तर्गत निधि में जमा की गई सभी राशियां बोर्ड के "सामान्य भविष्य निधि (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड) लेखा" खाते में जमा की जाएंगी। कोई भी भुगतान राशि जिसका भुगतान इन विनियमों के अन्तर्गत देय होने के बाद 6 महीने के अन्दर नहीं लिया जाता है तो उस राशि को उस वर्ष के अन्त में "डिपोजिट" में अन्तरित कर दिया जाएगा और उसे सामान्य विनियमों के अन्तर्गत "डिपोजिट" से संबंधित माना जाएगा।

4. पात्रता की शर्तें :

बोर्ड के सभी अस्थाई कर्मचारी एक वर्ष की निरन्तर सेवा के पश्चात्, सभी पुनर्नियोजित पेंशनभोगी ["अंशदायी भविष्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड) निधि" के लिए पात्र को छोड़कर] और बोर्ड के स्थाई कर्मचारी इस निधि में अंशदान करेंगे :

परन्तु—

ऐसा कोई भी कर्मचारी जिसे अंशदायी भविष्य निधि में अंशदान करना आवश्यक हो या अंशदान करने की अनुमति दी गई हो, इस निधि का सदस्य बनने या अंशदाता बना रहने का पात्र नहीं है, जब वह ऐसी निधि में अंशदान करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

5. नामांकन

(1) प्रत्येक जमाकर्ता सामान्य भविष्य निधि का सदस्य बनते समय कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से लेखा अधिकारी को नामांकन भेजेगा, जिसमें उसकी मृत्यु होने की अवस्था में उस राशि जो उसके भविष्य निधि खाते में जमा है, के देय होने से पहले या देय होने पर भुगतान न की गई हो, को एक या एक से अधिक व्यक्तियों को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करेगा :

परन्तु—

जहां जमाकर्ता अवयस्क हो, तो वह वयस्क होने पर ही नामांकन करेगा :

परन्तु यह भी कि—

यदि नामांकन करते समय जमाकर्ता का परिवार हो, तो नामांकन उसके परिवार के सदस्य या सदस्यों के पक्ष में ही किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि—

जमाकर्ता इस निधि का सदस्य बनने से पूर्व किसी अन्य भविष्य निधि में अंशदान कर रहा था और उस निधि में उसके जमा धन को इस भविष्य निधि में उसके खाते में अन्तरित कर दिया गया है तो उस निधि के लिये किया गया नामांकन इस विनियम के लिए किया गया नामांकन समझा जाएगा जब तक कि वह इस विनियम के अनुसार नामांकन नहीं देता है।

(2) यदि जमाकर्ता उप-विनियम (1) के अन्तर्गत एक से अधिक व्यक्तियों को नामित करता है तो उसे नामांकन में प्रत्येक नामजद को देय राशि या भाग इस तरह स्पष्ट करना होगा जिससे उसके भविष्य निधि खाते में जमा राशि किसी भी समय पूरी-पूरी बंट जाए।

(3) प्रत्येक नामांकन प्रथम अनुसूची में दिये गये फार्म में किया जाएगा।

(4) जमाकर्ता किसी भी समय लेखा अधिकारी को लिखित नोटिस भेजकर अपने नामांकन को रद्द कर सकता है। जमाकर्ता

को ऐसे नोटिस के साथ या अलग से इस विनियम के उपबंधों के अनुसार नया नामांकन भेजना होगा ।

(5) जमाकर्ता नामांकन पत्र में निम्नलिखित उल्लेख कर सकता है :—

(अ) किसी विनिर्दिष्ट नामजद के सम्बंध में, कि जमाकर्ता की मृत्यु से पूर्व नामजद की मृत्यु होने पर उसको दिया गया अधिकार नामांकन में उल्लिखित ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों को चला जाएगा, बशर्ते कि ऐसा अन्य व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जमाकर्ता के परिवार के अन्य सदस्य होंगे, यदि जमाकर्ता के परिवार में अन्य सदस्य हों । जमाकर्ता जहां ऐसा अधिकार इस खण्ड के अन्तर्गत एक से अधिक व्यक्तियों को देता है, तो वह प्रत्येक व्यक्ति को देय राशि का भाग इस तरह से विनिर्दिष्ट करेगा कि नामजद को दी जाने वाली राशि पूरी-पूरी उनमें बंट जाए ।

(ब) किनामांकन उसमें विनिर्दिष्ट किसी घटना के घटित होने की स्थिति में अवैध हो जाएगा :

बशर्ते कि—

यदि नामांकन करते समय जमाकर्ता का परिवार न हो तो वह नामांकन में उल्लेख करेगा कि बाद में उसके परिवार के हो जाने पर यह नामांकन अवैध हो जाएगा :

परन्तु यह भी कि—

यदि नामांकन करते समय जमाकर्ता के परिवार में एक ही सदस्य है तो नामांकन पत्र में यह उल्लेख करेगा कि खण्ड (अ) के अन्तर्गत दूसरे नामजद को दिया गया अधिकार बाद में उसके परिवार के सदस्य या सदस्यों के हो जाने पर अवैध हो जाएगा ।

(6) किसी नामजद, जिसके बारे में उप-विनियम-5 के खण्ड (अ) के अन्तर्गत नामांकन में कोई विशेष उपबंध नहीं किया गया हो, की मृत्यु के तुरन्त बाद या किसी घटना के घटने पर जिसके कारण उप-विनियम-5 के खण्ड (ब) या उसके उपबंधों के अनुसरण में नामांकन अवैध हो जाता है, तो जमाकर्ता लेखा अधिकारी को नामांकन को रद्द करने के लिए लिखित नोटिस इस विनियम के उपबंधों के अनुसरण में नये किए गए नामांकन सहित, भेजेगा ।

(7) जमाकर्ता द्वारा किया गया प्रत्येक नामांकन और दिया गया प्रत्येक रद्दकरण नोटिस, जब तक वैध रहेगा, उसी दिन से प्रभावी होगा जिस दिन वह लेखा अधिकारी को प्राप्त होगा ।

6. जमाकर्ता का लेखा

प्रत्येक जमाकर्ता के नाम से एक लेखा खोला जाएगा, जिसमें निम्न विवरण दिखाया जाएगा :

(1) जमाकर्ता का अंशदान;

(2) विनियम-11 में उल्लिखितानुसार अंशदान पर ब्याज;

(3) निधि से लिया गया अग्रिम तथा निकाली गई राशि आदि ।

अंशदान की शर्तें एवं दर

7. अंशदान की शर्तें

(1) जमाकर्ता उस अवधि जब वह निलम्बित हो को छोड़कर प्रतिमास निधि में अंशदान करेगा :

परन्तु

जमाकर्ता अपनी इच्छानुसार अपनी छुट्टी की अवधि के दौरान जिसमें किसी प्रकार का अवकाश वेतन प्राप्य न हो या अवकाश वेतन, अर्ध-वेतन या अर्ध औसत वेतन के बराबर या उससे कम, प्राप्य हो, अंशदान न करे :

परन्तु यह भी कि—

यदि जमाकर्ता निलम्बन अवधि की समाप्ति पर बहाल हो जाता है तो उसे यह विकल्प दिया जाएगा कि वह उस राशि, जो उस अवधि (निलम्बन अवधि) के लिए देय बकाया अंशदान की राशि से अधिक न हो, को एक मुश्त जमा करे या किस्तों में ।

(2) जमाकर्ता उप-विनियम (1) के प्रथम उपबंध में उल्लिखित अवकाश के दौरान निधि में अंशदान न करने के अपने चुनाव को निम्नानुसार सूचित करेगा ।

(अ) यदि वह अपने वेतन बिलों का स्वयं आहरण अधिकारी है, तो अवकाश पर जाने के बाद उसके प्रथम वेतन बिल से अंशदान की कटौती न करके;

(ब) यदि वह अपने वेतन बिलों का स्वयं आहरण अधिकारी नहीं है, तो अवकाश पर जाने से पहले अपने कार्यालय अध्यक्ष को लिखित सूचना द्वारा ।

उचित रूप से व समय पर सूचना न भेजने पर यह समझा जाएगा कि जमाकर्ता अंशदान करना चाहता है ।

जमाकर्ता द्वारा इस उप-विनियम के अन्तर्गत दिये गए विकल्प की सूचना अन्तिम होगी ।

(3) जमाकर्ता जिसने विनियम-18 के अन्तर्गत निधि में उसके खाते में जमा राशि निकाल ली है, वह ऐसी धन निकासी के बाद, जब तक कि वह कार्य पर वापस नहीं आ जाता है निधि में जमा नहीं करेगा ।

8. अंशदान की दर

(1) जमाकर्ता द्वारा अंशदान की राशी निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वयं निश्चित की जाएगी ।

(अ) इसको पूर्ण रूपयों में ही लिखा जाएगा;

(ब) ऐसी बताई गई कोई भी राशि जमाकर्ता की परिलब्धियों के 6% से कम और परिलब्धियों से अधिक नहीं होनी चाहिए ।

परन्तु —

उस जमाकर्ता के मामले में जो इससे पूर्व बोर्ड के अंशदायी भविष्य निधि में 8 1/3% की उच्च दर से अंशदान कर रहा हो, तो ऐसी बताई गई कोई भी राशि उसकी परिलब्धियों के 8 1/3% से कम और उसकी कुल परिलब्धियों से अधिक नहीं होगी ।

(स) जब बो का कर्मचारी 6% या 8 1/3% की न्यूनतम दर, जैसी भी स्थिति हो, से अंशदान करने का चुनाव करता है तो रूपये के अंश को उसके समीपतम पूर्ण रूपये में परिवर्तित कर

दिया जाएगा, जैसे कि 50 पैसे को उससे उच्च रूपये में परिवर्तित कर दिया जाएगा ।

(2) उपर्युक्त उप-विनियम (1) के प्रयोजन के लिये जमाकर्ता की परिलब्धियां निम्नलिखित होंगी :—

(अ) उस जमाकर्ता के मामले में जो पिछले वर्ष की 31 मार्च को बोर्ड की सेवा में था, वह परिलब्धियां जिनका वह उस तारीख को पात्र था :

बशर्ते कि—

(1) यदि जमाकर्ता उक्त तारीख को अवकाश पर था और इस अवकाश के दौरान अंशदान न करने को चुना था या उक्त तारीख को निलम्बित था, तो उसकी परिलब्धियां वह परिलब्धियां होंगी जिनका वह ड्यूटी पर वापस आने के पहले दिन पात्र था;

(2) यदि जमाकर्ता उक्त तारीख को भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति पर था या उस तारीख को छुट्टी पर था और छुट्टी पर ही चल रहा हो और ऐसी छुट्टी के दौरान उसने अंशदान करने को चुना हो, तो उसकी परिलब्धियां वह परिलब्धियां होंगी जिनका वह, यदि भारत में ही कार्यरत रहता, का पात्र होगा;

(आ) यदि वह गत-वर्ष की 31 मार्च को ड्यूटी पर या तो बोर्ड की सेवा में नहीं था, वह परिलब्धियां जिनका वह उस बिल से उस महीने के लिये करवाना चाहता है;

(3) जमाकर्ता प्रत्येक वर्ष निम्न प्रकार से अपने अंशदान की राशि नियत करने की सूचना देगा :—

(अ) यदि वह गत-वर्ष की 31 मार्च को ड्यूटी पर था तो उस कटौती द्वारा जो वह इस सम्बंध में अपने वेतन बिल से उस महिने के लिये करवाना चाहता है;

(आ) यदि वह गत-वर्ष की 31 मार्च को अवकाश पर था और ऐसे अवकाश के दौरान अंशदान न करने को चुना हो या उस दिन निलम्बित था, तो उस कटौती द्वारा जो वह इस सम्बंध में ड्यूटी पर लौटने पर अपने प्रथम वेतन बिल में करवाना चाहता है;

(इ) यदि वह वर्ष के दौरान बोर्ड की सेवा में पहली बार आया है, तो उस कटौती द्वारा जो वह इस सम्बंध में, अपने उस महीने के वेतन बिल से जिस महीने वह इस निधि का सदस्य बना है, करवाना चाहता है;

(ई) यदि गत-वर्ष की 31 मार्च को वह छुट्टी पर था और अब भी छुट्टी पर चल रहा हो और ऐसी छुट्टी के दौरान अंशदान करने को चुना हो तो उस कटौती द्वारा जो वह इस सम्बंध में उस महीने के वेतन से करवाना चाहता है;

(उ) यदि वह गत-वर्ष की 31 मार्च को विदेश सेवा में था तो उस राशि द्वारा जो उसने चालू वर्ष के अप्रैल मास के लिये राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना की निधि में अंशदान के कारण जमा की हो ।

(4) **इस प्रकार से नियत की गई अंशदान की राशि—**

(अ) वर्ष के दौरान किसी भी समय एक बार ही घटाई जाए;

(आ) एक वर्ष के दौरान दो बार ही बढ़ाई जाए;

या

(इ) पूर्वोक्तानुसार घटाई-बढ़ाई जाए—

किन्तु इस प्रकार घटाई गई अंशदान की राशि उप-विनियम (1) में निर्धारित न्यूनतम राशि से कम नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि—

यदि जमाकर्ता कलैंडर मास के दौरान अंशतः ड्यूटी पर हो और अंशतः बिना वेतन अवकाश या अर्ध-वेतन अवकाश या अर्ध औसत वेतन अवकाश पर हो तथा ऐसे अवकाश के दौरान उसने अंशदान न करने को चुना हो, तो देय अंशदान की राशि उपरोक्त के अलावा यदि कोई हो, अवकाश सहित ड्यूटी के दिनों के समानुपातिक होगी ।

9. **विदेश सेवा पर स्थानान्तरण या भारत से बाहर प्रतिनियुक्ति:**

जब कोई जमाकर्ता विदेश सेवा में स्थानांतरित हो जाता है या प्रतिनियुक्ति पर भारत से बाहर भेजा जाता है तब भी भविष्य निधि के विनियम उस पर उसी तरह लागू होंगे, यदि उसे विदेश सेवा पर स्थानान्तरित नहीं किया जाता या प्रतिनियुक्ति पर नहीं भेजा जाता ।

10. **अंशदान की वसूली**

(1) जब परिलब्धियां बोर्ड की निधि से भारत में या भारत से बाहर किसी प्राधिकृत संवितरण कार्यालय से ली जा रही हों तो अंशदान तथा अग्रिमों के मूलधन व ब्याज की वसूली जमाकर्ता की परिलब्धियों से की जाएगी ।

(2) जब परिलब्धियां किसी अन्य स्रोत से ली जा रही हों तो जमाकर्ता अपनी देय राशि प्रतिमाह लेखा अधिकारी को भेजेगा :

परन्तु

यदि जमाकर्ता केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित है, में प्रतिनियुक्ति पर है, तो उसके मामले में अंशदान की वसूली और उसका लेखा अधिकारी को अग्रेषण उस सरकार या निकाय द्वारा किया जाएगा ।

(3) यदि जमाकर्ता उस दिन से, जिस दिन से वह इस निधि का सदस्य बना है, अंशदान करने में असफल रहता है या विनियम-7 में किये उपबंध के अलावा, वर्ष के दौरान किसी महीने निधि में अंशदान करने में असफल रहता है तो निधि में अंशदान के बकाया के कारण देय कुल रकम विनियम-11 में उपबन्धित दर से उस पर ब्याज सहित जमाकर्ता द्वारा अविलम्ब निधि में जमा कीम जाएगी, ऐसा न करने पर लेखा अधिकारी उसकी परिलब्धियों से किस्तों या अन्यथा जैसा भी विनियम-12 के उप-विनियम (2) के अन्तर्गत विशेष कारणों के लिए अग्रिम मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी निदेश दें, कटौती द्वारा वसूल करने का आदेश करेगा :

परन्तु

यदि जमाकर्ता, जिनकी निधि में जमा राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता है, ब्याज का भुगतान नहीं करेंगे ।

11. **ब्याज** :

(1) उप-विनियम (5) के उपबन्धों के अधीन बोर्ड जमाकर्ता के खाते में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अपने कर्मचारियों के लिये निर्धारित परिकलन पद्धति के अनुसार प्रति वर्ष के लिये निश्चित की गई दर से ब्याज जमा करेगा ।

(2) ब्याज प्रत्येक वर्ष के अन्तिम दिन से निम्न प्रकार से जमा किया जाएगा :—

(1) पिछले वर्ष के अन्तिम दिन को जमाकर्ता के खाते में जमा राशि पर, उसमें से चालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशि को कम करके, 12 महीनों के लिये ब्याज;

(2) चालू वर्ष के दौरान निकाली गई राशि पर, चालू वर्ष के प्रारम्भ से लेकर जिस माह राशि निकाली गई हो उससे पिछले मास के अन्तिम दिन तक, ब्याज;

(3) पिछले वर्ष के अन्तिम दिन के पश्चात् जमाकर्ता के खाते में जमा की गई सभी राशियों पर, जमा करने की तारीख से चालू वर्ष की समाप्ति तक, ब्याज;

(4) ब्याज की कुल राशि निकटतम पूर्ण रुपये में पूर्ण कर दी जाएगी (जैसे 0.50 पैसे को निकटतम उच्चतर रुपया गिना जाएगा :

परन्तु—

जब जमाकर्ता के खाते में जमा राशि देय हो गई हो, तो उस पर इस विनियम के अन्तर्गत ब्याज, केवल चालू वर्ष के प्रारम्भ या जमा करने की तारीख, जैसी भी स्थिति हो, से लेकर उस तारीख तक जिस तारीख को उसके खाते में जमा राशि देय हो जाती है, तक जमा किया जाएगा ।

(3) इस विनियम के प्रयोजन के लिए, परिलब्धियों से वसूलियों के मामले में, जमा करने की तारीख उस माह का प्रथम दिन माना जाएगा जिस माह वसूलियां की गई हैं, और जमाकर्ता द्वारा अग्रप्रेषित की गई राशियों के मामले उस माह की पहली तारीख जिस माह वह राशियां प्राप्त हो मानी जाएगी, यदि यह राशियां लेखा अधिकारी को उस माह की पांचवीं तारीख से पहले प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन यदि यह राशियां उस माह की पांचवी तारीख को या उसके पश्चात् प्राप्त होती हैं तो अगले माह की पहली तारीख मानी जाएगी :

परन्तु—

जहां जमाकर्ता के वेतन या छुट्टी वेतन तथा भत्ते लेने में विलम्ब हुआ हो और परिणामस्वरूप निधि में उसके अंशदान की वसूली में भी विलम्ब हुआ हो, तो ऐसे अंशदान पर ब्याज, इस बात का ध्यान रखे बिना कि वेतन या अवकाश वेतन वास्तव में किस माह में लिया गया है, उस माह से देय होगा जिस माह में नियमों के अन्तर्गत जमाकर्ता का वेतन या अवकाश वेतन देय था ।

परन्तु यह और कि—

विनियम-10 के उप-विनियम (2) में परन्तुक के अनुसार भेजी गई राशि के मामले में जमा करने की तारीख उस माह पहली तारीख मानी जाएगी यदि वह राशि लेखा अधिकारी को उस माह की 15 तारीख से पहले प्राप्त हो जाती है :

परन्तु यह और कि—

जहां माह की परिलब्धियां उसी माह के अन्तिम कार्य दिवस को निकाली जाती हैं और वितरित की जाती हैं, तो जमा करने की तारीख, उसके अंशदान की वसूली के मामले में, अनुवर्ती माह की पहली तारीख मानी जाएगी ।

(4) विनियम-17, 18 या 19 के अन्तर्गत भुगतान की जाने वाली किसी भी राशि के अतिरिक्त राशि पर ब्याज उस माह जिस में भुगतान किया जाता है के पूर्ववर्ती माह के अन्त तक या जिस माह में ऐसी राशि देय हो गई हो उसके बाद छठे महीने के अन्त तक, इसमें से जो भी अवधि कम हो, उस व्यक्ति को देय होगा जिसको ऐसी राशि का भुगतान किया जाएगा :

परन्तु—

जहां लेखा अधिकारी ने उस व्यक्ति (या प्रतिनिधि) को यह तारीख, जिस दिन वह नकद भुगतान करने को तैयार है, सूचित कर दी हो या उस व्यक्ति को भुगतान चैक डाक द्वारा भेज दिया हो, तो ब्याज का भुगतान ऐसी सूचित की गई या चैक डाक द्वारा भेजने की तारीख, जैसी भी स्थिति हो, के पूर्ववर्ती माह के अन्त तक किया जाएगा :

परन्तु यह भी कि—

जहां जमाकर्ता केन्द्रीय/राज्य सरकार या केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा/नियंत्रित निकाय या समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी संगठन में प्रतिनियुक्ति पर हो तथा बाद में पूर्व दिनांक से ऐसी सरकार या निकाय या संगठन में समाहृत हो जाए, तो निधि में जमाकर्ता के खाते में जमा राशि पर देय ब्याज के परिकलन के लिए, समाहृत होने के आदेश जारी होने की तारीख को ही जमाकर्ता के खाते में जमा राशि के देय होने की तारीख इस शर्त के अधीन माना जाएगा कि समाहृत होने की तारीख से समाहृत होने के आदेश जारी होने की तारीख के दौरान अंशदान के रूप में वसूल की गई राशि इस उप-विनियम के अन्तर्गत केवल ब्याज देने के उद्देश्य के लिये ही निधि में अंशदान मानी जाएगी ।

नोट : बकाया निधि पर छः महीने की अवधि के बाद ब्याज का भुगतान—

(अ) एक वर्ष तक की अवधि के लिए लेखा अधिकारी द्वारा; और

(ब) लेखा अधिकारी से वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किसी भी समयावधि तक;

स्वयं को इस बात से सन्तुष्ट करने के पश्चात कि भुगतान में विलम्ब जमाकर्ता या उस व्यक्ति जिसे ऐसा भुगतान किया जाना है कि नियंत्रण से बाहर परिस्थितियों के कारण हुआ है, प्राधिकृत किया जाएगा और ऐसे प्रत्येक मामले में हुए प्रशासनिक विलम्ब की पूरी जांच की जाएगी और यदि आवश्यक हो कार्यवाही की जाएगी ।

(5) यदि कोई जमाकर्ता लेखा अधिकारी को यह सूचित करता है कि वह ब्याज नहीं लेना चाहता है तो उसके खाते में ब्याज जमा नहीं किया जाएगा; परन्तु—यदि बाद में वह ब्याज के लिये कहता है तो यह उस वर्ष, जिसमें वह इसके लिये कहता है, के प्रथम दिन से जमा किया जाएगा ।

(6) यदि यह पाया जाता है कि जमाकर्ता ने निकासी की तारीख को उसके खाते में जमा धन से अधिक धन निकाला है, तो जमा राशि से अधिक निकाली गई राशि, चाहे वह अग्रिम के

रूप में निकाली गई हो या निकासी के रूप में निकाली गई हो या निधि से अन्तिम भुगतान के रूप में निकाली गई हो, उस जमाकर्ता को एक मुश्त राशि में ब्याज सहित वापस जमा करना होगा । ऐसा न करने पर इसकी वसूली जमाकर्ता को परिलब्धियों में से एक मुश्त कटौती द्वारा की जाएगी । यदि वसूल की जाने वाली कुल राशि जमाकर्ता की परिलब्धियों के आधे से अधिक है तो उसकी वसूली मासिक किस्तों में उसके वेतन अर्धांश से तब तक की जाएगी तब तक कि पूरी राशि ब्याज सहित वसूल नहीं हो जाती । इस उप-विनियम के लिये ब्याज, जो कि जमा राशि में अधिक निकाली गई राशि पर वसूल किया जाएगा, की दर उप-विनियम (1) में दिये अनुसार भविष्य निधि बकाया पर दी जाने वाली सामान्य ब्याज दर से 21/2% ज्यादा होगी अधिनिकासी पर वसूल किया गया ब्याज बोर्ड के खाते में शीर्षक- "अन्य प्राप्तियां" में विशिष्ट उप-शीर्षक "भविष्य निधि से अधिनिकासियों पर ब्याज" में जमा किया जाएगा ।

12. निधि से अग्रिम

(1) उपयुक्त मंजूरीदाता प्राधिकारी किसी भी जमाकर्ता को अग्रिम जो पूरे रुपयों में होगा तथा तीन माह के वेतन या भविष्य निधि में जमाकर्ता के खाते में जमा धन के आधे, इसमें जो भी कम हो, से अधिक न हो, निम्नलिखित एक या एक से अधिक उद्देश्यों के लिए मंजूर कर सकता है :—

(अ) जमाकर्ता और उसके परिवार के सदस्य या उस पर वास्तविक आश्रित की बीमारी, प्रसवावस्था या अपंगता से संबंधित व्यय, जहां आवश्यक हो यात्रा व्यय सहित, का भुगतान करने के लिए;

(ब) निम्नलिखित मामलों में जमाकर्ता और उसके परिवार के किसी सदस्य या उस पर वास्तविक आश्रित की उच्च शिक्षा पर व्यय, जहां आवश्यक हो यात्रा व्यय सहित, की पूर्ति करने के लिए; नामतः

माध्यमिक स्कूल स्तर के बाद भारत से बाहर शैक्षणिक, तकनीकी, व्यावसायिक या व्यापारिक शिक्षा के लिए; और

माध्यमिक स्कूल स्तर के पश्चात् भारत में किसी भी आयुर्विज्ञान, इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशेषज्ञ पाठ्यक्रम के लिए; बशर्ते कि अध्ययन का पाठ्यक्रम 3 वर्ष से कम न हो।

(स) जमाकर्ता की हैसियत के अनुसार किसी आवश्यक खर्च की अदायगी के लिए जो रीति-रिवाज के अनुसार सगाई, विवाह, अन्तिम संस्कार या अन्य समारोहों पर जमाकर्ता को खर्च करने पड़ते हैं;

(द) जमाकर्ता, उसके परिवार के किसी सदस्य या उस पर वास्तव में आश्रित किसी व्यक्ति द्वारा या के विरुद्ध चलाई गई कानूनी कार्यवाही का खर्चा चुकाने के लिये, इस मामले में उपलब्ध यह अग्रिम इसी प्रयोजन के लिए बोर्ड के किसी स्रोत से ग्राह्य अग्रिम के अतिरिक्त होगा;

(य) जहां जमाकर्ता अपने तथाकथित कार्यालय संबंधी कदाचरण के लिए जांच में अपने बचाव के लिए वकील करता है, अपने बचाव के खर्चे के व्यय को वहन करने के लिये;

(र) प्लाट या अपनी रिहायश के लिए मकान या फ्लैट बनाने या दिल्ली विकास प्राधिकरण या राज्य आवास बोर्ड या आवास निर्माण सहकारी समिति द्वारा आबंटित प्लाट या फ्लैट की कीमत अदा करने या खर्चा वहन करने के लिए ।

(1-क) अध्यक्ष विशेष परिस्थितियों में किसी जमाकर्ता को अग्रिम मंजूर कर सकता है यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि संबंधित जमाकर्ता को उप-विनियम (1) में बताए गए कारणों के अलावा अन्य कारणों के लिए अग्रिम की आवश्यकता है ।

(2) किसी भी जमाकर्ता के लिखित में विशेष कारणों के अलावा, किसी अन्य कारण के लिए उप-विनियम (1) में निर्धारित की गई सीमा से अधिक या जब तक कि पिछले किसी अग्रिम की अन्तिम किस्त वापस नहीं कर दी जाती है, कोई भी अग्रिम मंजूर नहीं किया जाएगा ।

(3) जब उप-विनियम (2) के अन्तर्गत, किसी पूर्व अग्रिम की अन्तिम किस्त की वसूली किए बिना ही, अग्रिम मंजूर कर दिया जाता है तो पूर्व अग्रिम की वसूल न की गई बकाया राशि को अब मंजूर किए गए अग्रिम में जोड़ दिया जाएगा तथा वसूली की किस्तों को समेकित राशि के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

(4) अग्रिम मंजूर करने के बाद, उन मामलों में जहां अन्तिम भुगतान के लिए आवेदन विनियम-29 के उप-विनियम (3) के खण्ड-(।।) के अन्तर्गत लेखा अधिकारी को भेजा गया था, राशि लेखा अधिकारी के प्राधिकार पर ही निकाली जाएगी ।

नोट : इस विनियम के उद्देश्य के लिए वेतन में वेतन, मंहगाई भत्ता जहां ग्राह्य हो सम्मिलित होंगे

नोट : जमाकर्ता को विनियम-12 के उप-विनियम (1) की मद (ब) के अन्तर्गत प्रत्येक छः मास में एक बार अग्रिम लेने की अनुमति दी जाएगी ।

13. अग्रिम की वसूली

(1) जमाकर्ता से अग्रिम की वसूली उतनी ही बराबर मासिक किस्तों में की जाएगी जैसाकि मंजूरीदाता प्राधिकारी निदेश दे; परन्तु ऐसी किस्तों की संख्या, जब तक की जमाकर्ता स्वयं ऐसा न चाहे, 12 से कम और 24 से अधिक नहीं होनी चाहिए । विशेष मामलों में जहां विनियम-12 के उप-विनियम (2) के अन्तर्गत अग्रिम की राशि जमाकर्ता के तीन मास के वेतन से अधिक हो, तो मंजूरीदाता प्राधिकारी ऐसी किस्तों की संख्या 24 से अधिक निर्धारित कर सकता है परन्तु किसी भी हालत में यह 36 से अधिक नहीं होगी । जमाकर्ता अपनी इच्छानुसार एक मास में एक से अधिक किस्तें अदा कर सकता है । प्रत्येक किस्त पूरे रुपयों में होगी । ऐसी किस्तों के निर्धारण के लिए, यदि आवश्यक हो, अग्रिम की राशि घटाई-बढ़ाई जा सकती है ।

(2) वसूली उसी तरीके से की जाएगी जैसाकि विनियम-10 में अंशदान वसूली के लिए निर्धारित किया गया है और यह जिस माह अग्रिम लिया था उस माह के अनुवर्ती माह के वेतन से आरम्भ होगी । जब जमाकर्ता निर्वाह अनुदान ले रहा हो या कलैंडर मास में दस दिन या उससे अधिक दिन की छुट्टी पर हो जिसमें या तो कोई अवकाश वेतन प्राप्य न हो या अवकाश वेतन अर्ध वेतन या अर्ध औसत वेतन के बराबर या उससे कम प्राप्य हो, जैसी भी स्थिति हो, जमाकर्ता की सहमति के बिना वसूली नहीं की जाएगी । जमाकर्ता की लिखित प्रार्थना पर जमाकर्ता को मंजूर किए गए अग्रिम वेतन की वसूली के दौरान, वसूली मंजूरीदाता प्राधिकारी द्वारा स्थगित की जा सकती है ।

(3) यदि किसी जमाकर्ता को अग्रिम मंजूर किया गया है और वह उसके द्वारा ले लिया गया है और बाद में वसूली पूरी होने से पहले ही नामंजूर हो जाता है तो लिए गए अग्रिम की पूरी राशि या बकाया राशि जमाकर्ता द्वारा अविलम्ब निधि में वापस जमा की जाएगी, जिसके न करने पर, उसकी परिलब्धियों में से एक मुश्त या मासिक किस्तों में जो 12 से अधिक न हों, जैसाकि विनियम-12 के उप-विनियम (2) के अन्तर्गत विशेष कारण के लिए अग्रिम मंजूर करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश दिया जाए, कटौती द्वारा वसूल करने का लेखा अधिकारी द्वारा आदेश दिया जाएगा ।

परन्तु—

इस प्रकार के अग्रिम को नामंजूर करने से पहले जमाकर्ता को यह अवसर दिया जाएगा कि वह इस सन्देश के प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर मंजूरीदाता प्राधिकारी को लिखित में स्पष्ट करे कि अग्रिम की वसूली क्यों न आरम्भ की जाए और यदि जमाकर्ता उक्त 15 दिन के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर देता है तो उसे निर्णय हेतु अध्यक्ष के पास भेजा जाएगा, और यदि जमाकर्ता उक्त समय के भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं करता है, तो अग्रिम की वसूली इस उप-नियम में निर्धारित अनुसार आरम्भ कर दी जाएगी ।

(4) इस विनियम के अन्तर्गत की गई वसूलियां जैसे ही की जाएंगी निधि में जमाकर्ता के खाते में जमा कर दी जाएगी।

14. अग्रिम का गलत प्रयोग

इन विनियमों में बताई गई किसी बात के होने पर भी, यदि मंजूरीदाता प्राधिकारी को इस बात का कोई सन्देह हो जाता है कि विनियम-12 के अन्तर्गत निधि से अग्रिम के रूप में लिया गया धन मंजूरी किए गए प्रयोजन के अलावा किसी अन्य प्रयोजन पर खर्च किया गया है, तो वह अपने सन्देह के कारणों के जमाकर्ता को सूचित करेगा और उससे ऐसी सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर लिखित में स्पष्टीकरण मांगेगा कि क्या अग्रिम की राशि उसी प्रयोजन पर खर्च की गई है जिसके लिए मंजूर की गई थी । यदि मंजूरीदाता प्राधिकारी, जमाकर्ता द्वारा उक्त 15 दिन के भीतर दिए गए स्पष्टीकरण से सन्तुष्ट नहीं होता है तो वह जमाकर्ता को इस अग्रिम की राशि को तुरन्त निधि में जमा करने का निदेश देगा। ऐसा न करने पर, चाहे जमाकर्ता अवकाश पर ही हो, मंजूरीदाता प्राधिकारी उस की परिलब्धियों से एक मुश्त कटौती करके वसूल करने का आदेश देगा । यदि वसूल की जाने वाली कुल राशि जमाकर्ता के परिलब्धियों के आधे से अधिक है तो वसूली उसकी परिलब्धियों के अधिक से मासिक किस्तों में तब तक की जाएगी जब तक की पूरी राशि वसूल नहीं हो जाती ।

15. निधि से धन की निकासी

(1) इसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन धन निकासी की मंजूरी विनियम-12 के उप-विनियम (2) के अन्तर्गत विशेष कारणों के लिए अग्रिम मंजूर करने वाले सक्षम प्राधिकारी द्वारा—

(क) यह जमाकर्ता द्वारा 20 वर्ष की सेवा पूर्ण करने (सेवा व्यवधान की अवधि, यदि कोई हो, को मिला कर) के बाद या अवर्तन पर सेवा निवृत्त होने की तारीख से पहले 10 वर्ष की अवधि के भीतर, इनमें से जो भी पहले हो, निधि में जमाकर्ता के खाते में जमा राशि में से निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक कारणों के लिए मंजूर की जाएगी, नामतः—

(अ) निम्नलिखित मामलों में जमाकर्ता या उसके किसी बच्चे की उच्च शिक्षा, जहां आवश्यक हो यात्रा व्यय सहित, का व्यय वहन करने के लिए; जैसे :

(i) माध्यमिक शिक्षा स्तर के पश्चात् भारत से बाहर शैक्षणिक, तकनीकी, व्यवसायिक या व्यापारिक पाठ्यक्रम के लिए; और

(ii) माध्यमिक शिक्षा स्तर के पश्चात् भारत में किसी आयुर्विज्ञान, इंजीनियरी या अन्य तकनीकी या विशेषज्ञ पाठ्यक्रम के लिए;

(ब) जमाकर्ता या उसके पुत्रों या पुत्रियों, और उस पर वास्तव में आश्रित किसी अन्य महिला सम्बन्धी की सगाई/विवाह समारोह के व्यय को वहन करने के लिए;

(स) जमाकर्ता और उसके परिवार के सदस्यों या उस पर वास्तव में आश्रित व्यक्ति की बीमारी, जहां आवश्यक हो यात्रा व्यय सहित, का व्यय वहन करने के लिए ।

(ख) जमाकर्ता द्वारा 10 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद (सेवा में व्यवधान की अवधि, यदि कोई हो, को मिलकर) या अवर्तन पर सेवा निवृत होने की तारीख से पहले 10 वर्ष की अवधि के भीतर, जो भी पहले हो, निधि में उसके खाते में जमा राशि से निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक प्रयोजनों के लिए मंजूर की जाएगी;नामतः

(अ) अपनी रिहायश के लिए गृह स्थल सहित उपयुक्त मकान लेने या बनाने के लिए या बना-बनाया फ्लैट लेने के लिए;

(ब) अपनी रिहायश के लिए उपयुक्त मकान लेने या बनाने के लिए या बना-बनाया फ्लैट लेने के लिए स्पष्ट रूप में लिए गए ऋण की बकाया राशि को वापस करने के लिए;

(स) अपनी रिहायश के लिए मकान बनाने के लिए गृह-स्थल खरीदने के लिए या इस प्रयोजन के लिए स्पष्ट रूप से लिए गए ऋण की बकाया राशि को वापस करने के लिए;

(द) जमाकर्ता द्वारा पहले से उपयुक्त फ्लैट या मकान के पुनर्निर्माण या उसमें परिवर्धन-परिवर्तन करने के लिए;

(य) जमाकर्ता द्वारा कार्य-स्थल के अतिरिक्त किसी अन्य जगह पर पैतृक मकान या बोर्ड से लिए गए ऋण की सहायता से बनाए गए मकान की मरम्मत या परिवर्धन-परिवर्तन या अनुरक्षण के लिए;

(ग) उपर्युक्त खण्ड-(स) के अन्तर्गत लिए गए गृह-स्थल पर गृह निर्माण के लिए ।

(घ) जमाकर्ता के सेवा-निवृत होने की तारीख से पहले 6 महीने के भीतर निधि में उसके खाते में जमा रकम से कृषि भूमि या व्यापार परिसर या दोनों उपार्जित करने के लिए मंजूर की जाएगी ।

(ङ) वित्तीय वर्ष के दौरान एक बार जमाकर्ता द्वारा बोर्ड के कर्मचारियों के लिए स्वपोषी वित्त व्यवस्था एवं अंशदान पर आधारित सामूहिक बीमा योजना में एक वर्ष में दिए गए अंशदान की राशि के बराबर मंजूर की जा सकती है ।

नोट 1 : जमाकर्ता, जिसने शहरी विकास मन्त्रालय या बोर्ड की गृह निर्माण उद्देश्य के लिए अग्रिम योजना के अन्तर्गत अग्रिम का लाभ उठाया है या उस बोर्ड के स्रोतों से इस इस संबंध में कोई मदद दी गई है, वह खण्ड (ख) के उप-खण्ड (अ), (स), (द) और (र) के अन्तर्गत इनमें विनिर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए और विनियम-16 के उप-विनियम (1) के उपबन्ध में विनिर्दिष्ट सीमा तक उपर्युक्त योजना के अन्तर्गत लिए गए ऋण की अदायगी के उद्देश्य के लिए भी अन्तिम निकासी की मंजूरी का पात्र है ।

यदि जमाकर्ता के पास पैतृक मकान है या अपने कार्य स्थल के अलावा किसी अन्य जगह पर बोर्ड से ली गई ऋण सहायता से मकान बनाया है, तो वह अपने कार्य स्थल में गृह-स्थल खरीदने या दूसरा मकान बनाने या बना-बनाया मकान खरीदने के लिए खण्ड (ख) के उप-खण्ड (अ), (स) और (र) के अन्तर्गत अन्तिम निकासी के लिए पात्र होगा ।

नोट 2 : खण्ड (ख) के उपखण्ड (अ), (द), (य) या (र) के अंतर्गत जमाकर्ता को निकासी की मंजूरी उसके द्वारा बनाए जाने वाले मकान या किए जाने वाले परिवर्धन-परिवर्तन की, उस क्षेत्र जहां मकान-स्थल या मकान स्थित है की स्थानीय नगरपालिका द्वारा विधिवत् अनुमोदित, योजना प्रस्तुत किए जाने के बाद और केवल उन्हीं मामलों जहां योजना वास्तव में स्वीकृत करवा ली गई है, दी जाएगी।

नोट 3 : खण्ड (ख) के उप-खण्ड (ब) के अन्तर्गत मंजूर की गई निकासी की राशि जमाकर्ता के खाते में उप-खंड (अ) के अंतर्गत पिछली निकासी की राशि को मिलाकर और पिछली निकासी की राशि को कम करके आवेदन की तारीख को बकाया राशि के तीन-चौथाई से अधिक नहीं होगी । फार्मूला जो अपनाया जाएगा : (उस तारीख को बकाया जमा + (जमा) विवादास्पद मकान के लिए ली गई निकासी राशि – (घटा) पिछली निकासी (निकासियां) की राशि, का तीन-चौथाई।

नोट 4 : खंड (ग) के उप-खंड (अ) या (ब) के अंतर्गत निकासी की मंजूरी उन मामलों में भी दी जाएगी जहां गृह-स्थल या मकान जमाकर्ता की पत्नी या पति के नाम है; बशर्ते कि वह जमाकर्ता द्वारा सामान्य भविष्य निधि में जमा राशि को प्राप्त करने के लिए दिए गए नामांकन में प्रथम नामित हो।

नोट 5 : इस विनियम के अंतर्गत एक उद्देश्य के लिए निकासी की मंजूरी एक बार ही दी जाएगी । लेकिन विभिन्न बच्चों की शादी या शिक्षा अथवा विभिन्न अवसरों पर अस्वस्थता, अथवा मकान या फ्लैट में परिवर्धन-परिवर्तन जिसके उस क्षेत्र जहां मकान स्थित है की स्थानीय नगरपालिका द्वारा अनुमोदित योजना प्रस्तुत की गई है, को एक ही उद्देश्य नहीं माना जाएगा । खंड (ख) के उप-खंड (अ) (र) के अंतर्गत, एक ही मकान को पूर्ण करने के लिए दूसरी बार या उसके बाद किसी निकासी की मंजूरी नोट-3 में निर्धारित सीमा तक ही दी जाएगी।

नोट 6 : यदि विनियम-12 के अंतर्गत उसी उद्देश्य और उसी समय अग्रिम मंजूर किया जा रहा हो तो इस विनियम के अंतर्गत निकासी की मंजूरी नहीं दी जाएगी।

(2) जब जमाकर्ता सक्षम प्राधिकारी को सामान्य भविष्य निधि में अपने खाते में जमा राशि के बारे में, हाल ही की सामान्य भविष्य निधि लेखा की उपलब्ध विवरणी से, बाद में जमा अंशदान के प्रमाण सहित, संतुष्ट करने की स्थिति में हो, तो सक्षम प्राधिकारी निर्धारित सीमाओं के भीतर, वापस किए जाने योग्य अग्रिम की तरह ही, धन निकालने की मंजूरी दे सकता है। ऐसा करते समय सक्षम प्राधिकारी जमाकर्ता को पहले मंजूर किए गए प्रत्यर्पणीय अग्रिम (refundable advance) या धन-निकासी (withdrawal) को भी ध्यान में रखेगा । तथापि जहां जमाकर्ता सक्षम प्राधिकारी को अपने खाते में जमा राशि के बारे में संतुष्ट करने की स्थिति में न हो या जहां आवेदित धन-निकासी withdrawal applied for की ग्राह्यता के बारे में संदेह हो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदित धन-निकासी की ग्राह्यता के निर्धारण के उद्देश्य से लेखा अधिकारी से जमाकर्ता के खाते में जमा राशि का प्रमाण मांगा जाएगा। धन-निकासी की मंजूरी में मुख्यतया सामान्य भविष्य निधि लेखा संख्या तथा लेखे का हिसाब रखने वाले लेखा अधिकारी का विवरण दिया जाएगा तथा मंजूरी की प्रति हमेशा उस लेखा अधिकारी को प्रेषित की जाएगी। मंजूरीदाता प्राधिकारी की यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी होगी कि मंजूर की गई राशि को लेखा अधिकारी द्वारा जमाकर्ता की लेखा-बही में दर्ज कर लिया गया है । यदि लेखा अधिकारी यह सूचित करता है कि मंजूर की गई राशि जमाकर्ता के खाते में जमा राशि से अधिक है या अन्यथा ग्राह्य नहीं है, तो जमाकर्ता द्वारा निकाली गई राशि उसे तुरन्त एक मुश्त निधि में वापस जमा करनी होगी और ऐसा न करने पर, मंजूरीदाता प्राधिकारी इस राशि को उसकी परिलब्धियों से एक मुश्त या फिर उतनी मासिक किस्तों में जितनी अध्यक्ष द्वारा निर्धारित की जाए, में वसूल करने का आदेश देगा।

(3) निकासी की मंजूरी के बाद, उन मामलों में जहां अंतिम भुगतान के लिए आवेदन विनियम-20 के उप-विनियम (3) के खण्ड (2) के अन्तर्गत लेखा अधिकारी को प्रेषित किया गया हो, राशि लेखा अधिकारी के प्राधिकार पर निकाली जाएगी ।

16. धन निकालने की शर्तें

(1) जमाकर्ता द्वारा विनियम-15 में विनिर्दिष्ट एक या एक से अधिक प्रयोजनों के लिए किसी भी एक समय में निधि से उसके खाते में जमा धन से निकाली गई कोई भी राशि सामान्यता

निधि में उस के खाते में जमा रकम के $1\frac{1}{2}$ या उसके छः महीने के वेतन, जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी। फिर भी, मंजूरीदाता प्राधिकारी इस सीमा से अधिक, निधि में जमाकर्ता के खाते में बकाया रकम के $\frac{3}{4}$ तक की मंजूरी, निम्नांकित पर उचित ध्यान देते हुए, दे सकता है :—

(क) उद्देश्य जिसके लिए राशि निकाली जा रही है,

(ख) जमाकर्ता की हैसियत, और

(ग) निधि में जमाकर्ता के खाते में जमा रकम :

परन्तु—

किसी भी मामले में, विनियम-15 के उप-विनियम (1) के खंड (ख) में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए धन-निकासी की अधिकतम रकम निर्माण एवं आवास मंत्रालय या बोर्ड की गृह निर्माण उद्देश्य के लिए अग्रिम मंजूर किए जाने की योजना के नियम-2(ए) और 3(बी) के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यह भी कि—

उस जमाकर्ता के मामले में जिसने निर्माण एवं आवास मंत्रालय या बोर्ड की गृह निर्माण के लिए अग्रिम मंजूर करने की योजना का लाभ उठाया है या इस संबंध में बोर्ड के किसी अन्य स्रोत से कोई सहायता मंजूरी की गई हो, तो इस उप-विनियम के अंतर्गत निकाली गई राशि, पूर्वोक्त योजना के अंतर्गत लिए गए अग्रिम या किसी अन्य बोर्ड के स्रोत से ली गई सहायता सहित, पूर्वोक्त योजना के नियम 2(ए) और 3(बी) के अंतर्गत समय-समय पर निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी।

(2) जिस जमाकर्ता का विनियम-15 के अंतर्गत निधि से धन निकालने की अनुमति दी गई हो वह मंजूरीदाता प्राधिकारी को उपयुक्त समय, जो भी उस प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए, के अंदर इस बात से संतुष्ट करेगा कि धन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए ही किया गया है जिस उद्देश्य के लिए निकाला गया था और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो ऐसी निकाली गई सारी रकम या उसके उतनी ही अधिक जिसके लिए उस उद्देश्य के लिए आवेदन नहीं किया गया हो, जिसके लिए वह निकाली गई थी, जमाकर्ता द्वारा निधि में एक मुश्त वापस जमा की जाएगी और ऐसा न करने पर मंजूरीदाता प्राधिकारी इस राशि को उसकी परिलब्धियों में से या तो एक मुश्त या उतनी किश्तों, जितनी अध्यक्ष नियत करें, में वसूल करने का आदेश करेगा :

परन्तु—

इस उप-विनियम के अंतर्गत निकाली गई रकम की वसूली आरम्भ करने से पहले, जमाकर्ता को ऐसी सूचना की प्राप्ति होने के 15 दिन के भीतर लिखित में यह स्पष्ट करने का अवसर दिया जाएगा कि निकाली गई रकम की वसूली क्यों न की जाए; और यदि मंजूरीकर्ता प्राधिकारी जमाकर्ता के स्पष्टीकरण से संतुष्ट न हो या जमाकर्ता द्वारा उक्त 15 दिन के भीतर स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता है, तो मंजूरीकर्ता प्राधिकारी इस उप-विनियम में निर्धारित अनुसार वसूली प्रारम्भ कर देगा ।

(3) (अ) जिस जमाकर्ता को विनियम-15 के उप-विनियम (1) के खंड (ख) के उप-खंड (अ) या (ब) या (स) के अंतर्गत, निधि में उसके खाते में जमा राशि में से धन निकालने की अनुमति दी गई हो, तो ऐसी निकाली गई राशि से बनाए गए या उपार्जित किए गए मकान या खरीदे गए गृह-थल का कब्जा चाहे बिक्री, रेहन (बोर्ड के पक्ष में रेहन करने के अलावा), उपहार, अदला-बदली या अन्यथा द्वारा अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना नहीं छोड़ेगा :

परन्तु ऐसी अनुमति निम्नलिखित के लिए आवश्यक नहीं होगी—

(क) मकान या मकान-स्थल, जो किसी अवधि के लिए जो तीन वर्ष से अधिक नहीं हो, पट्टे पर दिया जा रहा हो;

(ख) यह आवास बोर्ड, राष्ट्रीयकृत बैंक, जीवन बीमा निगम या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित किसी अन्य निकाय, जो नए मकान के निर्माण या वर्तमान मकान में परिवर्धन एवं परिवर्तन के लिए ऋण अग्रिम देती हो, के पक्ष में रेहन किया जा रहा हो ।

(ब) जमाकर्ता प्रत्येक वर्ष 31 दिसम्बर तक इस आशय का घोषणा-पत्र प्रस्तुत करेगा कि मकान या मकान-स्थल, जैसा भी मामला हो, उसके कब्जे में ही है या पूर्वोक्तानुसार रेहन किया है, अन्यथा अंतरित किया है या किराया पर दिया है और यदि ऐसा कहा जाए, तो मंजूरीकर्ता प्राधिकारी को उस प्राधिकारी द्वारा इस संबंध में निर्धारित तारीख को या उससे पहले मूल बिक्री, रेहन या पट्टा पत्र और वे कागजात भी जिसमें उसका संपत्ति पर अधिकार आधारित है, पेश करेगा।

(स) यदि, अपनी सेवा-निवृत्ति के पूर्व किसी भी समय, जमाकर्ता मकान या मकान की जगह को अध्यक्ष की पूर्वानुमति के बिना छोड़ देता है तो वह उस उद्देश्य के लिये लिए गए धन को निधि में तुरन्त एक मुश्त वापस जमा करेगा, और ऐसा न करने पर मंजूरीकर्ता प्राधिकारी जमाकर्ता को मामले में अभ्यावेदन करने के लिए उपयुक्त अवसर देने के बाद, उक्त रकम को जमाकर्ता की परिलब्धियों में से एक मुश्त या उतनी मासिक किश्तों में, जितनी वह प्राधिकारी निर्धारित करे, वसूल करवाएगा।

16 क. अग्रिम को निकासी धन में बदलना

जिस जमाकर्ता ने विनियम-12 के अंतर्गत विनयम-15 के उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अग्रिम लिया है या जो भविष्य में ले, वह अपनी इच्छानुसार, विनियम-15 और विनियम-16 में दी गई शर्तों से संतुष्ट होने पर, मंजूरीकर्ता प्राधिकारी के माध्यम से लेखा अधिकारी को लिखित अनुरोध करके, इसमें बकाया रकम को अंतिम रूप से धन निकालने में रूपान्तरित कर सकता है। .

17. निधि में जमा राशि का अनन्तिम सार पर वापस लेना

जब जमाकर्ता नौकरी छोड़ेगा तो निधि में उसके खाते में जमा रकम उसे भुगतान करने योग्य हो जाएगी :

परन्तु—

जिस जमाकर्ता को नौकरी से निकाल दिया गया हो और बाद में उसे बहाल कर दिया जाता है, यदि बोर्ड ऐसा चाहे, तो वह इस नियम के अनुसरण में निधि से भुगतान की गई राशि को, विनियम-11 में दी गई दर से, विनियम-18 के उपबंध की व्यवस्थाओं के अनुसार, ब्याज सहित निधि में वापस जमा करेगा। इस प्रकार वापस की गई रकम को निधि में उसके खाते में जमा कर दिया जाएगा।

स्पष्टीकरण 1 : जमाकर्ता, जिसे मना की गई छुट्टी मंजूर की जाती है, को अनिवार्य सेवा-निवृत्ति की तारीख से या बढ़ाई गई सेवावधि की समाप्ति पर सेवा से मुक्त समझा जाएगा।

स्पष्टीकरण 2 : जमाकर्ता, अनुबंध पर नियुक्त या जो सेवा-निवृत्त हो गया हो और बाद में सेवा में बिना किसी व्यवधान या व्यवधान सहित पुनर्नियोजित हुआ हो के अलावा, को सेवा से मुक्त नहीं समझा जाएगा।

नोट : स्थानान्तरण में, केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग या राज्य सरकार में बिना किसी व्यवधान और बोर्ड की उचित अनुमति से नियुक्ति स्वीकार करने के उद्देश्य से दिए गए त्याग-पत्र के मामले भी शामिल होंगे। उन मामलों में जहां सेवा में व्यवधान हो, तो वह विभिन्न स्थानों पर स्थानान्तरण के लिए स्वीकार्य पदभार ग्रहण समय तक सीमित किया जाएगा।

यही स्पष्टीकरण छंटनी के बाद अविलंब नियोजन के मामलों में भी उपयुक्त रहेगा।

स्पष्टीकरण 3 : जब किसी जमाकर्ता, जो अनुबंध पर नियुक्त हो या जो सेवा-निवृत्त हो गया हो और बाद में पुनर्नियोजित हुआ हो के अलावा, को सेवा में बिना व्यवधान के केन्द्रीय/राज्य सरकार या केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व या नियंत्रित निकाय या समिति पंजीकरण अधिनियम, 1960 के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी संगठन में स्थानान्तरित किया जाता है, तो अंशदान की रकम उस पर ब्याज सहित, जमाकर्ता को भुगतान नहीं की जाएगी बल्कि उस सरकार/निकाय की सहमति से उस सरकार/निकाय में जमाकर्ता के नए भविष्य निधि खाते में अंतरित कर दी जाएगी। स्थानान्तरण में केन्द्रीय/राज्य सरकार या केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व/नियंत्रित निकाय या समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी संगठन में बिना किसी व्यवधान और बोर्ड की उचित अनुमति से नियुक्ति स्वीकार करने हेतु दिए गए त्याग-पत्र के मामले भी शामिल होंगे। नए पद पर पदभार ग्रहण करने के लिए लिया गया समय, यदि यह बोर्ड के कर्मचारियों को एक पद से दूसरे पद पर स्थानान्तरण के लिए स्वीकार्य पदभार ग्रहण समय से अधिक नहीं है, तो सेवा में व्यवधान नहीं माना जाएगा।

परन्तु—

उस जमाकर्ता जो सार्वजनिक उद्यम में सेवा की इच्छा व्यक्त करता है, के अंशदान की राशि उस पर ब्याज सहित, यदि वह ऐसा चाहता है, उस उद्यम में उसके नये भविष्य निधि खाते में अन्तरित कर दी जाएगी यदि वह उद्यम इसके लिए सहमत हो। यदि जमाकर्ता इस धनराशि का अन्तरण नहीं करना चाहता है या सम्बंधित उद्यम में किसी भविष्य निधि का संचालक नहीं है, तो पूर्वोक्त राशि का भुगतान जमाकर्ता को किया जाएगा।

18. जमाकर्ता की सेवा-निवृत्ति

जब जमाकर्ता :—

(अ) सेवा निवृत्ति से पूर्व छुट्टी पर चला गया हो;

(ब) जब छुट्टी पर हो, सेवा-निवृत्ति की अनुमति दे दी गई हो या सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा आगे नौकरी करने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया हो;

तो निधि में उसके खाते में जमा राशि जमाकर्ता को, उसके द्वारा इस सम्बंध में आवेदन, जो कि लेखा अधिकारी को दिया गया हो, करने पर भुगतान हो जाएगी :

परन्तु—

बोर्ड अन्यथा निर्णय ले लेता है के सिवाय, उसे इस बोर्ड अन्यथा निर्णय ले लेता है के सिवाय, उसे इस विनियम के अनुसरण में भुगतान की गई रकम को विनियम-11 में व्यवस्थित दर से उस पर ब्याज सहित नकद या प्रतिभूतियों में या अंशत: नकद और अंशत: प्रतिभूतियों में, किस्तों द्वारा या अन्यथा उसकी परिलब्धियों में से वसूली द्वारा या अन्यथा, जैसा भी विनियम-12 के उप-विनियम (2) के अन्तर्गत विशेष कारणों के लिए अग्रिम मंजूरीकर्ता सक्षम प्राधिकारी निदेश दें, निधि में उसके खाते में जमा करने के लिए वापस जमा करनी होगी।

19. जमाकर्ता की मृत्यु पर कार्य-प्रणाली

जमाकर्ता के खाते में जमा रकम के देय हो जाने या जहां रकम देय हो गई हो, भुगतान किए जाने से पहले ही जमाकर्ता की मृत्यु हो जाने की अवस्था में—

(1) जब जमाकर्ता का कोई परिवार हो—

(अ) यदि नामांकन जमाकर्ता द्वारा विनियम-5 या इसके पहले प्रचलित अनुरूप विनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार अपने परिवार के सदस्य या सदस्यों के हित में नामांकन किया गया हो, तो निधि में उसके खाते में जमा रकम या उसका हिस्सा जिससे नामांकन सम्बन्धित है, नामांकन में दिखाए गए अनुपात के अनुसार उसके मनोनीत या मनोनीतों को देय हो जाएगी;

(ब) यदि जमाकर्ता के परिवार के सदस्य या सदस्यों के हित में ऐसा कोई नामांकन नहीं है या यदि ऐसा नामांकन निधि में उसके खाते में जमा रकम के किसी अंश से ही सम्बन्धित है, तो सारी रकम या उसका अंश जिससे नामांकन

सम्बन्धित नहीं है, जैसी भी स्थिति हो, कोई भी नामांकन उसके परिवार के सदस्य या सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के हित में होते हुए भी, उसके परिवार के सदस्यों को बराबर हिस्सों में देय होगी :

परन्तु निम्नांकित को कोई हिस्सा देय नहीं होगा :—

(1) उसके पुत्र जो व्यस्क हो गए हैं;

(2) उसके मृतक पुत्र के पुत्रों को जो व्यस्क हो गए हों;

(3) विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित हों;

(4) उसके मृतक पुत्र की विवाहित पुत्रियां जिनके पति जीवित हों;

यदि उसके परिवार में खण्ड (1), (2), (3) और (4) में दिखाए गए सदस्यों के अलावा कोई अन्य सदस्य है :

परन्तु यह भी कि —

मृतक पुत्र की विधवा या विधवायें और बच्चा या बच्चे केवल उस भाग को बराबर हिस्सों में प्राप्त करेंगे, जिस भाग को वह पुत्र, यदि वह जीवित रहता और प्रथम उपबंध के अनुच्छेद (1) की व्यवस्थाओं से मुक्त होता, जमाकर्ता से प्राप्त करता।

जब जमाकर्ता का परिवार नहीं हो और यदि उसने नामांकन विनियम-5 या इसके पहले प्रचलित अनुरूप विनियम की व्यवस्थाओं के अनसार किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के हित में किया हो, तो निधि में उसके खाते में जमा रकम या उसका अंश जिससे नामांकन सम्बंधित हो, नामांकन में दिखाये गए अनुपात में उसके नामजद या नामजदों को देय हो जाएगी ।

19-क. जमा सम्बद्ध बीमा योजना

जमाकर्ता की 30 सितम्बर, 1991 को या उससे पहले मृत्यु हो जाने की स्थिति में और जिस पर विनियम 19-ख लागू नहीं होता हो, उसके खाते में जमा धन को प्राप्त करने के पात्र व्यक्ति को लेखा अधिकारी ऐसे जमाकर्ता की मृत्यु से तुरन्त पूर्व तीन वर्ष के दौरान उसके खाते में बकाया औसत राशि के बराबर अतिरिक्त राशि का भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अधीन करेगा—

(अ) ऐसे जमाकर्ता के खाते में बकाया रकम उसकी मृत्यु के मास से पूर्व 3 वर्ष के दौरान किसी भी समय निम्न सीमाओं से कम न हुई हो—

(i) रु. 4,000/-, उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर समय के लिए ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 1300/- या अधिक हो;

(ii) रु. 2500/-, उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर समय के लिये ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 900/- या अधिक हो परन्तु रु. 1300/- से कम हो;

(iii) रु. 1500/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर समय ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 291/- या अधिक परन्तु रु. 900/- से कम हो;

(iv) रु. 1000/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर समय ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 291/- से कम हो;

(ब) इस विनियम के अन्तर्गत देय राशि 10,000/- से अधिक नहीं होगी ।

(स) जमाकर्ता ने मृत्यु के समय कम-से-कम 5 वर्ष की सेवा की हो ।

19-ख. जमा सम्बद्ध बीमा संशोधित योजना

जमाकर्ता की मृत्यु पर लेखा अधिकारी के खाते में जमा राशि को प्राप्त करने के पात्र व्यक्ति को ऐसे जमाकर्ता की मृत्यु से तुरन्त पूर्व 3 वर्ष के दौरान उसके खाते में औसत बकाया रकम के बराबर अतिरिक्त का भुगतान निम्नलिखित शर्तों के अधीन करेगा—

(अ) ऐसे जमाकर्ता के खाते में उसकी मृत्यु के मास से पूर्व 3 वर्ष के दौरान किसी भी समय बकाया निम्न सीमाओं से कम न रहा हो—

(i) रु. 12,000/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर समय के लिए ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 4000/- या अधिक हो;

(ii) रु. 7500/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर समय के लिये ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 2900/- या अधिक हो परन्तु 4000/- से कम हो;

(iii) रु. 4500/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौरान अधिकतर समय के लिये ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 1151/- या अधिक हो परन्तु रु. 2900/- से कम हो;

(iv) रु. 3000/- उस जमाकर्ता के मामले में जो उक्त 3 वर्ष की अवधि के दौराना अधिकतर समय ऐसे पद पर रहा हो जिसका वेतनमान अधिकतम रु. 1151/- से कम हो।

(ब) इस विनियम के अन्तर्गत देय अतिरिक्त राशि 30,000/- से अधिक नहीं होगी ।

(स) जमाकर्ता ने मृत्यु के समय कम-से-कम 5 वर्ष की सेवा की हो ।

नोट—1 : औसत बकाया का हिसाब जमाकर्ता के खाते में उसकी मृत्यु के मास से पूर्व प्रत्येक 36 मासों के अन्त में बकाया के आधार पर किया जाएगा । इस उद्देश्य

के लिये, उपर्युक्त निर्धारित न्यूनतम बकाया राशि की जांच के लिए भी —

(अ) मार्च के अन्त में बकाया राशि में विनियम-9 की शर्तों के अनुसार जमा किया गया वार्षिक ब्याज भी शामिल होगा, और

(ब) यदि पूर्वोक्त 36 मासों का अन्तिम मास मार्च नहीं होता है तो उक्त 36 मासों के अन्तिम मास के अन्त में बकाया राशि में, उस वित्तीय वर्ष, जिसमें मृत्यु होती है, के प्रारम्भ से लेकर उक्त अन्तिम मास के अन्त तक की अवधि के लिए ब्याज भी शामिल होगा ।

नोट—2 : इस योजना के अन्तर्गत भुगतान पूर्ण रुपयों में ही होगा। यदि देय राशि में रुपये का अंश भी शामिल है तो उसे निकटतम पूर्ण रुपये में परिवर्तित कर दिया जाएगा (जैसे 0.50 पैसे को अगला उच्चतर रुपया गिना जाएगा) ।

नोट—3 : इस योजना के अन्तर्गत देय कोई भी राशि बीमा धन के स्वरूप की है और इसलिये भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम 19) की धारा-3 के द्वारा दी गई वैधानिक सुरक्षा इस योजना के अन्तर्गत दी गई रकमों पर लागू नहीं होती है ।

नोट—4 : यह योजना निधि के उन जमाकर्ताओं पर भी लागू होगी है जो किसी सरकारी विभाग के स्वायत्तशासी संगठन में रूपान्तरण के परिणामस्वरूप उसमें स्थानान्तरित हो जाते हैं और ऐसे स्थानान्तरण पर उनको दिये गए विकल्पों की शर्तों के अनुसार इन नियमों के अनुसार निधि में अंशदान करने का विकल्प देते हैं ।

नोट—5 : बोर्ड के उस कर्मचारी के मामले में, जो विनियम-21 के अन्तर्गत इस निधि का सदस्य बना हो लेकिन 3 वर्ष की सेवा पूरी करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई हो या जैसी भी स्थिति हो, उसके निधि का सदस्य बनने की तारीख से 5 वर्ष की सेवा अवधि, पूर्व नियोक्ता के अधीन उसकी सेवावधि जिसके लिए उसके अंशदान और नियोक्ता के अंशदान की राशि, यदि कोई हो, ब्याज सहित प्राप्त हो गई है, अनुच्छेद (अ) और (स) के लिये गिनी जाएगी।

(ब) सावधि आधार पर नियुक्त व्यक्तियों के मामले में और पुनर्नियुक्त पेंशन भोगियों के मामले में ऐसी नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति की तारीख से की गई सेवावधि, जैसी भी स्थिति हो, इस नियम के उद्देश्य के लिये गिनी जाएगी ।

(स) अनुबन्ध आधार पर नियुक्त कर्मचारियों पर यह योजना लागू नहीं होगी है ।

नोट—6 : इस योजना के सम्बन्ध में बजट अनुमान निधि लेखा के अनुरक्षण के लिये उत्तरदायी लेखा अधिकारी द्वारा व्यय की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार तैयार किया जाएगा जैसा कि अन्य निवृत्ति लाभों के लिए अनुमान तैयार किये जाते हैं ।

20. निधि में रकम के भुगतान का तरीका

(1) जब निधि में जमाकर्ता के खाते में जमा रकम देय हो जाती है, तो लेखा अधिकारी का यह कर्त्तव्य होगा कि उप विनियम (3) की व्यवस्थाओं के अनुसार लिखित आवेदन-पत्र की प्राप्ति पर भुगतान करे ।

(2) यदि वह व्यक्ति, जिसको इन विनियमों के अधीन किसी रकम का भुगतान करना है, पागल है और उसकी सम्पत्ति के लिये भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 के अधीन इसके लिये प्रबन्धक की नियुक्ति की गई हो तो भुगतान प्रबन्धक को किया जाएगा न कि पागल व्यक्ति को :

परन्तु—

जहां प्रबन्धक नियुक्त नहीं है और जिस व्यक्ति को रकम देय है उसे मैजिस्ट्रेट द्वारा पागल प्रमाणित कर दिया जाता है, तो भुगतान जिलाधीश के आदेश पर भारतीय पागलपन अधिनियम, 1912 की धारा-95 की उप-धारा (1) की शर्तों के अनुसार उस व्यक्ति को किया जाएगा जो पागल के लिए भारित है और लेखा अधिकार जितनी रकम उस व्यक्ति जो पागल के लिये भारित है, को देना उपयुक्त समझे, भुगतान करेगा और अधिशेष राशि यदि कोई हो या उसका कोई भाग जैसा भी वह उपयुक्त समझे, पागल के परिवार के सदस्यों को जो उस पर आश्रित हैं, के निर्वाह हेतु देगा।

(3) रकम का भुगतान केवल भारत में ही किया जाएगा। जिन व्यक्तियों को रकमें देय हों वह भुगतान को भारत में प्राप्त करने के लिए स्वयं प्रबन्ध करेंगे। जमाकर्ता द्वारा भुगतान के दावे के लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनायी जाएगी, नामत :

(1) कार्यालय अध्यक्ष प्रत्येक जमाकर्ता को निधि में उसके खाते में जमा रकम को निकालने के लिये आवेदन करने के लिये या तो जमाकर्ता की सेवा निवृत्ति की आयु होने के एक वर्ष पूर्व या उसकी सेवा निवृत्ति की अपेक्षित तारीख से पहले, यदि पहले हो, आवश्यक आवेदन-प्रपत्र भेजेगा जिससे यह हिदायतें होंगी कि जमाकर्ता इन प्रपत्रों को प्राप्त करने की तारीख से एक महीने के भीतर विधिवत् भर कर उसे वापस भेज दें। जमाकर्ता कार्यालय अध्यक्ष के माध्यम से लेखा अधिकारी को निधि में उसके खाते में जमा रकम के भुगतान के लिए आवेदन प्रस्तुत करेगा। आवेदन निम्नांकित के लिए किया जाएगा—

(अ) निधि में उसके खाते में जमा धन, जो उसकी सेवा निवृत्ति की तारीख या सेवा निवृत्ति की अपेक्षित तारीख के एक वर्ष पूर्व समाप्त हुए वर्ष की लेखा-विवरण में दिखाया गया है, के लिये; या

(ब) यदि जमाकर्ता को लेखा-विवरण प्राप्त न हुआ हो तो उस मामले में उसके बही-खाता में अंकित रकम के लिये।

(2) कार्यालय अध्यक्ष आवेदन-पत्र को, जमाकर्ता द्वारा लिये गए अग्रिमों, जो अभी विद्यमान हैं, के प्रति की गई वसूलियों तथा उसकी किस्तों की संख्या जो अभी वसूल की जानी हैं का उल्लेख करके और जमाकर्ता द्वारा लेखा अधिकारी द्वारा जारी पिछली विवरणी के बाद निकाले गए धन, यदि कोई हो,

का भी उल्लेख करके, लेखा अधिकारी को अग्रप्रेषित करेगा।

(3) लेखा अधिकारी, बही खाता से सत्यापन करने के बाद, आवेदन-पत्र में उल्लिखित रकम के भुगतान के लिए सेवा निवृत्ति की आयु होने से कम-से-कम एक महीना पहले प्राधिकार जारी करेगा किन्तु यह रकम सेवा-निवृत्ति की तारीख को ही भुगतान योग्य होगी।

(4) अनुच्छेद-3 में वर्णित प्राधिकार भुगतान की पहली किस्त के लिये होगा। इस उद्देश्य के लिये दूसरा प्राधिकार सेवा-निवृत्ति के बाद यथा-शीघ्र जारी किया जाएगा। यह जमाकर्ता के द्वारा अनुच्छेद (1) के अन्तर्गत किये गये आवेदन में वर्णित रकम के बाद किये गए अंशदान तथा उन अग्रिमों, जो पहले आवेदन-पत्र के समय बकाया थे, के प्रति वापिस की गई किस्तों से संबंधित होगा।

(5) अन्तिम भुगतान के लिये लेखा अधिकारी को आवेदन-पत्र अग्रप्रेषित करने के बाद, अग्रिम/धन निकासी मंजूर की जा सकेगी लेकिन राशि संबंधित लेखा अधिकारी, जो मंजूरीकर्ता प्राधिकारी से औपचारिक मंजूरी प्राप्त होने पर, तुरन्त इसका प्रबन्ध करेगा, के प्राधिकार पर ही निकाली जाएगी।

21. निधि में संचित राशि का स्थानान्तरण

किसी व्यक्ति का केन्द्रीय/राज्य सरकार या केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व/नियंत्रित निकाय या समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत स्वायत्तशासी संगठन के अधीन सेवा से बोर्ड की सेवा में स्थानान्तरण पर कार्य-विधि :

यदि बोर्ड का कोई कर्मचारी जो इस निधि का सदस्य बनने से पहले केन्द्रीय/राज्य सरकार या केन्द्रीय/राज्य सरकार द्वारा स्वामित्व/नियंत्रित निकाय या समिति पंजीकरण अधिनियम, 1860 के अधीन पंजीकृत स्वायत्तशासी संगठन के किसी भविष्य निधि का अंशदाता था तो उसके अंशदान और उस नियोक्ता के अंशदान की राशि, यदि कोई हो, उस पर ब्याज सहित, उस सरकार/निकाय/संगठन की सहमति से इस निधि में अन्तरित कर दी जाएगी।

22. अंशदायी भविष्य निधि (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड) में राशि का अन्तरण

यदि इस निधि का कोई जमाकर्ता बाद में अंशदायी भविष्य निधि (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड) का सदस्य बन जाता है तो उसके अंशदान की राशि उस पर ब्याज सहित अंशदायी भविष्य निधि (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड) में उसके खाते में अन्तरित कर दी जाएगी।

विनियमों में शिथिलता

23. व्यक्तिगत मामलों में विनियमों के प्रावधानों में शिथिलता देना

जब अध्यक्ष इस बात से सन्तुष्ट हो जाता है कि इन विनियमों के किसी प्रावधान का प्रचलन जमाकर्ता को अनुचित कठिनाई पहुंचाता है या पहुंचाने की सम्भावना है, तो वह इन विनियमों में अन्यथा होते हुए भी, ऐसे जमाकर्ता के मामले को इस प्रकार से निपटाएगा जो उसे उचित और न्यायसंगत लगे।

24. कार्यविधि विनियम

(1) अंशदान के भुगतान के समय लेखा संख्या उद्धृत करना

जब जमाकर्ता भारत में अंशदान का भुगतान या तो परिलब्धियों से कटौती द्वारा या नकद कर रहा हो तो उस समय वह निधि में अपना लेखा संख्या, जो लेखा अधिकारी द्वारा उसे सूचित की जाएगी, उद्धृत करेगा। इसी प्रकार लेखा अधिकारी लेखा सख्या में किसी परिवर्तन को भी सूचित करेगा।

25. जमाकर्ता को लेखे की वार्षिक विवरणी देना

(1) प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के बाद जितना जल्दी सम्भव हो लेखा अधिकारी प्रत्येक जमाकर्ता को निधि में उसके लेखे का विवरण प्रेषित करेगा जिसमें वर्ष की एक अप्रैल को प्रारम्भिक शेष, वर्ष के दौरान कुल जमा की गई रकम या निकाली गई रकम, वर्ष के 31 मार्च तक ब्याज की कुल जमा रकम और उस तारीख तक अन्तिम शेष दिखाया जाएगा। लेखा अधिकारी लेखा विवरणी के साथ यह पूछताछ संलग्न करेगा कि क्या जमाकर्ता—

(अ) विनियम-5 के अन्तर्गत या इसके पहले प्रचलित अनुरूप विनियम के अन्तर्गत दिये गये किसी नामांकन में किसी परिवर्तन करने की इच्छा रखता है;

(ब) ने परिवार अर्जित कर लिया है, उन मामलों में जहां जमाकर्ता ने विनियम-5 के उप-विनियम (1) के उपबंध के अन्तर्गत नामांकन अपने परिवार के सदस्य के पक्ष में न किया हो।

(2) जमाकर्ता को वार्षिक विवरणी की विशुद्धता से स्वयं को सन्तुष्ट कर लेना चाहिये और यदि कोई त्रुटि हो तो विवरण प्राप्त करने के तीन महीने के अन्दर लेखा अधिकारी के ध्यान में लाना चाहिये।

(3) जमाकर्ता यदि चाहेगा तो लेखा अधिकारी, वर्ष में केवल एक बार ही, जमाकर्ता को उस माह जिसके लिये उसका खाता लिख दिया गया हो के अन्त में निधि में उसके खाते में कुल जमा रकम की सूचना देगा।

26. व्याख्या : यदि इन विनियमों की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न उठता है तो उसे बोर्ड के पास भेजा जाएगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा।

27. निधियों का प्रशासन : निधि का प्रशासन सदस्य सचिव द्वारा किया जाएगा।

28. निधि का निवेश : निधि का निवेश भारत सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित प्रतिमान पर और प्रतिभूतियों में किया जाएगा।

29. केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम 1960 के परिवर्धन/स्पष्टीकरण में अपने कर्मचारियों के संबंध में जारी किये गए सभी निर्णय एवं आदेश आवश्यक परिवर्तन सहित इस बोर्ड के कर्मचारियों पर भी लागू होंगे। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार द्वारा सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सरकार) नियम, 1960 में अपने कर्मचारियों के लिये समय-समय पर किये गए संशोधन/परिशोधन/परिवर्धन आवश्यक परिवर्तन सहित इस बोर्ड के कर्मचारियों पर लागू होंगे।

30. इन विनियमों में कोई भी संशोधन/परिवर्तन वित्त मंत्रालय/पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के परामर्श से किया जाएगा।

अनुसूची [विनियम 5 (3)]

नामांकन–पत्र

मैं,.....,एतद्द्वारा निम्नलिखित व्यक्ति (यों) जो, जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड सामान्य भविष्य निधि विनियम, 1990 के विनियम–2 में परिभाषित है, मेरे परिवार का/के सदस्य है/नहीं है/हैं/नहीं हैं को निधि में मेरे खाते में जमाराशि को, जिसके देय होने से पहले या देय हो जाने पर भुगतान होने से पहले ही मेरी मृत्यु हो जाने की अवस्था में, निम्नानुसार प्राप्त करने के लिए नामित करता हूं।

नामित (तों) का नाम व पूरा पता	जमाकर्ता के साथ सम्बन्ध	नामित की आयु	(नामित (तों) को देय भाग	घटना जिसके घटने पर नामांकन अवैध हो जाएगा	उस/उन व्यक्ति (यों), यदि कोई हो, जिन्हें जमाकर्ता की मृत्यु से पहले ही नामित की मृत्यु हो जाने की अवस्था में नामित का अधिकार चला जाएगा, का नाम, पूरा पता व उसका/उनका जमाकर्ता के साथ सम्बन्ध	यदि नामित जमाकर्ता के परिवार का सदस्य नहीं है जैसा कि विनियम 2 में परिभाषित है,तो उन कारणों का उल्लेख करें

दिनांक : तारीख.....मास.....19, स्थान.....

जमाकर्ता के हस्ताक्षर.....
पूरा नाम.....
पदनाम.....

दो साक्षियों के हस्ताक्षर
नाम व पूरा पता हस्ताक्षर

1.....

2.....

कार्यालय अध्यक्ष/वित्त एवं लेखा अधिकारी द्वारा प्रयोग हेतु स्थान

श्री/श्रीमती.....पदनाम.....द्वारा नामांकन

नामांकन की प्राप्ति की तारीख.....

कार्यालय अध्यक्ष/वित्त एवं लेखा अधिकारी के हस्ताक्षर....
पदनाम.....
तारीख.....

जमाकर्ता के लिए निर्देश—

(अ) अपना नाम भरा जाए।

(ब) निधि का नाम उचित रूप से पूरा किया जाए।

(स) शब्द "परिवार" की परिभाषा जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड सामान्य भविष्य निधि विनियम, 1990 में दी गई है पुनः प्रस्तुत की जाती है।

"परिवार" से अभिप्राय :—

(1) पुरुष जमाकर्ता के मामले में, जमाकर्ता की पत्नी, माता-पिता, बच्चे, नाबालिग भाई, अविवाहित बहनों, और जमाकर्ता के मृतक पुत्र की विधवा तथा बच्चे, तथा जहां जमाकर्ता के माता-पिता जीवित नहीं है पैतृक दादा-दादी :

बशर्ते कि—

यदि जमाकर्ता यह सिद्ध कर देता है कि उसकी पत्नी न्यायिक तौर से उससे अलग हो गई है या सम्प्रदाय जिससे वह संबंधित है की प्रथा अनुसार निर्वाह भत्ता की पात्रता से वंचित हो गई है, तो उन मामलों के लिये जिनमें यह विनियम लागू होते हैं, उसे जमाकर्ता के परिवार की सदस्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि जमाकर्ता बाद में लेखा अधिकारी को लिखित में सूचित नहीं करता है कि उसे उसके परिवार की सदस्य ही समझा जाए।

(2) महिला जमाकर्ता के मामले में, उसका पति, माता-पिता, बच्चे, नाबालिग भाई, अविवाहित बहनें, उसके मृतक पुत्र की विधवा और बच्चे, और जहां जमाकर्ता के माता-पिता जीवित नहीं हैं, पैतृक दादा-दादी :

बशर्ते कि—

यदि जमाकर्ता लेखा अधिकारी को लिखित नोटिस द्वारा अपने पति को अपने परिवार की सदस्यता से बाहर रखने की इच्छा व्यक्त करती है, तो उसे उन मामलों के लिये जिनमें यह विनियम लागू होते हैं, परिवार का सदस्य नहीं समझा जाएगा जब तक कि जमाकर्ता बाद में इस प्रकार के नोटिस को लिखित में रद्द नहीं कर देती है।

नोट : —बच्चे से अभिप्राय न्यायोचित बच्चे से है और इसमें गोद लिया गया बच्चा भी सम्मिलित है जहां पर यदि वैयक्तिक कानून, जिससे जमाकर्ता प्रशासित है, द्वारा मान्य हो।

(द) यदि एक ही व्यक्ति नामित है तो कालम 4 में नामित के सामने शब्द "पूरा" लिखा जाना चाहिए। यदि एक से अधिक व्यक्ति नामित जाते हैं, तो भविष्य निधि में जमा राशि में से प्रत्येक नामित को देय हिस्सा विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

(य) कालम 5 में नामित की मृत्यु को आकस्मिकता घटना के तौर पर उल्लेख नहीं करना चाहिए।

(र) कालम 6 में अपने नाम का उल्लेख न करें।

(ल) नामांकन में अन्तिम प्रविष्टी के नीचे तिरछी रेखा खींच दें ताकि आपके द्वारा हस्ताक्षर कर देने के बाद इसमें और को प्रविष्टी न कर सके।

कृष्ण कुमार भटनागर
सदस्य सचिव

RESERVE BANK OF INDIA

DEPARTMENT OF FINANCIAL COMPANIES

CENTRAL OFFICE

Calcutta-700 001, the 1st February 1990

No. DFC. 58/ED(T)-90.—In exercise of the powers conferred by Sections 45J, 45K and 45L of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934) and of all the powers enabling it in this behalf, the Reserve Bank of India, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that the Non-Banking Financial Companies (Reserve Bank) Directions, 1977 and Miscellaneous Non-Banking Companies (Reserve Bank) Directions 1977 shall with immediate effect be amended in the following manner, namely :—

1. In the First Schedule to the respective Directions 1977

(a) In Part-1

for the existing item 9, the following shall be substituted, namely :—

"Of the total deposits at item 6 above, those free of interest and bearing interest (excluding brokerage if any)*

	Code No.
(i) Free of interest	151
(ii) Below 6%	152
(iii) 6% or more but less than 9%	153
(iv) 9% or more but less than 11%	154
(v) 11% or more but less than 13%	155
(vi) 13% or more but less than 14%	156
(vii) at 14%	157
(viii) More than 14%	158

Total 9 (i to viii) should tally with item 6 above.

(b) In Part—2

(i) for the existing item 2, the following shall be substituted, namely :—

	Code No.
"2. Money received from a foreign Government or any other authority (see also note 3 below)"	202

(ii) for the existing item 4, the following shall be substituted, namely :—

	Code No.
"4. Money received from any other company not being a company incorporated outside India."	

(iii) In note 3, all the items 3 to 5 appearing after the words 'Foreign Authority' shall be deleted.

(c) In Part-6

item 1 shall be substituted by the following, namely :—

	Code No.
"1. Automobiles	610
(i) Trucks/Lorries/Buses.	611
(ii) Cars/Jeeps/Other light motor vehicles	612
(iii) Two wheelers/three wheelers.	613
(iv) Others.	614 "

(d) In Part 7

(i) after the asterisk (*), a note shall be inserted before the words 'To be computed' as under, namely :—

"In Col. 5 "the credit outstanding" should depict amounts in repees (in thousands) calculated as per illustration."

2. In the Second Schedule to the respective Directions 1977

(a) In Col. 3

against item No. 1 the words "and the Union Territories of" appearing between "Orissa" and "Arunachal Pradesh" shall be deleted and the words "and the Union Territories of" shall be inserted between the words "Mizoram" and "Andaman and Nicobar Islands" and

(b) In Col. 3

against item No. 2, the word "Goa" shall be inserted after the words "States of" and the word "Goa" appearing between the words "Nagar Haveli" and "Daman and Diu" shall be deleted.

S. S. TARAPORE,
Executive Director

STATE BANK OF INDIA

CENTRAL OFFICE

Bombay, the 17th March 1990

No. 11/1990—In exercise of the powers under sub-section (1) of Section 41 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, and with the approval of the Reserve Bank of India, the State Bank of India has appointed the firm of Auditors noted against each of the following subsidiary Banks as Auditors of that Subsidiary Bank :—

Name of the Bank	Name of the Auditors
1	2
State Bank of Bikaner & Jaipur	(1) M/s. O. P. Totla & Co., Chartered Accountants, 46, Shiv Vilas Palace, Rajwada, Indore–452004.
	(2) M/s. Dhamija Sukhija & Co., Chartered Accountants, 26, Hotel Metro, N-1, Connaught Place, New Delhi–110001.
	(3) M/s. Vyas & Vyas, Chartered Accountants, Bhola Bhavan, M.I. Road, Jaipur–302001.
	(4) M/s K.M. Agarwal & Co., Chartered Accountants, 36, Netaji Subhash Marg, Darya Ganj, New Delhi.
State Bank of Hyderabad	(1) M/s. Bansal Sinha & Co., Chartered Accountants, 2061/39, Nalwa Street, Gurudwara Road, Karol Bagh, New Delhi
	(2) M/s. Suryanarayan Murthy & Co., Chartered Accountants, Gandhi Nagar, Vijayawada.
	(3) M/s. Jagdish Chand & Co., Chartered Accountants, 96, Model Basti, New Delhi.
	(4) M/s. B. Thiagarajan & Co. Chartered Accountants, 1, Eighth Street, Gopalapuram, Madras–600086.
State Bank of Indore	(1) M/s. H. Gambhir & Co., Chartered Accountants, 4/6, D. B. Gupta Road, Pahar Ganj, New Delhi.
	(2) M/s. M. Mittal & Aggarwal, Chartered Accountants, 13, Darya Ganj, Behind Employment Exchange, New Delhi–110002.
	(3) M/s. S. Prashad & Co., Chartered Accountants, 2, Barar House, Bara Tooti, Sadar Bazar, New Delhi–110006.
State Bank of Mysore	(1) M/s. Manian & Rao, Chartered Accountants, 24, Rathna Vilas Road, Basavanagudi, Bangalore–560004.
	(2) M/s. Batra Sapra & Co., Chartered Accountants, F-14, Nahar House, Amar Chamber Apartments, Cannaught Circus, New Delhi.

1	2
	(3) M/s. Sharma Goel & Co., Chartered Accountants, 47, Ram Nagar, New Delhi.
	(4) M/s. S. Mohan & Co., Chartered Accountants, G-47, Connaught Circus, New Delhi.
State Bank of Patiala	(1) M/s. Kumar Sharma & Co., Chartered Accountants, 20, Ansari Road, Darya Ganj, New Delhi.
	(2) M/s. V. C. Gautam & Co., Chartered Accountants, Dream Land Hotel R-7, The Ridge Mall, Shimla (H.P.).
	(3) M/s. Prakash & Santosh, Chartered Accountants, Vikas Market, 40/5, Parade, Kanpur-1.
	(4) M/s. Babber Jindal & Co. Chartered Accountants, Pratap St., Gola Market, Behind Golcha Cinema, New Delhi.
State Bank of Saurashtra	(1) M/s. Manubhai & Co., Chartered Accountants, 2nd floor, Parmeshwar Chambers, Opp. Dinesh Hall, Near Gandhi Bridge, Ahmedabad-380009.
	(2) M/s. Mehta & Co., Chartered Accountants, 2337, Ramlaljika Rasta, Johri Bazar, Jaipur.
	(3) M/s. Korke & Rawal, Chartered Accountants, 603, Murlidhar Chambers, 352, Jagnnath Shankar Shet Road, Bombay-400002.
State Bank of Travancore	(1) M/s. Narasimha Rao & Associates, Chartered Accountants, Flat 3, 1st floor, Unity House, 5-0-250, Abid Road, Hyderabad-1.
	(2) M/s Sankar & Moorthy, Chartered Accountants, Gandhari Amman Koil, Ruthanchanty St., Trivandrum-695001.
	(3) M/s. Abraham & Jose, Chartered Accountants, Post Office Road, Trichur-680001.
	(4) M/s Borar & Co., Chartered Accountants, 71, Darya Ganj, New Delhi.

2. The appointments are in respect of the accounting period ending 31st March 1990 and shall be for period of one year with effect from tte 1st February 1990 to the 31st January 1991.

(Sd./) ILLEGIBLE
Chairman

Bombay, the 17th March 1990

No. 12/1990.—In exercise of the powers under sub-section (1) of Section 63 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, and as approved by the Reserve Bank of India and the Board of Directors of the Associate Bank, the State Bank of India has approved the undernoted addition in Regulation 17 of the State Bank of Hyderabad Employees' Provident Fund Regulations :—

Sub-Regulation 17(4)

"Notwithstanding, anything contained in Sub-Regulation (1) when any amount becomes payable under the said Sub-Regulation to a member, who is under a liability to the Bank, the amount due under such liability (not exceeding in any case the total amount of contribution made by the Bank to his account together with the interest credited in respect thereof) shall be deducted from the amount payable to the member and paid to the Bank."

By the Orders of the Central Board

(Sd./-) ILLEGIBLE
Dy. Managing Director
(Associate Banks)

STATE BANK OF INDORE

HEAD OFFICE

Indore, the 29th March 1990

No. F&A/SHARE/6248.—NOTICE is hereby given that the Register of Shareholders of the State Bank of Indore will remain closed for transfer of shares from 21st May, 1990 to 18th June, 1990 (both days inclusive).

By Order of the Board of Directors

M. K. SINHA,
Managing Director

CANARA BANK

PERSONNEL MANAGEMENT SECTIO

PERSONNEL WING

HEAD OFFICE

Bangalore–2, the 20th March 1990

No. PWPM/3822/78/NSR

Sl. No.	Regulation No.	Existing Regulation	Amended version of Regulation (after taking into account Amendment made by the Board)	Date of Adoption of Amendment by the Board	Remarks
1	2	3	4	5	6
1.	3(k)	'PAY' means basic pay	'PAY' means basic pay including stagnation increment.		
2.	3(l)	'SALARY' means the aggregate of the basic pay and dearness allowance.	'SALARY' means the aggregate of the pay and dearness allowance.		
3.	4(1)	**Grades and Scales of pay** On and from 1.2.1984, there shall be the following four grades for officers with the scale of pay specified against each of the grades :— (a) Top Executive Grade : Scale VII Rs. 4100–125–4600 Scale VI Rs. 3850–125–4350 (b) Senior Management Grade : Scale V Rs. 3575–110–3685–115–3800 Scale IV Rs. 2925–105–3450 (c) Middle Management Grades : Scale III Rs. 2650–100–3250 Scale II Rs. 1825–100–2925 (d) Junior Management Grade : Scale I Rs. 1175-60-1475-70-1895-EB-95-2275–100-2675 Provided that every officer who is governed by the scale of pay as in force on the appointed date having been fitted into the said scale of pay in accordance with the guidelines of the Government issued under Regulation 8, shall be fitted in the scale of pay set out above in accordance with the guidelines of the Government.	On and from 1.2.1984, there shall be the following four grades for officers with the scale of pay specified against each of the grades :- (a) Top Executive Grade : Scale VII Rs. 4100-125–4600 Scale VI Rs. 3850–125–4350 (b) Senior Management Grade : Scale V Rs. 3575–110–3685–115–3800 Scale IV Rs. 2925–105 3450 (c) Middle Management Grade: Scale III Rs. 2650–100–3250 Scale II Rs. 1825–100–2925 (d) Junior Management Grade : Scale I Rs. 1175–60–1475–70–1895–EB–95–2275–100–2675 On and from 1.11.1987, the scales of pay specified against each grade shall be as under (a) Top Executive Grade: Scale VII Rs. 6400–150–7000 Scale VI Rs. 5950–150–6550		

(b) Senior Management Grades
Scale V Rs. 5350-150-5950
Scale IV Rs. 4520-130-4910-140-5050-150-5350

(c) Middle Management Grades
Scale III Rs. 4020 120-4260-130-4910
Scale II Rs.3060-120-4260-130-4390

(d) Junior Management Grade:
Scale I Rs. 2100-120-4020

Provided that every officer who is governed by the Scale of Pay as in force on the appointed date having been fitted into the said scale of pay in accordance with the guidelines of the Government issued under Regulation 8, shall be fitted in the Scale of pay set out above in accordance with the guidelines of the Government.

On and from 1.11.1987, the increment shall be granted subject to the following sub-clauses:-

(a) The increments specified in the scales of pay set out in Regulation (4) (1) shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due.

(b) Officers in Scale I and Scale II, 1 year after reaching the maximum in their respective scales, shall be granted further increments including stagnation increment (s) in the next higher scale only as specified in (c) below subject to their crossing the efficiency bar.

(c) Officers including those referred to in (b) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scales II and III shall draw stagnation increment (s) for every three completed years of service after reaching the last stage of the Scale II or Scale III as the case may be subject to amaximum of two such increments of Rs.130/- each for officers in the last stage of Scale II and one such increments of Rs.140/- for officers in the last stage of Scale III.

4. 5(1)

Increments : The increment specified in the various scales of pay set out in Regulation 4 shall, subject to the sanction of the competent authority, accrue on an-annual basis and shall be granted on the first day of the month in which it falls due.

On and from 1-1-1985, provided that those officers in Junior Management Grade State I and Middle Management Grade Scales II and III who reach the maximum of their pay scale shall be granted stagnation increments equivalent to the last increment for every five completed years of service after reaching the maximum in the respective scales, subject to a maximum of two such increments for Officers in Junior Management Grade Scale I and one such increment for officers in Middle Management Grade Scales II and III.

In case of those officers who have completed more than 5 years of service at the maximum of the respective scales the first such stagnation increment will be granted effective from the date on which it falls due on from 1st January, 1985, whichever is later, but the second such increment shall be granted to those eligible not earlier than 1st January, 1987.

1	2	3	4	5	6
			NOTE : Grant of such increments in the next higher scale shall not amount to promotion. Officers even after receipt of such increments shall continue to get privileges, perquisites, duties, responsibilities or posts of their substantive Scale–I or Scale–II as the case may be.		
5.	5(2)	Explanation–II No increments in considerations of passing Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination shall be granted after an officer has reached the maximum of the scale of pay. On and from 1–2–1984, provided that those officers who have reached the maximum of their pay scales, professional qualification allowance of Rs. 100/– p.m. shall be granted for passing Part–I of CAIIB examination after they complete one year at the maximum in the scale of pay and Rs. 200/ p.m. for passing both parts of CAIIB examination after they complete two years at the maximum in the scale of pay.	On and from 1.11.1987 officers who reach or have reached the maximum the pay scale and are unable to move further except by way of promotion shall subject to Government guidelines, if any, be granted Professional Qualification Allowance in lieu of additional increments in consideration of passing CAIIB Examination as under: Those who have passed only part–I of CAIIB — Rs.100/– p.m. after one year, of which, Rs. 75/– shall rank for superannuation benefits. Those who have passed both parts of CAIIB i. Rs.100/– p. m. after 1 year, of which Rs. 75/– shall rank for superannuation benefits. ii. Rs. 250/– p.m. after 2 years, of which Rs. 200/- shall rank for superannuation benefits. NOTE: If an officer who is in receipt of Professional Qualification Allowance is promoted to next higher scale, he shall be granted, on fitment into such higher scale, additional increment(s) for passing CAIIB to the extent increments are available in the scale and if no increments are available in the scale or only one increment is available in the scale, the officer shall be eligible for Professional Qualification Allowance in lieu of increment(s).	

6. 21 Dearness Allowance

On and from 1-2-1984, Dearness Allowance shall be payable to an officer when the All India Working Class Consumer Price Index goes beyond 332 (Base 1960=100). Such Dearness Allowance including the rate of neutralisation, frequency of adjustment, blocks for which it should be payable and the ceiling on pay plus Dearness Allowance shall be determined, from time to time, in accordance with the guidelines of the Government.

(The existing guidelines issued under Regulation 21 stands deleted in view of the proposed Regulation).

On and from 1.11.1987, Dearness Allowance Scheme shall be as under:-

(i) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 600 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100.

(ii) Dearness Allowance shall be payble as per the following rates:-

(i) 0.67% of 'pay' upto Rs. 1650/- plus
(ii) 0.55% of 'pay' above Rs. 1650/- to Rs. 2835/- plus
(iii) 0.33% of 'pay' above Rs. 2835/- to Rs. 4020/- plus,
(iv) 0.17% of 'pay' above Rs. 4020/-

7. 22 House Rent Allowance

(1) On and from 1-2-1984, where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, 10% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

(2) On and from 1-2-1984, where an officer is not provided with residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for house rent allowance being a sum equivalent to the excess of the actual rent paid by him for his residential accommodation over 10% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed, such sum being subject to the following rates :—

Where the place of work is in	HRA payable shall be
1	2
(i) Major 'A' Class cities specified as such from time to time by the Board in accordance with the guidelines of the Govt. and Project Area Centres in Group 'A'.	17 1/2% of the basic pay subject to a maximum of Rs. 500/- p.m.

On and from 1.11.1987, where an officer is provided with residential accommodation by the bank, 6% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommmodation whichever is less, will be recovered from him.

On and from 1.11.1987, where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the following rates :—

Where the place of work is in	HRA payable shall be
1	2
(i) Major 'A' class cities specified as such from time to time in accordance with guidelines of the Govt. & Project Area Centres in Group 'A'.	14% of the pay subject to a maximum of Rs.375/-.

1	2	3	4	5	6

1	2
(ii) Area I not covered by item (i) above and Project Area Centres in Group 'B'	15% of the basic pay subject to a maximum of Rs.400/- p.m.
(iii) Area II and State Capitals and Capitals of Union Territories not covered by (i) and (ii) above	12½% of the basic pay subject to a maximum of Rs. 300/- p.m.
(iv) Area III	10% of the basic pay subject to a maximum of Rs. 250/- p.m.

NOTE :

House rent allowance as above shall be paid on production of rent receipts, except that an officer may claim house rent allowance on certificate basis at the above rates subject to maximum as under :—

Major 'A' class cities and Project Area Centres in Group 'A'	Maximum Rs. 275/-
Other places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'.	Maximum Rs. 225/-
Area II and State Capitals and Capitals of Union Territories	Maximum Rs. 165/-
Area III	Rs. 110/- (fixed)

22(3) Where an officer resides in his own accommodation he shall be eligible for a House Rent Allowance on the same basis as mentioned in sub-regulation (2) as if he was paying by way of monthly rent a sum equal to one twelfth of the higher of A or B below:-

A

The aggregate of:-

(i) Municipal taxes payble in respect of the accommodation and

1	2
(ii) Other places in Area-I and Project Area Centres in Grooup 'B'.	12%of the pay subject to a maximum of Rs.300/-
(iii) Area II and state capitals and capitals of Union Territories not covered by (i) and (ii) above	10% of the pay subject to a maximum of Rs.250/-
(iv) Area-III	8% of the pay subject to a maximum Rs. 225/-

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his resdential accommodation in excess over 6% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed, with a maximum of 160% of the maximum House Rent Allowance payable otherwise.

Where an officer resides in his own accommodation he shall be eligible for a House Rent Allowance on the same basis as mentioned in proviso to sub regulation (2) as if he were paying by way of monthly rent a sum equal to one twelfth of the higher of 'A' or 'B' below:-

A

The aggregate of :-

(i) Municipal taxes payable in respect of the accommodation and

(ii) 12% of the capital cost of the accommodation including the cost of the land and if the accommodation is part of a building, the proportionate share of the capital cost of the land attributable to that accommodation, excluding the cost of special fixtures, like air conditioners, or

B

The annual rental value taken for municipal assessment of the accommodation

Explanation:-

(i) for the purpose of this Regulation "Standard Rent" means:-

(a) In the case of any accommodation owned by the Bank, the standard rent calculated in accordance with the procedure for such calculation in vogue in the Government.

(b) Where accommodation has been hired by the Bank, contractual rent payable by the bank.

8. 23 (i) City Compensatory Allowance

On and from 2-8-1988, if he is serving in a place mentioned in Coljumn 1 of the Table below, a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in Column 2 thereof against that place:—

Places	Rates
1	2
a. Places in Area I and in the State of Goa	10% of basic pay subject to a maximum of Rs. 200/- per month.
b. Places with population of 5 lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above	6% of basic pay subject to a maximum of Rs.120/- per month.

(ii) 12% of the capital cost of the accommodation including the cost of the land and if the accommodation is part of a building, the proportionate share of the capital cost of the land attributable to that accommodation, excluding the cost of special fixtures, like air conditioners ; or

B

The annual rental value taken for municipal assessment of the accommodation

Explanation:-

(i) for the purpose of this Regulation "Standard Rent" means:-

(a) In the case of any accommodation owned by the Bank the standard rent calculated in accordance with the procedure for such calculation in vogue in the Government.

(b) Where accommodation has been hired by the Bank, contractual rent payable by the Bank.

On and from 1-11-1987, if he is serving in a place mentioned in Column 1 of the Table below, a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in Column 2 thereof against that place, provided that the city compensatory allowance at places in the State of Goa other than urban agglomeration of Panaji and Murmugao, where it was not payable on 1-11-1987 shall be payable with effect from 20-8-1988:—

Places	Rates
1	2
a. Places in Area-I and in the State of Goa.	6½ % of basic pay subject to a maximum of Rs. 220/- per month
b. Places with population of 5 lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above	4% of bssic pay subject to a maximum of Rs. 135/-per month.

1	2	3	4	5	6
9.	23(v) Deputation Allowance/Officiating Allowance	On and from 1st February, 1984, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed. Alternatively, he may, in addition to his pay, draw a deputation allowance of 15% of pay such and other allowances as he would have drawn had he been posted in the Banks, service at that place. Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 7½ % of his pay. Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the Bank as a faculty member or to Banking Service Recruitment Board shall be eligible for deputation allowance at 7½% of his pay subject, however that an officer on deputation to Banking Service Recruitment Board shall be eligible for such deputation allowance with effect from 29th October, 1985, and not earlier.	On and from 1-11-1987, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed. Alternatively, he may in addition to his pay, draw a deputation allowance of 12% of pay maximum Rs. 700/- and such other allowances as he would have drawn had he been posted in the bank's service at that place. Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation he shall receive a deputation allowance equal to 6% of his pay maximum Rs. 350/-. Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the Bank as a faculty member or to Banking Service Recruitment Board shall be eligible for deputation allowance at 6% of his pay maximum Rs. 350/-.		
	23(vi)	On and from 1-1-1985, if he is required to officiate in a Post in a higher scale for continuous period of not less than 7 days at a time or an aggregate of 7 days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to10% of his pay, subject to a maximum of Rs.250/-p.m. for the period for which he officiates. Officiating Allowance will rank as pay for purposes of provident fund and not for other purposes. Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorisation of posts under Regulation 6, he shall not be eligible for the officiating allowamce for a period of one year from the date on which the review of the categorisation takes effect.	On and from 1.11.1987 if he is required to officiate in a post in a higher scale for continuous period of not less than 7 days at a time or an aggregate of 7 days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 6% of his pay, subject to a maximum of Rs. 250/- p.m. for the period for which he officiates. Officiating Allowance will rank as pay for purposes of Provident Fund and not for other purposes. Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorisation of posts under Regulation 6, he shall not be eligible for the Officiating Allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorisation takes effect.		
10.	23(vii) Closing Allowance	If he is directly engaged in the work relating to the closing of accounts or is required to do extra work arising out of such closing of accounts a closing allowance of Rs.150/- for every half yearly closing.	On and from financial year 1989-90 if he is posted at a branch where books are closed on 31st March and 30th September a closing allowance of Rs. 150/- for each of the two closings.		

11. 23(x) Hill and Fuel Allowance

If he is serving in a place mentioned in Column 1 of the Table below a Hill and Fuel Allowance at the rate mentioned in Column 2 thereof against that place:-

On and from 1-1-1985, in Regulation 23(x), the Table given therein be substituted by the following:-

TABLE

Places	Rates
1	2
Offices at altitudes of and over 1500 metres above Mean Sea Level.	10% of pay subject to a maximum of Rs. 130/- p.m.
Offices at altitudes of and over 1000 metres but below 1500 metres above Mean Sea Level.	8% of pay subject to a maximum of Rs.100/- p.m.

On and from 1-11-1987, if he is serving in a place mentioned in column 1 of the Table below, a hill and fuel allowance at the rate mentioned in column 2 thereof :—

TABLE

Places	Rates
1	2
(i) Place with an altitude of 1000 metres & above but less than 1500 metres and Mercara Town.	5% of pay subject a maximum of Rs. 130/-.
(ii) Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres.	6½% of pay subject a maximum of Rs. 160/-.
(iii) Place with an altitude of 3000 metres and above.	15% of pay subject to a maximum of Rs. 600/-.

NOTE :

(a) Officers posted at places with an altitudes of not less than 750 metres and which are surroundad by hills with higher altitude weich cannot be reeched without crossing an altitude of 1000 metres or more, will be paid hill and fuel allowance at the same rate as is payable at centres with an altitude of 1000 metres and above.

(b) Hill and Fuel Allowance presently paid at any centre not covered by the above classification shall stand withdrawn. The allowance already paid between 1-11-1987 and 30-4-1989 shall not be recovered. From 1st May, 1989, onwards the quantum of allowance paid as on 30th April under the old provisions alone shall be protected in the case of officers posted at that centre on or before that date till the time they remain posted at that centre in the same scale of pay.

1	2	3	4	5	6
12.	24(1) Medical Aid	An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis, namely:- (a) Medical expenses: on and from 1-1-1985 Reimbursement of medical expenses of an officer in the pay range specified in Column 1 of the table below and his family may be made on the strenght of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed subject to the limit specified in column 2 thereof :- TABLE Pay Range — Reimbursement limit p.a. 1 — 2 Rs.1175/- to Rs.1825/- pm — Rs. 600/- Rs.1826/- p.m. and above — Rs. 800/- NOTE: An officer may be allowed to accumulate unavalied medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above. Explanation: "FAMILY" of an officer for the purpose of this regulation shall consist of spouse, wholly dependant children and wholly dependent parents only. (b) Hospitalisation expenses : (i) Hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 75% in the case of an officer and 50% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalisation.	An officer shall be eligible for reimbusrement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis namely :- (a) Medical Expenses: on and from 1-11-1987 Reimbursement of medical expenses of an officer in the pay range specified in coumn 1 of the Table below and his family may be made on the strenght of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed subject to the limit specified in coloumn 2 thereof :- TABLE Pay Range — Reim bursement limit p.a. 1 — 2 Rs.2100/- to Rs. 3060/- p.m. — Rs. 600/- Rs.3061/- p.m. and above — Rs. 800/- NOTE: An officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximm amount provided above. Explanation : "FAMILY" of an officer for the purpose of this regulation shall consist of spouse, wholly dependent children and wholly dependent parents only. (b) Hospitalisation expenses : (i) On and from 1-4-1989, hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 90% in the case of an officer and 60% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalisation.	

		(v) On and from 1-1-1987, medical expenses incurred in respect of the following diseases which need domiciliary treatment as may be certified by the recognised hospital authorities and bank's medical officer shall be deemed as hospitalisation expenses and reimbursed to the extent of 75%in the case of an officer and 50% in the case of his family members. Cancer, Tuberculosis Paralysis, Cardiac Ailment, Tumour, Small pox, Pleuresy, Diphtheria, Leprosy, Kidney Ailment.	(v) On and from 1-4-1989. medical expenses incurred in respect of the following diseases which need to domiciliary treatment as may be certified by the recognised hospital authorities and bank's medical officer shall be deemed as hospitalisation expenses and reimbursed to the extent 90% in the case of an officer and 60% in the case of his family members:— Cancer, Tuberculosis, paralysis, Cardiac, Ailment, Tumour, Small pox, Pleusresy, Diptheria, Leprosy, Kidney, Ailment.
13.	25 RESIDENTIAL ACCOMMODATION	No officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the Bank. It shall, however, be open to the Bank to provide residential accommodation on payment by the officer of 10% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less. Where such res dential accommodation, is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.	On and from 1-11-1987, no officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the Bank. It shall, however, be open to the Bank to provide residential accommodation on payment by the officer of 6% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation whichever is less. Provided that a furhter sum equal to 1½% of pay in the first stage of the scale of pay will be recovered by the Bank from an officer if furniture is provided at such residence. Provided further that, where such residential accommodation is provided by the Bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.
14.	34(1) SICK LEAVE	An officer shall be eligible to 30 days of sick leave for each completed year of service. Such leave can be accumulative 1 to 360 days and may availed of only on production of medical certificate by a medical practitioner acceptable to the Bank or, at the Bank's discretion, nominated by it its cost.	On and from 1-1-1989, an officer shall be eligible for 30 days of sick leave for each completed year of service subject to a maximum of 18 months during the entire service. Such leave can be accumulative upto 540 days during the entire service and may be availed of only on production of medical certificate by a medical practitioner acceptable to the Bank or at the Bank's discretion nominated by it at its cost.
15.	35 ADDITIONAL SICK LEAVE	An officer who was in service of the Bank immediately prior to the date on which this regulation comes into force shall be eligible on completion of 24 years of service (including the period of his services in the existing Bank) for such additional sick leave, as he was eligible to under the then terms and conditions of service, and in respect of such additional sick leave, be paid one half of the emoluments.	On and from 1-11-989, where an officer has put in service of 24 years, he shall be eligible to additional sick leave at the rate if one month for each year of service in excess of 24 years subject to a maximum of three months of additional sick leave.

1	2	3	4	5	6
16.	41 MODE OF TRAVEL & EXPENSES ON TRAVEL	The following provisions shall apply whenever an officer is required to travel on duty:- (1) i. An officer drawing a pay of Rs.2925/-p.m. and above may travel by train AC 1st class or by air. Where he travels by air, he shall, unless otherwise provided by a general or special decision of the Board, be eligible only for economy class fare. ii. An officer drawing pay of Rs.2650/-p.m. and above less than 2925/- p.m. may travel by 1st class by train. He may, however, travel by AC 1st class if the distance to be travelled is more than 500 Kms. or an overnight journery is involved or with the prior. permission of the Competent Authority, by air. Where he travels by air, he shall be eligible only for economy class fare. iii. An officer drawing pay of less than Rs.2650/- p.m. may travel by 1st class by train. He may, however, travel by air if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest. iv. An officer drawing pay of Rs.2925/- p.m. and above may travel by car between places not connected by air or rail, provided that the distance does not exceed 500 kms. However when a major part of the distance between the two places can becovered by air or rail only, the rest of the distance should normally be covered by car.	On and from 1-1-1990, the following provisions shall apply whenever an officer is required to travel on duty:- (i) An officer in Junior management Grade may travel by 1st class or AC Sleeper by train. He may, however, travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest. (ii) An officer in Middle Management Grade may travel by 1st class or AC Sleeper by train. He may, however travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 500 Kms. He may, however, travel by air economy class) even for a shorter distance if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest. (iii) An officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by train AC 1st Class or by Air (economy class). iv An officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 Kms. However, when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail only the rest of the distance should normally be covered by car.		
17.	42(2) TRANSFER TRAVELLING ALLOWANCE ETC.	(i) An officer on transfer will be reimbursed his expenses for transporting his baggage by goods train up to the following limits:	(i) On and from 1-11-1987, an officer on transfer will be reimbursed his expenses for transporting his baggage by goods train upto the following limits:		

Pay Range	Where he has family	Where he has no family
Rs.1175/- p.m. to Rs.1825/- p.m.	3000 kgs.	1000 kgs.
Rs.1826/- p.m. and above	Full wagon	2000 kgs.

Pay Range	Where he has family	Where he has no family
Rs. 2100/- p.m. t0 Rs. 3060/- p.m.	3000 kgs.	1000 kgs.
Rs. 3061/- p.m. and above	Full wagon	2000 kgs.

18.	45(2) PROVIDENT FUND	The Bank shall contribute to the Provident Fund in accordance with the rules governing the provident Fund from time to time provided that the amount contributed by it shall not be more than 8 1/3% of the pay of the officer.	The Bank shall contribute to the Provident Fund in accordance with the rules governing the provident Fund, from time to time, provided that the amount contributed by it shall not be more than 10% of 80% of pay on and from 1·11·1987 to 31·12·1988, 10% of 90% of pay on and from 1·1·1989 to 31·12·1989 and 10% of pay on and from 1·1·1990 of the officer.
19.	46(2) GRATUITY	The amount of Gratuity payable to an officer shall be one month's pay for every completed year of service, subject to maximum of 15 month's pay. Provided that where an officer has completed more than 30 years of service, he shall be eligible by way of gratuity for an additional amount at the rate of one half of a month's pay for each completed year of service beyond thirty years.	The amount of Gratuity payable to an officer shall be one month's pay for every completed year of service, subject to maximum of 15 month's pay. Provided that where an officer has completed more than 30 years of service, he shall be eligible by way of Gratuity for an additional amount at the rate of one half of a month's pay for each completed year of service beyond thirty years. NOTE: If the fraction of service beyond completed years of service is six months or more, gratuity will be paid prorata for the period.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 26th March 1990

No. V. 33(13)-8/Estt.IV.—In pursuance of Section 25 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) read with Regulation 10 of the E.S.I. (General) Regulations, 1950 and in supersession of the Corporation's Notification No. V.33(13)-8/82-Estt. IV dated 21-12-1984 and amendment dated 31-3-1986, the Chairman, ESI Corporation hereby re-constitutes the Regional Board for Karnataka Region which shall consist of the following members, namely :—

Chairman

1. Minister for Social Welfare & Labour, Government of Karnataka.

Vice-Chairman

2. Secretary to Government, Health and Family Welfare Department, Government of Karnataka.

Member

3. The Commissioner of Labour, Government of Karnataka.

Officer directly incharge of the Scheme Ex-Officio-Member

4. The Director, ESI Scheme (Medical) Services, Rajajinagar, Bangalore.

Ex-Officio-Member

5. The Deputy Medical Commissioner, E.S.I. Corporation, South Zone, Bangalore.

Employers' representative

6. Sh. M. K. Panduranga Shetty, President, Federation of Karnataka, Chamber of Commerce & Industry, Bangalore.

Employers' additional representative

7. Shri Narayana Shetty, Director (Personnel), N.G.E.F. Byappana Halli, Bangalore.

8. Shri M. L. Chandak, Managing Director, West Coast Paper Mills Ltd., Dandely, North Kanara Dist. Karnataka.

9. Shri Ramachandra R. S., Managing Director, Davanagere Cotton Mills Ltd., Davanagere, Karnataka.

Employees' representative

10. Shri Allampalli Venkataram, General Secretary, Bharathiya Mazdoor Sabha, Subedar Chatram Road, Bangalore.

Employees' additional representative

11. Shri Sundara Murthy, Secretary, I.N.T.U.C., No. 26, 11th Cross, Vyalikapal, Bangalore.

12. Shri T.I. Madhavan, General Secretary, Hind Mazdoor Sabha, 6th Cross, L.N. Colony, Ist Main, Yeshwantapur, Bangalore.

13. Shri H. Mahadevan, A.I.T.U.C. Officer, Sampige Road, Malleswarm, Bangalore.

Member of the ESI Corporation residing in the State-Ex-Officio-Member

14. The Secretary to the Government of Karnataka, Social Welfare and Labour Department.

Member—Secretary

15. The Regional Director, ESI Corporation, Karnataka Region.

SMT. KUSUM PRASAD,
Director General

OFFICE OF THE CENTRAL PROVIDENT FUND COMMISSIONER

New Delhi, the 27th March 1990

CORRIGENDUM

No. P.IV/1(1)/84/RR.—In the notification No. P.IV/1(1)/84/RR, published in the Gazette of India, Part-III, Section-4 on 24-02-90;

"In the deputation clause under column 12 of the Schedule Insert the words "same or" after the words "appointment in the" and prior to the words "some other Organisation/Department".

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt.2/3108.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishments have applied for exemption under sub-Section (2A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (thereinafter referred to as the said Act);

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner, is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by Sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B.N. Som, hereby exempted each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said scheme for a further period of 3 years as indicated against their names.

SCHEDULE—I

REGION : ANDHRA PARDESH

Sr. No.	Name and address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended.	Date of expiry of earlier exemption	Period for exemption further extended.	CPFC's File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. The Associated Cement Companies Ltd., Mancherial Cement Works, Distt. Adilabad, Andhra Pradesh.	AP/239	S-35014(388)82-PF-II (SS-IV) dated 2-9-85	26-11-88	27-11-88 to 26-11-91	2/658/DLI/82 Vol. II
2.	M/s. Coromandel Fatilisess Ltd. 1-2-10, Sardarpatel Road, P. B. No. 1589, Secundcrabad.	AP/2760	S-35014(168)82-PF-II (SS-IV) dated 10-6-85	24-9-88	25-9-88 to 24-9-91	2/506/81-DLI
3.	M/s. Margadarsi Chit Fund (P) Ltd., Central Office : Margadarsi House, Abide Centre : Hyderabad-500001.	AP/3527	S-35014/36/84-PF-II dated 3-3-87	16-3-90	17-3-90 to 16-3-93	2/1007/84-DLI
4.	M/s. Mishra Dhatu Nigam Ltd. Post : Kanchan Bagh, Hyderabad-500285, A.P.	AP/3986	S-35014/219/85-SS-IV dated 14-10-1985	13-10-88	14-10-88 to 13-10-91	2/642/82-DLI
5.	i. M/s. Indian Express (Madurai) Private Ltd., Lower Tank Bund Road, Domalguda-Hydrabad.	AP/5456	S-35014(102)86-SSI-II dated 10-3-86	9-3-89	10-3-89 to 9-3-92	2/1314/85-DLI
	ii. M/s. Indian Express (Madurai) Private Ltd., Industrial Estate, V.T. Agraham, Vizianagaram-531211 (A.P.).	AP/5456-A	—do—	—do—	—do—	—do—
6.	M/s. Rayalaseema Grameena Bank, H.O. P.B. No. 65, Cuddapah-516001. (Andhra Pradesh).	AP/6075	S-35014/12/84-PF. II (SS-II) dated 24-3-87	2-3-90	3-3-90 to 2-3-93	2/982/83-DLI
7.	M/s. O.M.C. Computers Ltd., 4th Floor, Surya Towers, 104, S.P. Road, Secunderabad, Andhra Pradesh.	AP/12895	S-35014/192/86-PF. II (SS-II) dated 16-7-86	15-7-89	16-7-89 to 15-7-92	2/1383/86-DLI
8.	M/s. Prinakini Grameena Bank, G.T. Road, A.K. Nagar, Post : Nellore-524004.	AP/14126	S-35014(207)86-PF-II (SS-II)dated 21-7-86	20-7-89	21-7-89 to 20-7-92	2/1466/86-DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance or accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heirs(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shal be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt-I/3113.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952 (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme) :

NOW, THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said establishments with retrospective effect from the date mentioned against each from which date relaxation order under para 28 (7) of the said Scheme has been granted by the R.P.F.C. Andhar Pradesh from the operation of the said scheme for and upto a period of three years.

SCHEDULE—I

Sl. No.	Name & Address of the establishment	Code No.	Effective date of exemption	C.P.F.C.'s. File No.
1.	M/s. Lutheran Medical & Community Health Centre, Jeevagram, Renigunta-517520, Chittoor Distt.	AP/3808	1-12-1988	2/2407/90-DLI
2.	M/s. Tungabhadra Machinery & Tools Ltd., Post Bag No. 1, Narasingaraopet, Kurnool-518004.	AP/5819	1-1-1988	2/1945/88-DLI
3.	M/s. Khaitan Tibrewala Electricals Ltd., A-13, Co-op. Industrial Estate, Balanagar, Hyderabad-500037 (AP).	AP/6096 & AP/6096B	1-1-1988	2/2409/90-DLI
4.	M/s. Modern Proteins Ltd., Plot 1-12, Kurnool Industrial Estate, P. O. Kurnool.	AP/6236	1-12-1988	2/2408/90-DLI
5.	M/s. Sree Venkateswara Spinning Mills, Industrial Estate, Madanapalle, Chittoor Distt. (A.P.).	AP/6790	1-11-1988	2/2414/90-DLI
6.	M/s. Orient Cement, P. O. Devapur Cement Works-504218, Via-Mancherial (S. C. Rly), Adilabad Distt. A.P.	AP/13433	1-3-1988	2/2413/90-DL I
7.	M/s. Raasi Refractories Ltd., 8-2-248/1/7/1 & 2, Road No. 1, Banjara Hills, Punjagutta, Hyderabad-500482.	AP/17121	1-3-1988	2/2412/90-DLI
8.	M/s. Naveen Diesels, Post Box No. 1, Bhagyanagar Colony, Cuddapah-516001.	AP/17169	1-11-1988	2/2411/90 DLI
9.	M/s. I.D.C. Electronics Ltd., Plot No. 40—46, Part 'A' I.D.A., Cherlapalli, P. O. Hindustan Cable Ltd., Hyderabad-500051.	AP/18161	1-1-1989	2/2410/90-DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government, Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s) /legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nomine(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

The 28th March 1990

No. 2/1959/DLI/Exemp/89/Pt-I/3113.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act) :

AND WHEREAS, I, B. N. Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India in the nature of Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit Linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme);

NOW, THEREFORE, IN exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour Notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said scheme for a further period of 3 years as indicated against their names.

SCHEDULE—I

Region : COIMBATORE

S. No.	Name and address of the establishment	Code No.	No. and Date of Govt. of India Letter granting/extending exemption to the estt.	Date of expiry of exemption already granted	Period for which exemption is further extended	C.P.F.C.'s File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. Needle Industries (India) Pvt. Ltd. Needle Industries Post-643243, Nilgiris.	TN/854	S-35014/290/82-PF-II (SS-II) dated 21-4-86	31-12-88	1-1-89 to 31-12-92	2/761/82-DLI
2.	M/s. D.P.F. Textiles Limited, P.B. No. 5305 Mettupalayam Regd., E. N. Mills (P.O.), Coimbatore-641029.	TN/1059	S-35014(255)35-SS-IV dated 25-11-85	24-11-88	25-11-88 to 24-11-91	2/192/78-DLI
3.	M/s. Seshasayee Paper And Boards Limited, Pallipalayam, Cauvery R.S. P.O. Erode-638007.	TN/4028	S-35014/273/83-PF-II SS-II dated 20-10-86	23-12-89	24-12-89 to 23-12-92	2/159/78-DLI
4.	M/s. The Madras Aluminium Company Ltd., Mettur Dam, Salem District.	TN/5324	S-35014/189/85-SS-IV dated 21-8-85	20-8-88	21-8-88 to 20-8-91	2/304/79/DLI

SCHEDULE-II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspectoin charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s)/legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Schme but for grant of this exemption shall be that of the employer.

12 Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

No. 2/1959/DLI|Exemp|89|Pt-I|3123.—WHEREAS the employers of the establishments mentioned in Schedule I (hereinafter referred to as the said establishments) have applied for exemption under sub-section 2(A) of Section 17 of the Employees' Provident Funds and Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952) (hereinafter referred to as the said Act:

AND WHEREAS, I, B. N Som, Central Provident Fund Commissioner is satisfied that the employees of the said establishments are, without making any separate contribution or payment of premium, in enjoyment of benefits under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance which are more favourable to such employees than the benefits admissible under the Employees' Deposit-linked Insurance Scheme, 1976 (hereinafter referred to as the said Scheme):

NOW THEREFORE, IN exercise of the power conferred by sub-Section (2A) of Section 17 of the said Act and in continuation of the Government of India in the Ministry of Labour notification No. and date shown against the name of each of the said establishment and subject to the conditions specified in Schedule II annexed hereto, I, B. N. Som, hereby exempt each of the said establishments from the operation of all the provisions of the said scheme for a further period of 3 years as indicated against their names.

SCHEDULE—I

REGION : MADURAI

Sr. No.	Name and address of the establishment	Code No.	No. & Date of the Govt's Notification vide which exemption was granted/extended.	Date of expiry of earlier exemption	Period for which exemption further extended.	C.P.F.C.'s File No.
1	2	3	4	5	6	7
1.	M/s. Soundararaja Mills, Limited, Soundararaja Mills Road, Dindigul-6.	TN/160	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt. I/545 dated 1-9-89	31-12-89	1-1-90 to 31-12-93	2/2236/89/DLI
2.	M/s. Loyal Textile Mills, Limited, 21/4, Mill Street, Kovilpatti-627701 (Tamil Nadu).	TN/188	S-35014)(233)/35/83-II datee 29-8-86	28-8-89	29-8-89 to 28-8-92	2/1488/86-DLI
3.	M/s. The Vijayakumar Mills Ltd., A—Kalayamputhur-624615, (Via) Palani, S. Rly.	TN/274	2/1959/DLI/Exempt/89/ pt. I/545 dated-1-9-89	31-1-90	1-2-90 to 31-1-93	2/2056/89/DLI

1	2	3	4	5	6	7
4.	M/s. The Kanyakumari District Co-operative Spinning Mills Ltd., Aralvaymozhi-629301.	TN/5610	S-35014/83/83-PF-II SS-II dated 24-7-87	6-5-89	7-5-89 to 6-5-92	2/872/83-DLI
5.	M/s. Swamiji Mills Limited, 76, P.K.S. Street Sivakasi-626123 (Kamaraj District)	TN/6357	S-35014/306/83-PF-II SS-II dated 3-12-86	27-1-90	28-1-90 to 27-1-93	2/970/83-DLI
6.	M/s. Pioneer Spinners, Kamudakudi-623719, Paramakudi Taluk, Ramanathapuram Distt.	TN/7707	2/1959/DLI/Exemp/89/ Pt-I/545 dt. 1-9-89	31-12-89	1-1-90 to 31-12-93	2/2058/89/DLI

SCHEDULE II

1. The employer in relation to each of the said establishment (hereinafter referred to as the employer) shall submit such returns to the Regional Provident Fund Commissioner concerned and maintain such accounts and provide such facilities for inspection, as the Central Provident Fund Commissioner may direct from time to time.

2. The employer shall pay such inspection charges as the Central Government may, from time to time, direct under clause (a) of sub-section (3A) of Section 17 of the said Act, within 15 days from the close of every month.

3. All expenses involved in the administration of the Group Insurance Scheme, including maintenance of accounts, submission of returns, payment of insurance premia, transfer of accounts, payment of inspection charges etc. shall be borne by the employer.

4. The employer shall display on the Notice Board of the establishment, a copy of the rules of the Group Insurance Scheme as approved by the Central Government/Central Provident Fund Commissioner as and when amended, alongwith translation of the salient features thereof in the language of the majority of the employees.

5. Whereas an employee, who is already a member of the Employees' Provident Fund or the Provident Fund of an establishment exempted under the said Act, is employed in his establishment the employer shall immediately admit him as a member of the Group Insurance Scheme and pay necessary premium in respect of him to the Life Insurance Corporation of India.

6. The employer shall arrange to enhance the benefits available to the employees under the Group Insurance Scheme appropriately if the benefits available to the employees under the said Scheme are enhanced so that the benefits available under the Group Insurance Scheme are more favourable to the employees than the benefits admissible under the said Scheme.

7. Notwithstanding anything contained in the Group Insurance Scheme, if on the death of an employee the amounts payable under the Scheme be less than the amount that would be payable had the employees been covered under the said Scheme, the employer shall pay the difference to the nominee(s)/legal heir(s) of the employee as compensation.

8. No amendment of the provisions of the Group Insurance Scheme shall be made without the prior approval of the Regional Provident Fund Commissioner concerned and where any amendment is likely to effect adversely the interest of the employees, the Regional Provident Fund Commissioner shall before giving his approval, give a reasonable opportunity to the employee to explain their point of view.

9. Where for any reason, the employees of the said establishment do not remain covered under the Group Insurance Scheme of the Life Insurance Corporation of India as already adopted by the said establishment, or the benefits to the employees under this Scheme are reduced in any manner, the exemption shall be liable to be cancelled.

10. Where for any reason, the employer fails to pay the premium etc. within the due date, as fixed by the Life Insurance Corporation of India, and the policy is allowed to lapse, the exemption shall be liable to be cancelled.

11. In case of default, if any made by the employer in payment of premium the responsibility for payment of assurance benefits to the nominee(s) legal heir(s) of deceased member who would have been covered under the said Scheme but for grant of this exemption, shall be that of the employer.

12. Upon the death of the member covered under the Group Insurance Scheme the Life Insurance Corporation of India shall ensure prompt payment of the sum assured to the nominee(s)/legal heir(s) of the deceased member entitled for it and in any case within one month from the receipt of claims complete in all respect.

B. N. SOM
Central Provident Fund Commissioner

NATIONAL CAPITAL REGION PLANNING BOARD

New Delhi, the 19th March 1990

No. C-11031/1/88-NCRPB.—In exercise of the powers conferred by section 37 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985), the Board with the previous approval of the Central overnment, hereby makes the following Regulations, namely :—

1. Short title and Commencement :—

(1) These regulations may be called the National Capital Region Planning Board Contributory Provident Fund Regulations, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions : In these regulations, unless the context otherwise requires,—

(i) "Act" means the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985);

(ii) "Acounts Officer" means the officer to whom the duty to maintain the Provident Fund account of the subscriber has been assigned by the Board;

(iii) "Board" means the National Capital Region Planning Board constituted under sub-section (1) of Section 3 of the Act;

(iv) "Chairman" means the Chairman of the National Capital Region Planning Board;

(v) "emoluments" means pay, leave salary or subsistence grant as defined in the regulations and includes :

(a) dearness pay appropriate to pay, leave salary or subsistence grant, if admissible;

(b) any wages paid by Board to employees not remunerated by fixed monthly pay; and

(c) any remuneration of the nature of pay received in respect of foreign service;

(vi) "family" means :

(a) in the case of a male subscriber, the wife, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children, and where no parents of the subscriber is alive, paternal grand parents :

Provided that—

if a subscriber proves that the wife has been judicially separated from him or has ceased under customary law of the community to which she belongs, to be entitled to maintenance she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these regulations relate unless the subscriber subsequently intimate in writing to the Accounts Officer that we shall continue to be so regarded.

(b) In the case of a female subscriber, the husband, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children, and where no parents of the subscriber is alive, a paternal grand-parents :

Provided that—

If a subscriber by notice in writing to the Accounts Officers expresses her desire to exclude her husband from her family the husband shall henceforth be deemed to be no longer to member of the subscriber's family in the matters to which these rules relate, unless the subscriber subsequently cancels such notice in writing.

(vii) "Fund" means "The Contributory Provident (NCRPB) Fund;

(viii) "leave" means any kind of leave recognised by the regulations;

(ix) "Member secretary" means Member Secretary of the Board;

(x) "regulations" means National Capital Region Planning Board Regulations, 1986;

(xi) "vear" means a financial vear;

(xii) Any other expression or word used in these regulations which is defined either in the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925) or in the National Capital Region Planning Board Act, 1985 and the National Capital Region Planning Board Regulations, 1986 used in the sense therein defined.

3. Constitution of the Fund :—

(1) The fund shall be maintained in rupees.

(2) All sums paid into the Fund under these regulations shall be credited in the books of the Board to an account named "The Contributory Provident (NCRPB) Fund Account". Sums of which payment has not been taken within six months after they become payable under these regulations shall be transferred to "Deposits" after 31st March of the year and treated under the ordinary rules relating to "Deposits".

4. Conditions of eligibility : (1) These regulations shall apply to every non-pensionable employee of the Board

(2) Every employee of the Board to whom these regulations apply shall subscribe to the Fund.

(3) If a Board's employee admitted to the benefit of the Fund was previously a subscriber to any other Contributory or non-contributory Provident Fund of the Central or State Government or of any Organisation, the amount of his subscriptions and the contributions in the Contributory Provident Fund or the amount of his subscriptions in the non-contributory Provident Fund, as the case may be, together with interest thereon, shall be transferred to his credit in the Fund, with the consent of that Government or Organisation.

NOMINATIONS

5. Nominations :—(1) A subscriber shall at the time of joining the Fund, send to the Accounts Officer, through the Head of Office, a nomination conferring on one or more persons the right to receive the amount that may stand to his credit in the Fund in the event of his death, before that amount has become payabe or having become payable has not been paid :

Provided that, if, at the time of nomination the subscriber has a family, the nomination shall not be in favour on any person or persons other than the members of his family :

Provided further that the nomination made by the subscriber in respect of any other provident fund to which he was subscribing before joining the Fund shall, if the amount to his credit in such other fund has been transferred to his credit in the Fund, be deemed to be a nomination duly made under this regulation until he makes a nomination in accordance with this regulation.

(2) If a subscriber nominates more than one person under sub-regulation (1), he shall specify in the nomination the amount or share payable to each of the nominees in such manner as to cover the whole of the amount that may stand to his credit in the Fund at any time.

(3) Every nomination shall be made in the Form set forth in the First Schedule.

(4) A subscriber may at any time cancel a nomination by sending a notice in writing to the Accounts Officer. The subscriber shall, along with such notice or separately, send a fresh nomination made in accordance with the provisions of this regulation.

(5) A subscriber may provide in a nomination,—

(a) in respect of any specified nominee, that in the event of his predeceasing the subscriber, the right conferred upon that nominee shall pass to such other person or persons as may be specified in the nomination, provided that such other person or persons shall, if the subscriber has other members of his family, be such other member or members. Where the subscriber confers such a right on more than one person under this clause, he shall specify the amount or share payable to each of such persons in such a manner as to cover the whole of the amount payable to the nominee.

(b) that the nomination shall become invalid in the event of the happening of a contingency specified therein :

Provided that if at the time of making the nomination the subscriber has no family he shall provide in the nomination that it shall become invalid in the event of his subsequently acquiring a family :

Provided further that if at the time of making the nomination the subscriber has only one member of the family, he shall provide in the nomination that the right conferred upon the alternate nominee under clause (a) shall become invalid in the event of his subsequently acquiring other member or members in his family.

(6) Immediately on the death of a nominee in respect of whom no special provision has been made in the nomination under clause (a) of sub-regulation (5) or on the occurrence of any event by reason of which the nomination becomes invalid in pursuance of clause (b) of sub-regulation (5) or the proviso thereof, the subscriber shall send to the

Accounts Officer a notice in whiting cancelling the nomination, together with a fresh nomination made in accordance with the provisions of this regulation.

(7) Every nomination made, and every notice of cancellation given by a subscriber shall, to the extent that it is valid, take effect on the date on which it is received by the Accounts Officer.

SUBSCRIBER'S ACCOUNT

6. Subscriber's Account—An account shall be opened in the name of each subscriber in which shall be shown :—

(i) his subscriptions;

(ii) Contribution made under regulation 11 by Board to his account;

(iii) Interest, as provided by regulation 12 on subscription;

(iv) interest, provided by regulation 12 on contributions;

(v) advances and withdrawals from the Fund.

CONDITIONS AND RATES OF SUBSCRIPTIONS

7. Conditions of subscriptions—(1) A subscriber shall subscribe monthly to the Fund when on duty or foreign service but not during the period when he is under suspension :

Provided that a subscriber on reinstatement after a period passed under suspension shall be allowed the option of paying in one lump sum, or in instalments, any sum not exceeding the maximum amount of arrear subscriptions payable for that period.

(2) The subscriber may, at his option, not subscribe during leave which either does not carry any leave salary equal to or less than half pay or half average pay.

(3) The subscriber shall intimate his election not to subscribe during the leave referred to in sub-regulation (2) in the following manner :—

(a) if he is an officer who draws his own bills, by making no deduction on account of subscription in his first pay bill drawn after proceeding on leave;

(b) if he is not an officer who draws his own pay bills, by written communication to the Head of his Office before he proceeds on leave.

Failure to make due and timely intimation shall be deemed to constitute an election to subscribe.

The option of a subscriber intimated under this sub-regulation shall be final.

(4) A subscriber who has under regulation-20 withdrawn the amount of subscriptions and interest thereon shall not subscribe to the Fund after such withdrawal unless he returns to duty.

(5) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1) a subscriber shall not subscribe to the Fund for the month in which he quits service unless, before the commencement of the said month, he communicates to the Member Secretary in writing his option to subscribe for the said month.

8. Rates of subscription—(1) The amount of subscription shall be fixed by the subscriber himself, subject to the following conditions, namely :

(a) It shall be expressed in whole rupees;

(b) It may be any sum, so expressed not less than 8.33% of his emoluments and not more than his total emoluments.

(2) For the purpose of sub-regulation (1) the emoluments of a subscriber shall be :—

(a) in the case of a subscriber who was in Board's service on the 31st March of the preceding year, the emoluments to which he was entitled on that date :

Provided that—

(i) if the subscriber was on leave on the said date and elected not to subscribe during such leave or was under suspension on the said date, his emoluments shall be the emoluments to which he was entitled on the first day after his return to duty;

(ii) if the subscriber was on deputation out of India on the said date or was on leave on the said date and continues to be on leave and has elected to subscribe during such leave, his emoluments shall be the emoluments to which he would have been entitled had he been on duty in India;

(iii) if the subscriber joined the Fund for the first time on a day subsequent to the said date, his emoluments shall be the emoluments to which he was entitled on such subsequent date;

(b) in the case of a subscriber who was not in Board's service on the 31st March of the preceding year, the emoluments to which he was entitled on the first day of his services or if he joins the Fund for the first time on a date subsequent to the first day of his service, the emoluments to which he was entitled on such subsequent date :

Provided that, if the emoluments of the subscriber are of a fluctuating nature, they shall be calculated in such manner as the Chairman may direct.

(3) The subscriber shall intimate the fixation of the amount of his monthly subscription in each year in the following manner :—

(a) If he was on duty on the 31st March of the preceding year, by the deduction which he makes in this behalf from his pay bill for that month;

(b) If he was on leave on the 31st March of the preceding year, and elected not to subscribe during such leave or was under shspension on that date, by the deduction which he makes in this behalf from his first pay bill after his return to duty;

(c) If he has entered Board's service for the first time during the year, by the deduction which he makes in this behalf from his pay bill for the month during which he joins the Fund;

(d) If he was on leave on the 31st March of the preceding year, and continues to be on leave and has elected to subscribe during such leave, by the deduction which he causes to be made in this behalf from his salary bill for that month;

(e) If he was on foreign service on the 31st March of the preceding year, by the amount credited by him into the NCR Planning Board's Fund on account of subscription for the month of April in the current year;

(f) If his emoluments are of the nature referred to in the proviso to sub-regulation (2), in such manner as the Chairman may direct.

(4) The amount of subscription so fixed may be :—

(a) reduced once at any time during the course of the year;

(b) enhanced twice during the course of the year; or

(c) reduced and enhanced as aforesaid:

Provided that when the amount of subscription is so reduced it shall not be less than the minimum prescribed in sub-regulation (1) :

Provided further that if a subscriber is on leave without pay or leave on half pay or half average pay for a part of a calendar month and he has elected not to subscribe during such leave, the amount of subscription payable shall be proportionate to the number of days spent on duty including leave, if any, other than those referred to above.

9. Transfer to foreign service or deputation out of India : When a subscriber is transferred to foreign service or sent

on deputation out of India, he shall remain subject to the regulation of the Fund in the same manner as if he were not so transferred or sent on deputation.

REALISATION OF SUBSCRIPTIONS

10. Realisation of subscription :—(1) When emoluments are drawn from the Board's Fund in India or from an authorised office of disbursement outside India, recovery of subscriptions on account of these emoluments and of the principal and interest of advances shall be made from the emoluments themselves.

(2) When emoluments are drawn from any other source, the subscriber shall forward his dues monthly to the Accounts Officer :

Provided that in the case of a subscriber on deputation Central/State Government or a body corporate, owned or controlled by Central/State Government, the subscriptions shall br recovered and forwarded to the Accounts Officer by such Government/body.

CONTRIBUTION BY BOARD

11. Contribution by Board—(1) Board shall, with effect from the 31st March of each year, make a contribution to the account of each subscriber :

Provided that if a subscriber quits the service or dies during a year contribution shall be credited to his account for the period between the close of the preceding year and the date of the casualty :

Provided further that no contribution shall be payable in respect of any period for which the subscriber is permitted under the regulations not to, or does not, subscribe to the Fund,

(2) The contribution shall be such percentage of the subscriber's emoluments drawn on duty during the year or period, as the case may be, as has been or may be prescribed by Central Government by general or special order for its own employees :

Provided that if, through oversight or otherwise, the amount subscribed is less than the minimum subscription payable by the subscriber under the Sub-regulation (1) of regulation 8 and if the short subscription together with the interest accrued thereon is not paid by the subscriber within such time as may be specified by the authority competent to sanction an advance for the grant of which special reasons are required under Sub-regulation (2) of regulation 13 the contribution payable by the Board shall be equal to the amount actually paid by the subscriber or the amount normally payable by the Board, whichever is less, unless the Board in any particular case, otherwise directs.

(3) If a subscriber is on deputation out of India, the emoluments which he would have drawn had he been on duty in India shall, for the purposes of this regulation be deemed to be emoluments drawn on duty.

(4) Should a subscriber elect to subscribe during leave, his leave salary shall, for the purposes of this regulation, be deemed to emoluments drawn on duty.

(5) Should a subscriber elect to pay arrears of subscription in respect of a period of suspension, the emoluments or portion of emoluments which may be allowed for that period on reinstatement, shall, for the purpose of this regulation be deemed to be emoluments drawn on duty.

(6) The amount of any contribution payable in respect of a period of foreign service shall, unless it is recovered from the foreign employer, be recovered by Board from the subscriber.

(7) The amount of contribution payable shall be rounded to the nearest whole rupee (fifty paise counting as the next higher rupee).

INTEREST

12. Interest : (1) The Board shall pay to the credit of the account of a subscriber, interest at such rate as Central Government may from time to time prescribe for its own employees.

(2) Interest shall be credited with effect from the 31st March of each year in the following manner :—

(i) on the amount to the credit of a subscriber on the 31st March of the preceding year, less any sums withdrawn during the current years—interest for twelve months;

(ii) on sums withdrawn during the current year—interest from the 1st April of the current year up to the last day of the month preceding the month of withdrawal;

(iii) on all the sums credited to the subscriber's account after the 31st March of the preceding year—interest from the date of deposit up-to the 31st March of the current year;

(iv) the total amount of interest shall be rounded to the nearest whole rupee in the manner provided in sub-regulation (7) of regulation 11.

Provided that when the amount standing to the credit of a subscriber has become payable, interest shall thereupon be credited under this regulation in respect only of the period from the beginning of the current year or from the date of deposit, as the case may be, up to the date on which the amount standing to the credit of the subscriber becomes payable.

(3) For the purpose of this regulation the date of deposit shall in the case of recoveries from emoluments be deemed to be the first day of the month in which they are recovered, and in the case of amounts forwarded by the subscriber, shall be deemed to be the first day of the month of receipt, if they are received by the Accounts Officer before the fifth day of that month, but if they are received on or after the fifth day of that month, the first day of the next succeeding month :

Provided that where there has been delay in the drawal of pay or leave salary and allowances of a subscriber and consequently the recovery of his subscription towards the Fund, the interest on such subscriptions shall be payable from the month in which the pay or leave salary of the subscriber was due under the regulation, irrespective of the month in which it was actually drawn :

Provided further that in the case of an amount forwarded in accordance with the proviso to sub-regulation (2) of regulation 10, the date of deposit shall be deemed to b the first day of the month if it is received by the Accounts Officer before the fifteenth day of that month :

Provided further that where the emoluments for a month are drawn and disbursed on the last working day of the same month the date of deposit shall, in the case of recovery of his subscriptions, be deemed to be the first day of the succeeding month.

(4) In addition to any amount to be paid under regulation 23 interest thereon up to the end of the month preceding that in which the payment is made, or up to the end of the sixth month after the month in which such amount, become payable whichever of these periods be less, shall be payable to the person to whom such amount is to be paid :

Provided that where the Accounts Officer has intimated to that person (or the agent a date on which he is prepared to make payment in cash, or has posted a cheque in payment to that person, interest shall be payable only up to the end of the month preceding the date so intimated, or the date or posting the cheque, as the case may be :

Provided further that where a subscriber on deputation to Central/State Government or a body corporate, owned or controlled by the Central/State Government or an autonomous organisation registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) is subsequently absorbed in such Government or body corporate or organisation with effect from a retrospective date, for the purpose of calculating the interest due on the Fund accumulations of the subscriber the date of issue of the orders regarding absorption shall be deemed to be the date on which the amount to the credit of

the subscriber became payable subject, however, to the condition that the amount recovered as subscription during the period commencing from the date of absorption and ending with the date of issue of orders of absorption shall be deemed to be subscription to the Fund only for the purpose of warding interest under this sub-regulation.

NOTE—Payment of interest on the Fund balance beyond a period of 6 months may be authorised by :—

(a) Accounts Officer up to a period of one year; and

(b) the immediate superior to the Accounts Officer up to any period;

after he has personally satisfied himself that the delay in payment was occasioned by circumstances beyond the control of the subscriber or the person to whom such payment was to made, and in every such case the administrative delay involved in the matter shall be fully investigated and action, if any required, taken.

(5) Interest shall not be credited to the account of a subscriber if he informs the Accounts Officer that he does not wish to receiver it; but if he subsequently asks for interest, it shall be credited with effect from the first April of the year in which he asks for it.

(6) The interest on amounts which under regulation 19 or regulation 20 are replaced to the credit of the subscriber in the Fund, shall be calculated at such rates as may be successively prescribed under sub-regulation (1) of this regulation and so far as may be in the manner described in this regulation.

(7) In case a subcriber is found to have drawn from the Fund an amount in excess of the amount standing to his credit on the date of the drawal, the overdrawn amount, irrespective of whether the overdrawal occurred in the course of an advance or a withdrawal or the final payment from the fund, shall be repaid by him with interest thereon in one lump sum, or in default, be ordered to be recovered by deduction in one lump sump, from the emoluments of the subscriber. If the total amount to be recovered is more than hall of the subscriber's emoluments, recoveries shall be made in monthly instalments of moieties of his emoluments till the entire amount together with interest, is recovered. For this sub-regulation the rate of interest to be charged on overdrawn amount would be 21/2% over and above the normal rate on Provident Fund balance under sub-regulation (1). The interest realised on the overdrawn amount shall be credited to the Board's account under a distinct sub-hed "Interest on overdrawals from Provident Fund" under the head—other receipts.

ADVANCES FROM THE FUND

13. Advances from the fund :—(1) The appropriate sanctioning authority may sanction the payment to any subscriber of an advance consisting of a sum of whole rupees and not exceeding in amount three months' pay or half the amount standing to his credit in the Fund, whichever is less, for one or more of the following purposes :—

(a) to pay expenses in connection with the illness, confinement or a disabillty, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him

(b) to meet cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him in the following cases, namely :—

(i) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage; and

(ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage, provided that the course of study is for not less than three years.

(c) to pay obligatory expenses on a scale appropriate to the subscriber's status which by customary usage the subscriber's has to incur in connection with betrothal or marriages, funerals or other ceremonies;

(d) to meet the cost of legal proceedings instituted by or against the subscriber, any member of his family or any person actually dependent upon him, the advance in this case being available in addition to any advance admissible for the same purpose from any other Board's source.

(e) to meet the cost of subscriber's defence where he engages a legal practitioner to defend himself in an enquiry in respect of any alleged official misconduct on his part.

(f) to meet the cost of plot or construction of a house flat for his residence or to make any payment towards the allotment of plot or flat by the Delhi Development Authority or a State Housing Board or a House Building Co-operative Society.

(2) The Chairman may, in special circumstances, sanction the payment to any subscriber of an advance if he is satisfied that the subscriber concerned requires the advance for reasons other than those mentioned in sub-regulation (1).

(3) An advance shall not, except for special reason to be recorded in writing, be granted to any subscriber in excess of the limit laid down in sub-regulation (1) or until repayment of the last instalment of any previous advance :

Provided that an advance shall in no case exceed the amount of subscriptions and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the Fund.

(4) When an advance is santioned under sub-regulation (3) before repayment of last instalment of any previous advance is completed the balance of any previous advance not recovered shall be aded to the advance so sanctioned and the instalments for recovery shall be fixed with reference to the consolidated amount.

(5) After sanctioning the advance, the amount shall be drawn on an authorisation from the Accounts Officer in case where the application for Final payment had been forwarded to the Accounts Officer under clause (ii) of sub-regulation (3) of regulation 23.

NOTE 1. For the purpose of this regulation pay includes pay, dearness pay where admissible.

NOTE 2. A subscriber shall be permitted to take an advance once in every six months under item (b) of sub-regulation (1) of regulation 13.

14. Recovery of advances—(1) An advance shall be recovered from the subscriber in such number of equal monthly instalments as the sanctioning authority may direct; but such number shall not be less than twelve unless the subscriber so elects and more than twenty-four. In special cases where the amount of advance exceeds three months' pay of the subscribed under sub-regulation (2) of regulation 13. the sanctioning authority may fix such number of instalments to be more than twenty-four but in no case more than thirty-six. A subscriber may, at his option, may repay in more than one instalment in a month. Each instalment shall be a number of whole rupees, the amount of the advance being raised or reduced, if necessary, to admit of the fixation of such instalments.

(2) Recovery shall be made in the manner prescribed in regulation 10 for the realisation of subscriptions, and shall commence with the issue of pay for the month following the one in which the advance was drawn. Recovery shall not be made, except with the subscriber's consent while he is in receipt of subsistence grant or is on leave for ten days or more in a calendar month which either does not carry any leave salary or carries leave salary equal to or less than half pay or half average pay, as the case may be. The recovery may be postponed, on the subscriber's written request, by the sanctioning authority during recovery of an advance of pay granted to the subscriber.

(3) If an advance has been granted to a subscriber and drawn by him and the advance is subsequently disallowed before repayment is completed the whole or balance of the amount withdrawn shall forthwith be repaid by the subscriber to the Fund, or in default, be ordered by the Accounts Officer to be recovered by deduction from the emoluments of the subscriber in a lump sum or in monthly instalments not exceeding twelve as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which special reasons are required under sub-regulation (2) of regulation 13 :

Provided that, before such advance is disallowed, the subscriber shall be given an opportunity to explain to the sanctioning authority in writing and within fifteen days of the receipt of the communication why the repayment shall not be enforced and if an explanation is submitted by the subscriber within the said period of fifteen days, it shall be referred to the Chairman for decision; and if no explanation within the said period is submitted by him, the repayment of the advance shall be enforced in the manner prescribed in this sub-regulation.

(4) Recoveries made under this regulation shall be credited as they are made to the subscriber's account in the Fund.

14. Wrongful use of advance :—Notwithstanding anything contained in these regulations, if the sanctioning authority has reason to doubt that money drawn as an advance from the Fund under the regulation 13 has been utilised for a purpose other than that for which sanction was given to the drawal of the money, he shall communicate to the subscriber the reasons for his doubt and require him to explain in writing and within fifteen days of the receipt of such communication whether the advance has been utilised for the purpose for which sanction was given to the drawal of the money. If the sanctioning authority is not satisfied with the explanation furnished by the subscriber within the said period of fifteen days, the sanctioning authority shall direct the subscriber to repay the amount in question to the Fund forthwith or, in default, order the amount to be recovered by deduction in one lump sum from the emoluments of the subscriber even if he be on leave. If, however, the total amount to be repaid be more than half the subscriber's emoluments, the recoveries shall be made in monthly instalments of moieties of his emoluments till the entire amount is repaid by him.

NOTE—The term "emoluments" in the regulation does not include subsistence grant.

WITHDRAWALS FROM THE FUND

16. Withdrawal from the Fund :—(1) Subject to the conditions specified therein, withdrawals may be sanctioned by the authorities competent to anction an advance for special reasons under sub-regulation (2) of regulation 13, at any time—

(A) after completion of twenty years of service (including broken periods of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, from the amount standing to his credit in the Fund, for one or more of the following purposes, namely :—

(a) meeting the cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber or any child of the subscriber in the following cases, namely :—

(i) for education outside India for academic technical, professional or vocational course beyond the High School stage, and

(ii) for any medical engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage;

(b) meeting the expenditure in connection with the betrothal/marriage of the subscribed or his sons or his daughters, and any other female relation actually dependent on him;

(c) meeting the expenses in connection with the illness including where necessary, the travelling expenses, of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him :

(B) after the completion of fifteen years of service (including broken periods of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, from the amount standing to his credit in the Fund for one or more of the following purposes, namely :—

(a) building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his residence including the cost of the site;

(b) repaying an outstanding amount on account of loan expressly taken for building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his residence;

(c) purchasing a house-site for building a house thereon for his residence or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose;

(d) reconstructing or making additions or alterations to a house or a flat already owned or acquired by a subscriber;

(e) renovating, additions or alterations or unkeep of an ancestral house at a place other than the place of duty or to a house built with the assistance of loan from the Board at a place other than the place of duty;

(f) constructing a house on a site purchased under clause (c);

(C) within six months before the date of the subscriber's retirement, from the amount standing to his credit in the Fund for the purpose of acquiring a farm land or business premises or both.

(D) Once during the course of a financial year, an amount equivalent to one year's subscribtion paid for by the subscriber towards the Group Insurance Scheme for the Board's employees on self-financing and contributory basis.

NOTE 1. A subscriber who has availed himself of an advance under the Scheme of the Ministry of Urban Development or the Board for the grant of advance for house-building purpose or has been allowed any assistance in this regard from Boards source, shall be eligible for the grant of final withdrawal under sub-clause (a), (c), (d) and (f) of clause (B) for the purposes specified therein and also for the purpose of repayment of any loan taken under the aforesaid Scheme subject to the limit specified in the proviso to sub-regulation (1) of regulation 17.

If a subscriber has an ancestral house or built a house at a place other than the place of his duty with the assistance of loan taken from the Board he shall be eligible for the grant of a final withdrawal under sub-clause (a), (c) and (f) of clause (B) for purchase as a house site or for construction of another house or for acquiring a ready-built flat at the place of his duty.

NOTE 2. Withdrawal under sub-clauses (a), (d), (e) or (f) or clause (B) shall be sanctioned only after a subscriber has submitted a plan of the house to be constructed or of the additions or alterations to be made, duly approved by the local municipal body of the area where the site or house is situated and only in cases where the plan is actually got to be approved.

NOTE 3. The amount of withdrawal sanctioned under sub-clause (b) of clause (B) shall not exceed 3/4th of the balance on date of application together with the amount of previous withdrawal under sub-clause (a), reduced by the amount of previous withdrawal. The formula to be followed is : 3/4th of [the balance as on date plus amount of previous withdrawal(s) for the house in question] minus the amount of the previous withdrawal(s).

NOTE 4. Withdrawal under sub-clause (a) or (d) of clause (B) shall also be allowed where the house site or house is in the name of wife or husband provided she or he is the

first nominee to receive Provident Fund money in the nomination made by the subscriber.

NOTE 5. Only one withdrawal shall be allowed for the same purpose under this regulation. But marriage or education of different children or illness on different occasions or a further addition or alteration to a house or flat covered by a fresh plan duly approved by the local muncipal body of the area where the house or flat is situated shall not be treated for the same purpose. Second or subsequent withdrawal under sub-clause (a) or (f) of clause (B) for completion of the same house shall be allowed up to the limit laid down under NOTE 3.

NOTE 6. A withdrawal under this regulation shall not be sanctioned if an advance under regulation 13 is being sanctioned for the same purpose and at the same time.

(2) Whenever a subscriber is in a position to satisfy the competent authority about the amount standing to his credit in the Contributory Provident Fund Account with reference to the latest available statement of Contributory Provident Fund Account together with the evidence of subsequent contribution, the competent authority may itself sanction withdrawal within the prescribed limits, as in the case of a refundable advance. In doing so, the competent authority shall take into account any withdrawal or refundable advance already sanctioned by it in favour of the subscriber. Where, however, the subcriber is not in a position to satisfy the competent authority about the amount standing to his credit or where there is any doubt about the admissibility of the withdrawal applied for, a reference may be made to the Accounts Officer by the competent authority for ascertaining the amount standing to the credit of the subscriber with a view to enable the competent authority to determine the admissibility of the amount of withdrawal. The sanction for the withdrawal should prominently indicate the Contributory Provident Fund Account Number and the Accounts Officer maintaining the accounts and a copy of the sanction for withdrawal should invariably be endorsed to that Accounts Officer. The sanctioning authority shall be responsible to ensure that an acknowledgement is obtained from the Accounts Officer that the sanction for withdrawal has been noted in the ledger accounts of the subscriber. In case the Accounts Officer reports that the withdrawal as sanctioned is in excess of the amount of the credit of the subscriber or otherwise inadmissible, the sum withdrawan by the subscriber shall forthwith be repaid in one lump sum by the subscriber to the Fund and in default of such repayment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in a lump sum or in such number of monthly instalments as may be determined by the Chairman.

(3) After sanctioning the withdrawal the amount shall be drawn on an authorisation from the Accounts Officer in cases where the application for final payment had been forwarded to the Accounts Officer under clause (ii) of sub-regulation (3) of regulation 23.

17. Conditions for withdrawal—(1) Any sum withdrawan by a subscriber at any one time for one or more of the purposes specified in regulation 16 from the amount standing to his credit in the Fund shall not ordinarily exceed one-half of amount of subscription and interest thereon standing to the credit of the subscriber in the fund or six months' pay, whichever is less. The sanctioning authority may, however, sanction the withdrawal of an amount in excess of this limit up to 3/4th of the balance at his credit in the Fund having due regard to (i) the object for which the withdrawal is being made, (ii) the status of the subscriber, and (iii) the amount to his credit in the Fund :

Privided that in no case the maximum amount of withdrawal for purposes specified in clause (B) of sub-regulation (1) of regulation 16 shall exceed the maximum limit prescribed from time to time under Rules 2 (a) and 3 (b) of the Scheme of the Ministry of Urban Development or that of the Board for the grant of advances for house-building purposes :

Provided further that in the case of a subscriber who has availed himself of an advance under the Scheme of the Board or the Ministry of Urban Development for the grant of advances for house-building purposes or has been allowed any assistance in this regard from any other Board's source, the sum withdrawn under this sub-regulation together with the amount of advance taken under the aforesaid Scheme or the assistance taken from any other Board's source shall not exceed the maximum limit prescribed from time to time under Rules 2 (a) and 3 (b) of the aforesaid Scheme.

NOTE 1. A withdrawal sanctioned to a subscriber under sub-clause (a) of clause (A) of sub-regulation (1) of regulation 16, may be drawn in instalments, the number of which shall not exceed four in a period of twelve calendar months counted from the date of sanction.

NOTE 2. In cases, where a subscriber has to pay in instalments for a site or a house or flat purchased, or a house or flat constructed through the Delhi Development Authority or a State Housing Board or a House Building Co-operative Society, he shall be permitted to make a withdrawal as and when he is called upon to make a payment in any instalment. Every such payment shall be treated as a payment for a separate purpose for the purposes of sub-regulation (1) of regulation 17.

(2) A subscriber who has been permitted to withdraw money from the Fund under regulation 16 shall satisfy the sanctioning authority within a reasonable period as may be specified by that authority that the money has been utilised for the purpose for which it was withdrawn, and if he fails to do so, the whole of the sum so withdrawn or so much thereof as has not been applied for the purpose for which it was withdrawn shall forthwith be repaid in one lump sum by the subscriber to the Fund and in default of such payment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in a lump sum or in such number of monthly instalments, as may be determined by the Chairman.

Provided that, before repayment of a withdrawal is enforced under this sub-regulation the subscriber shall be given an opportunity to explain in writing and within fifteen days of the receipt of the communication why the repayment shall not be enforced; and if the sanctioning authority is not satisfied with the explanation or no explanation is submitted by the subscriber within the said period of fifteen days, the sanctioning authority shall enforce the repayment in the manner prescribed in this sub-regulation.

(3) (a) A subscriber who has been permitted under sub-clause (a), sub-clause (b) or sub-clause (c) of clause (B) of sub-regulation (1) of regulation 16 to withdraw money from the amount standing to his credit in the Fund, shall not part with the possession of the house built or acquired or house-site purchased with the money so withdrawn, whether by way of sale, mortgage (other than mortgage to the Board), gift, exchange or otherwise, without the previous permission of the Chairman.

Provided that such permission shall not be necessary for :

(i) the house or house-site being leased for any term not exceeding three years, or

(ii) its being mortgaged in favour of a Housing Board, Nationalised Banks, the Life Insurance Corporation or any other Corporation owned or controlled by the Central Government which advances loans for the construction of a new house or for making additions or alteration to an existing house.

(b) The subscriber shall submit a declaration not later than the 31st day of December of every year as to whether the house or the house-site, as the case may be, continues to be in his possession or has been mortgaged, otherwise transferred or let out as aforesaid and shall, if so required produce before the sanctioning authority on or before the date specified by that authority in that behalf, the original sale, mortgage or lease deed and also the documents on which his title to the property is based.

(c) If, at any time before his retirement the subscriber parts with the possession of the house or house-site without obtaining the previous permission of

the Chairman, he shall forthwith repay the sum so withdrawn by him in a lump sum to the Fund, and in default of such repayment, the sanctioning authority shall, after giving the subscriber a reasonable opportunity of making a representation in the matter, cause the said sum to be recovered from the emoluments of the subscriber either in a lump sum or in such number of monthly instalments, as may be determined by it.

NOTE—A subscriber who has taken loan from Board in lieu thereof mortgaged the house or house-site to the Board shall be required to furnish the declaration to the following effect namely :—

"I do hereby certify that the house or house-site for the construction of which or for the acquisition of which I have taken a final withdrawal from the Provident Fund continues to be in my possession but stands mortgaged to Board."

18. Conversion of an advance into a withdrawal—A subscriber who has already drawn or may draw in future an advance under regulation 13 for any of the purposes specified in sub-regulation (1) of regulation 16 may convert at his discretion by written request addressed to the Accounts Officer, through the sanctioning authority, the balance outstanding against it into a final withdrawal on his satisfying the conditions laid down in Rules 16 and 17.

NOTE—For the purposes of sub-regulation (1) of regulation 17, the amount or subscription with interest thereon standing to the credit of the subscriber in the account at the time of conversion plus the outstanding amount of advance shall be taken as the balance. Each withdrawal shall be treated as a separate one and the same principle shall apply in the event of more than one conversion.

FINAL WITHDRAWAL OF ACCUMULATIONS IN THE FUND

19. Final withdrawal of accumulations in the Fund :—

When a subscriber quits the service, the amount standing to his credit in the Fund shall become payable to him :

Provided, that a subscriber, who has been dismissed from the service and is subsequently reinstated in the service shall, if required to do so by the Board, repay any amount paid to him from the Fund in pursuance of this regulation, with interest thereon at the rate provided in regulation 12 in the manner provided in the proviso to regulation 20. The amount so repaid shall be credited to his account in the Fund, the part which represents the Board's contributions with the interest thereon being accounted for in the manner provided in regulation 6.

Explanation I: A subscriber, who is granted refused leave shall be deemed to have quit the service from the date of compulsory retirement or on the expiry of an extension of service.

Explanation II : A subscriber other than one who is appointed on contract or one who has retired from service and is subsequently re-employed with or without a break in service shall not be deemed to quit the service.

The same shall hold good in cases of retrenchments followed by immediate employment.

Explanation III : When a subsriber other than one who is appointed on contract or one who has retired from service and is subsequently re-employed, is transferred, without any break, to the service under Central/State Government or a body corporate owned or controlled by Central/State Government, or an autonomous organisation, registered under the Societies Registration Act, 1860, the amount of subscriptions together with interest thereon, shall not be paid to him but shall be transferred with the consent of that Government/body to his new Provident Fund account under that Government/Body.

Transfers shall include cases of resignation from service in order to take up appointment under Central/State Government or a body corporate owned or controlled by Central/State Government or an autonomous organisation, registered under the Societies Registration Act, 1860, without any break and with proper permission of the Board. The time taken to join the new post shall not be treated as a break in service if it does not exceed the joining time admissible to a Board servant on transfer from one post to another :

Provided that the amount of subscription together with interest thereon, of a subscriber opting for service under a Public Enterprise may, if he so desires, be transferred to his new Provident Fund Account under the Enterprise if the concerned Enterprise also agrees to such a transfer. If, however, the subscriber does not desire the transfer or the concerned Enterprise does not operate a Provident Fund, the amount aforesaid shall be refunded to the subscriber.

20. Retirement of Subscriber :—When a subscriber,—

(a) has proceeded on leave preparatory to retirement ,

(b) while on leave, has been permitted to retire or been declared by a competent medical authority to be unfit for further service,

the amount of subscription and interest thereon standing to his credit in the Fund shall, upon application made by him in that behalf to the Accounts Officer, become payable to the subscriber : .

Provided that the subscriber, if he returns to duty, shall except where the Board decides otherwise, repay to the Fund for credit to his account, the amount paid to him from the Fund in pursuance of this rule with interest thereon at the rate provided in regulation 12 in cash or securities or partly in cash and partly in securities by instalments or otherwise, by recovery from his emoluments or otherwise, as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which, special reasons are required under sub-regulation (2) of regulation 13.

21. Procedure on death of a subscriber—Subject to any deduction under regulation 22 on the death of a subscriber before the amount standing to his credit has become payable, or where the amount has become payable, before payment has been made :

(i) when the subscriber leaves a family :—

(a) if a nomination made by the subscriber in accordance with the provisions of regulation 5 in favour of a member or members of his family subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination;

(b) if no such nomination in favour of a member or members of the family, of the subscriber subsists, or if such nomination relates only to a part of the amount standing to his credit in the Fund, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, as the case may be, shall, notwithstanding any nomination purporting to be in favour of any person or persons other than a member or members of his family become payable to the members of his family in equal shares :

Provided that no share shall be payable to -

(1) sons who have attained majority;

(2) sons of a deceased son who have attained majority;

(3) married daughters whose husbands are alive;

(4) married daughters of a deceased son whose husbands are alive;

If there is any member of the family other than those specified in clauses (1), (2), (3) and (4) :

Provided also that the widow or widows and the child or children of a deceased son shall receive between them in equal parts only the share which that son would have received if he had survived the subscriber and had been exempted from the provisions of clause (1) of the first proviso.

NOTE—Any sum payable under these regulations to a member of the family of a subscriber vests in such member under sub-section (2) of Section 3 of the Provident Funds Act, 1925.

(ii) when the subscriber leaves no family, if a nomination made by him in accordance with the provisions of regulation 5 in favour of any person or persons subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.

NOTE 1. When a nominee is a dependant of the subscriber in clause (c) of Section 2 of the Provident Funds Act, 1925, the amount vests in such nominee under sub-section (2) of Section 3 of that Act.

NOTE 2. When the subscriber leaves no family and no nomination made by him in accordance with the provisions of regulation 5 subsists, or if such nomination relates only to part of the amount standing to his credit in the Fund, the relevant provisions of clause (b) and sub-clause (ii) of clause (c) of sub-section (1) of Section 4 of the Provident Fund Act, 1925, are applicable to the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate.

21-A. Deposit-linked Insurance Scheme :—On the death of the subscriber, on or before 30th September, 1991 and to whom regulation 19-B does not apply the person entitled to receive the amount standing to the credit of the subscriber shall be paid by the Accounts Officer an additional amount equal to the average balance in the account during the three years immediately preceding the death of such subscriber subject to the condition that -

(a) the balance at the credit of such subscriber shall not at any time during the three years preceding the month of death have fallen below the limits of :

(i) Rs. 4,000 in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 1300 or more;

(ii) Rs. 2500/- in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which Rs. 900/- or more but less than Rs. 1300/-.

(iii) Rs. 1500/- in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 291/- or more but less than Rs. 900/-.

(iv) Rs. 1000/- in the case of subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is less than Rs. 291/-.

(b) The additional amount payable under this regulation shall not exceed the ceiling of Rs. 10,000/-.

(c) the subscriber has put in at least five years service at the time of his death.

21-B. Deposit-linked Insurance Revised Scheme—On the death of the subscriber, the person entitled to receive the amount standing to the credit of the subscriber shall be paid by the Accounts Officer an additional amount equal to the average balance in the account during the three years immediately preceding the death of such subscriber, subject to the condition that :—

(a) the balance at the credit of such subscriber shall not at any time during the three years preceding the month of death have fallen below the limits of -

(i) Rs. 12,000/- in the case of a subscriber who has held for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 4000/- or more.

(ii) Rs. 7500/- in the case of a subscriber who has held for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 2900/- or more but less than Rs. 4000/-.

(iii) Rs. 4500/- in the case of a subscriber who has held for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 1151/- or more but less than Rs. 2900/-.

(iv) Rs. 3000/- in the case of a subscriber who has held for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is less than Rs. 1151/-.

(b) The additional amount payable under this regulation shall not exceed Rs. 30,000/-.

(c) The subscriber has put in at least five years service at the time of his/her death.

Note 1. The average balance shall be worked out on the basis of the balance at the credit of the subscriber at the end of each of the 36 months, preceding the month in which the death occurs. For this purpose, as also for checking the minimum balance prescribed above-

(a) The balance at the end of March, shall include the annual interest credited in terms of regulation 11, and,

(b) If the last of the aforesaid 36 months is not March, the balance at the end of said last month shall include interest in respect of the period from the beginning of the financial year in which death occurs to the end of the said last month.

Note:—2. Payment under this scheme should be in whole rupee. If an amount due includes a fraction of a rupee it should be rounded to the nearest rupee (50 paise counting as the next higher rupee).

Note:-3. Any sum payable under this scheme is in the nature of insurance money and therefore, the statutory protection given by Section 3 of the Provident Funds Act, 1925 (Act 19 of 1925) does not apply to sums payable under this scheme.

Note:-4. The scheme also applies to those subscribers to the funds who are transferred to an autonomous organisation consequent upon conversion of a Government Department into such a body and who, on such transfer, opt in terms of option given to them to subscribe to the Fund in accordance with these regulations.

Note:-5 (a) In case of a Board employee who has been admitted to the benefits of the Funds under regulation 4 but dies before completion of three years of service or as the case may be, five years of service from the date of his admission to the Fund, the period of his service under the previous employer in respect whereof the amount of his subscription and the employer's contribution, if any, together with interest have been received shall count for purpose of clause (a) and clause (c).

Note 5 :—(a) In case of a Board employee who has been admitted to the benefits of the Funds under regulation 4 but dies before completion of three years of service or as the case may be, five years of service from the date of his admission to the Fund, the period of his service under the previous employer in respect whereof the amount of his subscription and the employer's contribution, if any, together with interest have been received shall count for purpose of clause (a) and clause (c).

(b) In case of persons appointed on tenure basis and in the case of re-employed pensioners, service rendered from the date of such appointment or re-employment, as the case may be, only will count for purposes of this regulation.

(c) The scheme does not apply to persons appointed on contract basis.

Note 6 :—The budget estimates of expenditure in respect of this scheme will be prepared by the Accounts Officer responsible for maintenance of the account of the Fund having regard to the trend of expenditure, in the same manner as estimates are prepared for other retirement benefits.

EDUCATIONS

22. Deduction :—Subject to the condition that no deduction may be made which reduces the credit by more than the amount of any contribution by Board with interest thereon credited under regulation 11 and 12, before the amount standing to the credit of the subscriber in the Fund is paid out of the Fund,

(A) The Chairman may direct the deduction therefrom and payment to the Board of-

(i) all amounting representing such contribution and interest, if the subscriber is dismissed from service due to misconduct, insolvency or inefficiency :

Provided that where the Chairman is satisfied that such deduction would cause exceptional hardship to the subscriber, he may, by order, exempt from such deduction an amount not exceeding two-thirds of the amount of such contribution and interest which would have been payable to the subscriber. if he had retired on medical grounds :

Provided further that if any such order of dismissal is subsequently cancelled, the amount so deducted shall on his reinstatement in the service be replaced to his credit in the Fund.

(ii) all amounts representing such contribution and interest, if the subscriber within five years of the commencement of his service as such, resigns from the service or ceases to be an employee under Board otherwise than by reason of death, superannuation. or a declaration by a competent medical authority that he is unfit for further service. or the abolition of the post or the reduction of establishment.

(B) the Chairman may direct the deduction therefrom and payment to the Board of any amount due under a liability incurred by a subscriber to Board.

NOTE 1. For the purpose of sub-clause (ii) of clause (A) of this regulation-

(a) the period of five years shall be reckoned from the commencement of the subscriber's continuous service under Board;

(b) resignation from service in order to take up appointment in another Department of the Central Government or under the State Government or under a body corporate owned or controlled by Government or an autonomous organisation, registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) without any break and with proper permission of the Board, shall not be treated as resignation from Board's service.

NOTE 2 : The powers of the Chairman under this regulation may, in respect of the amounts referred to therein, also be exercised by the authority competent to sanction an advance for the grant of which special reasons are required under sub-regulation (2) of regulation 13.

PAYMENT

23. Manner of payment of amount in the Fund.—(1) When the amount standing to the credit of a subscriber in the Fund or the balance thereof after any deduction under regulation 22 becomes payable, it shall be the duty of the Accounts Officer after satisfying himself when no such deduction has been directed under that regulation, that no deduction is to be made, to make payment on receipt of a written application in this behalf as provided in sub-regulation (3).

(2) If the person to whom, under these regulations, any amount is to be paid, is a lunatic for whose estate a Manager has been appointed in this behalf under the Indian Lunacy Act, 1912, the payment shall be made to such Manager and not to the Lunatic :

Provided that where no Manager has been appointed and the person to whom the sum is payable is certified by a Magistrate to be a lunatic, the payment shall under the orders of the Collector be made in terms of sub-section (1) of section 95 of the Indian Lunacy Act, 1912 to the person having charge of such lunatic and Accounts Officer shall pay only the amount which he thinks fit to the person having charges of the lunatic and the surplus, if any, or such part thereof, as he thinks fit, shall be paid for the maintenance of such members of the lunatic's family as are dependent on him for maintenance.

(3) Payments of the amount withdrawn shall be made in India only. The persons to whom the amounts are payable shall make their own arrangements to receive payment in India. The following procedure shall be adopted for claiming payment by a subscriber, namely :—

(i) To enable a subscriber to submit an application for withdrawal of the amount in the Fund, the Head of Office shall send to every subscriber necessary forms either one year in advance of the date on which the subscriber attains the age of superannuation, or before the date of his anticipated retirement, if earlier, with instructions that they should be returned to him duly completed within a period of one month from the date of receipt of the forms by the subscriber. The subscriber shall submit the application to the Accounts Officer through the Head of Office or for payment of the amount in the Fund. The application shall be made :—

(A) for the amount standing to his credit in the Fund as indicated in the Accounts Statement for the year ending one year prior to the date of his superannuation. or his anticipated date of retirement, or

(B) for the amount indicated in his ledger account in case the Account Statement has not been received by the subscriber.

(ii) The Head of Office shall forward the application to the Accounts Officer indicating the recoveries effected against the advances which are still current and the number of instalments yet to be recovered and also indicate the withdrawals, if any, taken by the subscriber after the period covered by the last statement of the subscriber's account sent by the Accounts Officer.

(iii) The Accounts Officer shall, after verification with the ledger account, issue an authority for the amount

indicated in the application at least a month before the date of superannuation but payable on the date of superannuation.

(iv) The authority mentioned in clause (iii) will constitute the first instalment of payment. A second authority for payment will be issued as soon as possible after superannuation. This will relate to the contribution made by the subscriber subsequent to the amount mentioned in the application submitted under clause (i) plus the refund of instalments against advances which were current at the time of the first application.

(v) After forwarding the application for the final payment to the Accounts Officer, advance/withdrawal may be sanctioned but the amount of advance/withdrawal shall be drawn on an authorisation from the Accounts Officer concerned who shall arrange this as soon as the formal sanction of sanctioning authority is received by him.

PENSIONABLE SERVICE

24. Procedure on transfer to pensionable service :-(1) if a subscriber is permanently transferred to a pensionable service under the Board, he shall at his option, be entitled.

(a) to continue to subscribe to the Fund, in which case he shall not be entitled to any pension; or

(b) to earn pension in respect of such pensionable service, in which case, with effect from the date of his permanent transfer :—

(i) he shall cease to subscribe to the Fund.

(ii) the amount of contributions by Board with interest thereon standing to his credit in the Fund shall be repaid to Board.

(iii) the amount of subscriptions together with interest thereon standing to his credit in the Fund shall be transferred to his credit in the General Provident Fund, to which thereafter he shall subscribe in accordance with the rules of that Fund; and

(iv) he shall thereupon be entitled to count towards pension service, rendered prior to the date of permanent transfer, to the extent permissible under the relevant Pension Rules.

(2) A subscriber shall communicate his option under sub-regulation (1) by a letter to the Accounts Officer within three months of the date of the order transferring him permanently to pensionable service; and if no communicaion is received in the Office of the Accounts Officer within that period, the subscriber shall be deemed to have exercised his option in the manner referred to in clause (b) of that sub-regulations.

PROCEDURE REGULATIONS

25. Number of account to be quoted at the time of the payment of subscription - When paying a subscription in India, either by deduction from emoluments or in cash, a subscriber shall quote the number of his account in the Fund, communicated to him by the Accounts Officer. Any change in the number shall similarly be communicated to the subscriber by the Accounts Officer.

26. Annual statement of accounts to be supplied to subscriber :—(1) As soon as possible after the close of 31st March of each year, the Accounts Officer shall send to each subscriber a statement of his account in the Fund showing the opening balance as on the Ist April of the year, the total amount credited or debited during the year, the total amount of interest, credited as on the 31st March of the year and the closing balance on that date. The Accounts Officer shall attach to the statement of account an enquiry whether the subscriber—

(a) desires to make any alteration in any nomination made under regulation 5 or under the corresponding rule heretofore in force;

(b) has acquired a family in cases where the subscriber has made no nomination in favour of a member of his family under the proviso to sub-regulation (1) of *regulation 5.*

(2) Subscribers should satisfy themselves as to the correctness of the annual statement and errors should be brought to the notice of the Accounts Officer within three months from the date of the receipt of the statement.

(3) The Accounts Officer shall, if required by a subscriber once, but not more than once, in a year inform the subscriber of the total amount standing to his credit in the Fund at the end of the last month for which his account has been written up.

GENERAL

27. Relaxation of the provisions of the regulation in individual cases :—When the Chairman is satisfied that the operation in any of these regulations causes or is likely to cause undue hardship to a subscriber, he may, notwithstanding anything contained in these regulations, deal with the case of such subscriber in such manner as may appear to him to be just and equitable.

28. Interpretation.—If any question arises relating to the interpretation of these regulations it shall be referred to the board whose decision thereon shall be final.

29. Administration of Funds.—The Fund shall be administerred by Member Secretary.

30. Investment of Funds.—The fund shall be invested on the pattern and in the securities approved by the Government of India from time to time.

31. All decisions & orders issued by the Central Government in amplifications/clarifications of their Contributory Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 in relation to its own employees would apply mutatis-mutandis to the employees of this Board. Similarly amendments/modifications/additions to the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 made from time to time by the Central Government for its own employees would apply mutatis-mutandis to the employees of the Board.

32. Any amendment/change to these regulations shall be carried out in consultation with the Ministry of Finance/Deptt. of Pension and Pensioners' Welfare.

SCHEDULE [(regulation 5 (3)]

FORM OF NOMINATION

I,.....hereby nominate the person(s) mentioned below who is/are member(s)/ non-member(s) of my family as defined in regulation 2 of the National Capital Region Planning Board Contributory Provident Fund Regulation, 1990 to receive the amount that may stand to my credit in the Fund as indicated below in the event of my death before that amount has become payable or having become payable has not been paid.

Name and full address of the nominee (s).	Relationship with the Subscriber.	Age of the Nominee.	Share payable to each nominee.	Contingencies on the happening of which the nomination will become invalid.	Name, address and relationship of the person(s) if any to whom the right of nominee shall pass in the event of his/her predeceasing the subscriber.	If the nominee is not a member of the family as provided in regulation 2 indicate the reasons

Dated this.....day of 19.....at.....

Signature of the subscriber.....

Name in block letters.....

Designation .....

Two witnesses to signature

Name and address

Signature :

1.

2.

Space for use by the Head of Office/Finance & Accounts Officer

Nomination by Shri/Smt./Kumari

Desgination

Date of receipt of nomination

Signature of Head of Office/Finance & Accounts Officer

Designation

Date

Instructions for subscriber :

(a) Your name may be filled in.

(b) Name of the fund may be completed suitably.

(c) Definition of term family as given in the National Capital Region Planning Board Contributory Provident Fund Regulation, 1990 is reproduced below :

family means:

(i) In the case of male subscriber, the wife or wives, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parents of the subscriber is alive, a parental grand-parents.

Provided that—

If a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community to which she belongs to be entitled to maintenance she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate unless the subscriber subsequently intimates in writing to the Accounts Officer that she shall continue to be so regarded.

(ii) in the case of a female subscriber, the husband, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children, and where no parents of the subscriber is alive, a parental grand-parents.

provided that—

If a subscriber by notice in writing to the Accounts Officer expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate unless the subscriber subsequently cancels such notice in writing.

Note : Child means legitimate child and includes an adopted one, where adoption is recognised by the personal law governing the subscriber.

(d) Col. 4 If only one person is nominated the words "in full" should be written against the nominee. If more than one person is nominated, the share payable to each nominee over the whole amount of the Provident Fund shall be specified.

(e) Col. 5 Death of nominee(s) should not be mentioned as contingency in this column.

(f) Col. 6 Do not mention your name.

(g) Draw line across the blank space below last entry to prevent insertion of any name after you have signed.

No. C-11031/1/88-NCRPB.— In exercise of the powers conferred by section 37 of the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985), the Board with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following Regulations, namely :—

1. Short title and Commencement :—

(1) These regulations may be called the National Capital Region Planning Board General Provident Fund Regulations, 1990.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions : In these regulations unless the context otherwise requires :—

(i) "Act" means the National Capital Region Planning Board Act, 1985 (2 of 1985);

(ii) "Accounts Officer" means the officer to whom the duty to maintain the Provident Fund account of the subscriber has been assigned by the Board;

(iii) "Board" means the National Capital Region Planning Board constituted under sub-section (1) of Section 3 of the Act;

(iv) "Chairman" means the Chairman of the Board;

(v) "emoluments" means pay, leave salary or subsistence grant as defined in the regulations and includes :—

(a) dearness pay appropriate to pay, leave salary or subsistence grant, if admissible;

(b) any wages paid by Board to employees not remunerated by fixed monthly pay; and

(c) any remuneration of the nature of pay received in respect of foreign service.

(vi) "family" means :

(a) in the case of a male subscriber, the wife parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children, and where no parents of the subscriber is alive, paternal grand parents :

Provided that—

if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under customary law of the community to which she belongs, to be entitled to maintenance she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these regulations relate unless the subscriber subsequently intimate in writing to the Accounts Officer that she shall continue to be so regarded.

(b) In the case of a female subscriber, the husband, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children, and where no parents of the subscriber is alive, a paternal grand-parents :

Provided that—

if a subscriber by notice in writing to the Accounts Officers expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer to member of the subscriber's family in the matters to which these rules relate, unless the subscriber subsequently cancels such notice in writing.

(vii) "Fund" means "The General Provident (NCRPB) Fund; p.a.

(viii) "leave" means any kind of leave recognised by the regulations;

(ix) "Member Secretary" means Member Secretary of the Board;

(x) "regultions" means National Capital Region Planning Board Regulations, 1986;

(xi) "year" means a financial year;

(xii) Any other expression or word used in these regulations which is defined either in the Provident Funds Act, 1925 (19 of 1925) or in the National Capital Region Planning Board Act, 1985 and the National Capital Region Planning Board Regulations, 1986 is used in the sense therein defined.

3. Constitution of the Fund :

(1) The fund shall be maintained in rupees.

(2) All sums paid into the Fund under these regulations shall be credited in the books of the Board to an account named "The General Provident (NCRPB) Fund Account". Sums of which payment has not

been taken within six months after they become payable under these regulations shall be transferred to "Deposits" after 31st March of the year and treated under the ordinary rules relating to "Deposits".

4. Conditions of eligibility : (1) All temporary Board employees after a continuous service of one year, all re-employees pensioners [other than those eligible for admission to the Contributory Provident (NCRPB) Fund] and all permanent Board employees shall subscribe to the Fund :

Provided that no such employees as has been required or permitted to subscribe to a Contributory Provident Fund shall be eligible to join or continue as a subscriber to the Fund, while he retains his right to subscribe to such a Fund.

NOMINATIONS

5. Nominations—(1) A subscriber shall at the time of joining the Fund, send to the Accounts Officer through the Head of Office a nomination conferring on one or more persons the right to receive the amount that may stand to his credit in the Fund in the event of his death, before that amount has become payable or having become payable has not been paid.

Provided that where a subscriber is a minor, he shall be required to make the nomination only on his attaining the age of majority.

Provided further that a subscriber who has a family at the time of making the nomination shall make such nomination only in favour of a member or mebers of his family.

Provided further that the nomination made by the subscriber in respect of any other provident fund to which he was subscribing before joining the Fund shall, if the amount to his credit in such other fund has been transferred to his credit in the Fund, be deemed to be a nomination duly made under this regulation until he makes a nomination in accordance with this regulation.

(2) If a subscriber nominates more than one persons under sub-regulation (1), he shall specify in the nomination the amount or share payable to each of the nominees in such manner as to cover the whole of the amount that may stand to his credit in the Fund at any time.

(3) Every nomination shall be made in the Form set forth in the First Schedule.

(4) A subscriber may at any time cancel a nomination by sending a notice in writing to the Accounts Officer. The subscriber shall, along with such notice or separately, send a fresh nomination made in accordance with the provisions of this regulation.

(5) A subscriber may provide in a nomination—

(a) in respect of any specified nominee, that in the event of his predeceasing the subscriber, the right conferred upon that nominee shall pass to such other person or persons as may be specified in the nomination, provided that such other person or persons shall, if the subscriber has other members of his family, be such other member or members. Where the sunbscriber confers such a right on more than one person under this clause, he shall specify the amount or share payable to each of such persons in such a manner as to cover the whole of the amount payable to the nominee.

(b) that the nomination shall become invalid in the event of the happening of a contingency specified therein.

Provided that if at the time of making the nomination the subscriber has no family, he shall provide in the nomination that it shall become invalid in the event of his subsequently acquiring a family.

Provided further that if at the time of making the nomination the subscriber has only one member of the family, he shall provide in the nomination that the right conferred upon the alternate nominee under clause (a) shall become invalid in the event of his subsequently acquiring other member or members in his family.

(6) Immediately on the death of a nominee in respect of whom no special provision has been made in the nomination under clause (a) of sub-regulation (5) or on the occurrence of any event by reason of which the nomination becomes invalid in pursuance of clause (b) of Sub-regulation (5) or the proviso thereto, the subscriber shall send to the Accounts Officer a notice in writing cancelling the nomination, together with a fresh nomination made in accordance with the provisions of this regulation.

(7) Every nomination made, and every notice of cancellation given by a subscriber shall, to the extent that it is valid, take effect on the date on which it is received by the Accounts Officer.

SUBSCRIBER'S ACCOUNT

6. Subscriber's Account—An account shall be opened in the name of each subscriber in which shall be shown :—

(i) his subscriptions;

(ii) interest, as provided by Regulation 11, on subscriptions;

(iii) advances and withdrawals from the Fund.

CONDITIONS AND RATES OF SUBSCRIPTIONS

7. Conditions of subscriptions.—(1) A subscriber shall subscribe monthly to the Fund except during the period when he is under suspension.

Provided that a subscriber may, at his option, not subscribe during leave which either does not carry any leave salary or carries leave salary equal to or less than half pay or half average pay.

Provided further that a subscriber on reinstatement after a period passed under suspension shall be allowed the option of paying in one lump sum, or in instalments, any sum not exceeding the maximum amount of arrear subscription payable for the period.

(2) The subscriber shall intimate his election not to subscribe during the leave referred to in the first proviso to sub-regulation (1) in the following manner :—

(a) if he is an officer who draws his own bills, by making no deduction on account of subscription in his first pay bill drawn after proceeding on leave;

(b) if he is not an officer who draws his own pay bills, by written communication to the Head of his Office before he proceeds on leave.

Failure to make due and timely intimation shall be deemed to constitute an election to subscribe.

The option of a subscriber intimated under this sub-regulation shall be final.

(3) A subscriber who has under Regulation-18 withdrawn the amount standing to his credit in the Fund shall not subscribe to the Fund after such withdrawal unless he returns to duty.

8. Rates of subscription.—(1) The amount of subscription shall be fixed by the subscriber himself, subject to the following conditions, namely :

(a) It shall be expressed in whole rupees;

(b) It may be any sum, so expressed not less than 6% of his emoluments and not more than his total emoluments.

Provided that in the case of a subscriber who has previously been subscribing to a Board's Contributory Provident Fund at the higher rates of 81/3 per cent, it may be any sum, so expressed,no t less than 81/3 per cent, of his emoluments and not more than his total emoluments :

(c) When a Boards servant elects to subscribe at the minimum rate of 6% of 81/3 per cent, as the case may be, the fraction of a rupee will be rounded to the nearest whole rupee, 50 p. counting as the next higher rupee.

(2) For the purpose of sub-regulation (1) the emoluments of a subscriber shall be :—

(a) in the case of a subscriber who was in Boards service on the 31st March of the preceding year, the emoluments to which he was entitled on that date :

Provided that—

(i) if the subscriber was on leave on the said date and elected not to subscribe during such leave or was under suspension on the said date, his emoluments shall be the emoluments to which he was entitled on the first day after his return to duty;

(ii) if the subscriber was on deputation out of India on the said date or was on leave on the said date and continues to be on leave and has elected to subscribe during such leave, his emoluments shall be the emoluments to which he would have been entitled had he been on duty in India;

(b) in the case of a subscriber who was not in Board's service on the 31st March of the preceding year, the emoluments to which he was entitled on the day he joins the fund.

(3) The subscriber shall intimate the fixation of the amount of his monthly subscription in each year in the following manner :—

(a) If he was on duty on the 31st March of the preceding year, by the deduction which he makes in this behalf from his pay bill for that month;

(b) If he was on leave on the 31st March of the preceding year, and elected not to subscribe during such leave or was under suspension on that date, by the deduction which he makes in this behalf from his first pay bill after his return to duty;

(c) If he has entered Board's service for the first time during the year, by the deduction which he makes in this behalf from his pay bill for the month during which he joins the Fund;

(d) If he was on leave on the 31st March of the preceding year, and continues to be on leave and has elected to subscribe during such leave, by the deduction which he causes to be made in this behalf from his salary bill for that month;

(e) If he was on foreign service on the 31st March of the preceding year, by the amount credited by him into the NCR Planning Board's Fund on account of subscription for the month of April in the current year;

(4) The amount of subscription so fixed may be—

(a) reduced once at any time during the course of the year;

(b) enhanced twice during the course of the year; or

(c) reduced and enhanced as aforesaid :

Provided that when the amount of subscription is so reduced it shall not be less than the minimum prescribed in sub-regulation (1) :

Provided further that if a subscriber is on leave without pay leave on half pay or half average pay for a part of a calendar month and he has elected not to subscribe during such leave, the amount of subscription payable shall be proportionate to the number of days spent on duty including leave, if any, other than those referred to above.

9. *Transfer to foreign service or deputation out of India.*—When a subscriber is transferred to foreign service or sent on deputation out of India, he shall remain subject to the regulations of the Fund in the same manner as if he were not so transferred or sent on deputation.

Realisation of Subscirptions

10. *Realisation of subscription.*—(1) When emoluments are drawn from the Board's Fund in India or from an authorised office of disubrsement outside India, recovery of subscriptions on account of these emoluments and of the principal and interest of advances shall be made from the emoluments themselves.

(2) When emoluments are drawn from any other source, the subscriber shall forward his dues monthly to the Accounts Officer :

Provided that in the case of a subscriber on deputation to Central/State Government or a body corporate, owned or controlled by Central/State Government, the subscriptions shall be recovered and forwarded to the Accounts Officer by such Government/body.

(3) If a subscriber fails to subscribe with effect from the date on which he is required to join the Fund or is in default in any month or months during the course of a year otherwise than is provided in regulation 7, the total amount due to the Fund on account of arrears of subscription shall, with interest thereon at the rate provided in Rule 11, forthwith be paid by the subscriber to the Fund or in default be ordered by the Accounts Officer to be recovered by deduction from the emoluments of the subscriber by instalments or otherwise, as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which special reasons are required under sub-regulation (2) of regulation 12.

Provided that subscribers whose deposits in the Fund carry no interest shall not be required to pay any interest.

INTEREST

11. *Interest.*—(1) Subject to the provisions of sub-regulation (5), Board shall pay to the credit of the account of a subscriber interest, at such rate as may be determined for each year according to the method of calculation prescribed from time to time by the Government of India for its own employees.

(2) Interest shall be credited with effect from the last day in each year in the following manner :—

(i) on the amount to the credit of a subscriber on the last day of the preceding year, less any sums withdrawn during the current years—interest for twelve months :

(ii) on sums withdrawn during the current year—interest from the beginning of the current year up to the last day of the month preceding the month of withdrawal

(iii) on all the sums credited to the subscriber's account after the last day of the preceding year—interest from the date of deposit upto the end of the current year;

(iv) the total amount of interest shall be rounded to the nearest whole rupee (0.50 paise counting as the next higher rupee);

Provided that when the amount standing to the credit of a subscriber has become payable, interest shall thereupon be credited under this regulation in respect only of the period from the beginning of the current year or from the date of deposit, as the case may be, up to the date on which the amount standing to the credit of the subscriber becomes payable.

(3) In this regulation, the date of deposit shall in the case of recoveries from emoluments be deemed to be the first day of the month in which it is recovered, and in the case of amounts forwarded by the subscriber, shall be deemed to be the first day of the month of receipt, if it is received by the Accounts Officer before the fifth day of that month, but if it is received on or after the fifth day of that month, the first day of the next succeeding month :

Provided that where there has been delay in the drawal of pay or leave salary and allowances of a subscriber and consequently the recovery of his subscription towards the Fund, the interest on such subscriptions shall be payable from the month in which the pay or leave salary of the subscriber was due under the regulation, irrespective of the month in which it was actually drawn :

Provided further that in the case of an amount forwarded in accordance with the proviso to sub-regulation (2) of

regulation 10, the date of deposit shall be deemed to be the first day of the month if it is received by the Accounts Officer before the fifteenth day of that month :

Provided further that where the emoluments for a month are drawn and disbursed on the last working day of the same month the date of deposit shall, in the case of recovery of his subscriptions, be deemed to be the first day of the succeeding month.

(4) In addition to any amount to be paid under regulation 17, 18 or 19, interest thereon up to the end of the month preceding that in which the payment is made, or up to the end of the sixth month after the month in which such amount, become payable whichever of these periods be less, shall be payable to the person to whom such amount is to be paid :

Provided that where the Accounts Officer has intimated to that person (or the agent) a date on which he is prepared to make payment in cash, or has posted a cheque in payment to that person, interest shall be payable only up to the end of the month preceding the date so intimated, or the date or posting the cheque, as the case may be :

Provided further that where a subscriber on deputation to Central/State Government or a body corporate, owned or controlled by the Central/State Government or an autonomous organisation registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860) is subsequently absorbed in such Government or body corporate or organisation with effect from a retrospective date, for the purpose of calculating the interest due on the Fund accumulations of the subscriber, the date of issue of the orders regarding absorption shall be deemed to be the date on which the amount to the credit of the subscriber became payable subject, however, to the condition that the amount recovered as subscription during the period commencing from the date of absorption and ending with the date of issue of orders of absorption shall be deemed to be subscription to the Fund only for the purpose of awarding interest under this sub-regulation :

NOTE.—Payment of interest on the Fund balance beyond a period of 6 months may be authorised by—

(a) Accounts Officer up to a period of one year; and

(b) the immediate superior to the Accounts Officer up to any period;

after he has personally satisfied himself that the delay in payment was occasioned by circumstances beyond the control of the subscriber or the person to whom such payment was to be made, and in every such case the administrative delay involved in the matter shall be fully investigated and action, if any required, taken.

(5) Interest shall not be credited to the account of a subscriber if he informs the Accounts Officer that he does not wish to receive it; but if he subsequently asks for interest, it shall be credited with effect from the first day of the year in which he asks for it.

(6) In case a subscriber is found to have drawn from the Fund an amount in excess of the amount standing to his credit on the date of the drawal, the overdrawn amount, irrespective of whether the overdrawal occurred in the course of an advance or a withdrawal or the final payment from the fund, shall be repaid by him with interest thereon in one lump sum, or in default, be ordererd to be recovered by deduction in one lump sum, from the emoluments of the subscriber. If the total amount to be recovered is more than half of the subscriber's emoluments, recoveries shall be made in monthly instalments of moieties of his emoluments till the entire amount together with interest, is recovered. For this sub-regulation the rate of interest to be charged on overdrawn amount would be 2½% over and above the normal rate on Provident Fund balance under sub-regulation (1). The interest realised on the overdrawn amount shall be credited to the Board's account under a distinct sub-head "Interest on overdrawls from Provident Fund" under the head "Other Receipts."

ADVANCES FROM THE FUND

12. Advances from the fund.—(1) The appropriate sanctioning authority may sanction the payment to any subscriber of an advance consisting of a sum of whole rupees and not exceeding in amount three month's pay or half the amount standing to his credit in the Fund, whichever is less, for one or more of the following purposes :—

(a) to pay expenses in connection with the illness, confinement or a disability, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him :

(b) to meet cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him in the following cases, namely :—

(i) for education outside India for academic, technical, profession or vocational course beyond the High School stage; and

(ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage, provided that the course of study is for not less than three years.

(c) to pay obligatory expenses on a scale appropriate to the subscriber's status which by customary usage the subscriber has to incur in connection with betrothal or marriages, funerals or other ceremonies;

(d) to meet the cost of legal proceedings instituted by or against the subscriber, any member of his family or any person actually dependent upon him, the advance in this case being available in addition to any advance admissible for the same purpose from Board's any other source.

(e) to meet the cost of the subscriber's defence where he engages a legal practitioner to defend himself in an enquiry in respect of any alleged official misconduct on his part.

(f) to meet the cost of plot or construction of a house or flat for his residence or to make any payment towards the allotment of plot or flat by the Delhi Development Authority or a State Housing Board or a House Building Co-operative Society.

(1-A) The Chairman may, in special circumstances, sanction the payment to any subscriber of an advance if he is satisfied that the subscriber concerned requires the advance for reasons other than those mentioned in sub-regulation (1).

1-A) The Chairman may, in special circumstances, sanction the payment to any subscriber of an advance if he is satisfied that the subscriber concerned requires the advance for reasons other than those mentioned in sub-regulation (1).

(2) An advance shall not, except for special reasons to be recorded in writing, be granted to any subscriber in excess of the limit laid down in sub-regulation (1) or until repayment of the last instalment of any previous advance.

(3) When an advance is sanctioned under sub-regulation (2) before repayment of last instalment of any previous advance is completed the balance of any previous advance and the instalments for recovery shall be fixed with reference to the consolidated amount.

(4) After sanctioning the advance, the amount shall be drawn on an authorisation from the Accounts Officer in case where the application for Final payment had been forwarded to the Accounts Officer under clause (ii) of sub-regulation (3) of regulation 20.

Note 1.—For the purpose of this regulation, pay includes pay, dearness pay where admissible.

Note 2.—A subscriber shall be permitted to take an advance once in every six months under item (b) of sub-regulation (1) of regulation-12.

13. *Recovery of advances.*—(1) An advance shall be recovered from the subscriber in such number of equal monthly instalment as the sanctioning authority may direct; but such number shall not be less than twelve unless the subscriber so elects and more than twenty-four. In special cases where the amount of advance exceeds three months' pay of the subscriber under sub-regulation (2) of regulation 12, the sanctioning authority may fix such number of instalments to be more than twenty-four but in no case more than thirty-six. A subscriber may, at his option, may repay in more than one instalment in a month. Each instalment shall be a number of whole rupees, the amount of the advance being raised or reduced, if necessary, to admit of the fixation of such instalments.

(2) Recovery shall be made in the manner prescribed in regulation 10 for the realisation of subscriptions, and shall commence with the issue of pay for the month following the one in which the advance was drawn. Recovery shall not be made, except with the subscriber's consent while he is in receipt of subsistence grant or is on leave for ten days or more in a calendar month which either does not carry any leave salary or carries leave salary equal to or less than half pay or half average pay, as the case may be. The recovery may be postponed, on the subscriber's written request, by the sanctioning authority during recovery of an advance of pay granted to the subscriber.

(3) If an advance has been granted to a subscriber and drawn by him and the advance is subsequently disallowed before repayment is completed the whole or balance of the amount withdrawn shall forthwith be repaid by the subscriber to the Fund, or in default, be ordered by the Accounts Officer to be recovered by deduction from the emoluments of the subscriber in a lump sum or in monthly instalments not exceeding twelve as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which special reasons are required under sub-regulation (2) of regulation 12.

Provided that, before such advance is disallowed, the subscriber shall be given an opportunity to explain to the sanctioning authority in writing and within fifteen days of the receipt of the communication why the repayment shall not be enforced and if an explanation is submitted by the subscriber within the said period of fifteen days, it shall be referred to the Chairman for decision: and if no explanation within the said period is submitted by him, the repayment of the advance shall be enforced in the manner prescribed in this sub-regulation.

(4) Recoveries made under this rule shall be credited as they are made to the subscriber's account in the Fund.

14. *Wrongful use of advance.*—Notwithstanding anything contained in these rules, if the sanctioning authority has reason to doubt that money drawn as an advance from the Fund under the regulation 12 has been utilised for a purpose other than that for which sanction was given to the drawal of the money, he shall communicate to the subscriber the reasons for his doubt and require him to explain in writing and within fifteen days of the receipt of such communication whether the advance has been utilised for the purpose for which sanction was given to the drawal of the money. If the sanctioning authority is not satified with the explanation furnished by the subscriber within the said perid of fifteen days, the sanctioning authority shall direct the subscriber to repay the amount in question to the Fund forthwith or, in default, order the amount to be recovered by deduction in one lump sum from the emoluments of the subscriber even if he be on leave. If, however, the total amount to be repaid be more than half the subscriber's emoluments, the recoveries shall be made in monthly instalments of moieties of his emoluments till the entire amount is repaid by him.

WITHDRAWALS FROM THE FUND

15. *Withdrawal from the fund.*—(1) Subject to the conditions specified therein, withdrawals may be sanctioned by the authorities competent to sanction an advance for special reasons under sub-regulation (2) of regulation 12, at any time—

(A) After completion of twenty years of service (including broken periods of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, from the amount standing to his credit in the Fund, for one or more of the following purposes, namely :—

(a) meeting the cost of higher education, including where necessary, the travelling expenses of the subscriber or any child of the subscriber in the following cases, namely :—

(i) for education outside India for academic, technical, professional or vocational course beyond the High School stage, and

(ii) for any medical, engineering or other technical or specialised course in India beyond the High School stage;

(b) meeting the expenditure in connection with the betrothal/marriage of the subscriber or his sons or his daughters, and any other female relation actually dependent on him;

(c) meetinng the expenses in connection with the illness including where necessary, the travelling expenses, of the subscriber and members of his family or any person actually dependent on him;

(B) After the completion of ten years of service (including broken periods of service, if any) of a subscriber or within ten years before the date of his retirement on superannuation, whichever is earlier, from the amount standing to his credit in the Fund for one or more of the following purposes, namely :—

(a) building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his residence including the cost of the site ;

(b) repaying an outstanding amount on account of loan expressly taken for building or acquiring a suitable house or ready-built flat for his residence ;

(c) purchasing a house-site for building a house thereon for his residence or repaying any outstanding amount on account of loan expressly taken for this purpose ;

(d) reconstructing or making additions or alterations to a house or a flat already owned or acquired by a subscriber ;

(e) renovating, additions or alterations or upkeep of an ancestral house at a place other than the place of duty or to a house built with the assistance of loan from the Board at a place other than the place of duty ;

(f) constructing a house on a site purchased under Clause (c) ;

(C) Within six months before the date of the subscriber's retirement, from the amount standing to his credit in the Fund for the purpose of acquiring a farm land or business premises or both.

(D) Once during the course of a financial year, an amount equivalent to one year's subscription paid for by the subscriber towards the Group Insurance Scheme for the Board's employees on self-financing and contributory basis.

NOTE 1. A subscriber who has availed himself of an advance under the Scheme of the Ministry of Urban Development or the Board for the grant of advance for house-building purpose or has been allowed any assistance in this regard from Boards source, shall be eligible for the grant of final withdrawal under sub-clause (a), (c) (d) and (f) of clause (B) for the purposes specified therein and also for the purpose of repayment of any loan taken under the aforesaid Scheme subject to the limit specified in the provisio to sub-regulation (1) to regulation 16.

If a subscriber has an ancestral house or built a house at a place other than the place of his duty with the assistance of loan taken from the Board he shall be eligible for the grant of a final withdrawal under sub-clause (a), (c) and (f) of clause (B) for purchase of a house site or for construction of another house or for acquiring a ready-built flat at the place of his duty.

NOTE 2. Withdrawal under sub-clauses (a), (d), (e), or (f) of clause (B) shall be sanctioned only after a subscriber has submitted a plan of the house to be contructed or of the additions or alterations to be made, duly approved by the local municipal body of the area where the site or house is situated and only in cases where the plan is actually got to be approved.

NOTE 3. The amount of withdrawal sanctioned under sub-clase (b) of clause (B) shall not exceed 3/4th of the balance on date of application together with the amount of previous withdrawal under sub-clase (a), reduced by the amount of previous withdrawal. The formula to be followed is 3/4th of (the balance as on date plus amount of previous withdrawal (s) for the house in question) minus the amount of the previous withdrawal (s).

NOTE 4. Withdrawal under sub-clause (a) or (d) of clause (B) shall also be allowed where the house site or house is in the name of wife or husband provided she or he is the first nominee to receive Provident Fund money in the nomination made by the subscriber.

NOTE 5. Only one withdrawal shall be allowed for the same purpose under this regulation. But marriage or education of different children or illness on different occasions or a further addition or alteration to a house or flat covered by a fresh plan duly approved by the local municipal body of the area where the house or flat is situated shall not be treated as the same purpose. Second or subsequent withdrawal under sub-clause (a) or (f) of clause (B) for completion of the same house shall be allowed up to the limit laid down under NOTE 3.

NOTE 6. A withdrawal under this regulation shall not be sanctioned if an advance under regulation 12 is being sanctioned for the same purpose and at the same time.

(2) Whenever a subscriber is in a position to satisfy the competent authority about the amount standing to his credit in the General Provident Fund Account with reference to the latest available statement of General Provident Fund Account together with the evidence of subsequent contribution, the competent authority may itself sanction withdrawal within the prescribed limits, as in the case of a refundable advance. In doing so, the competent authority shall take into account any withdrawal or refundable advance already sanctioned by it in favour of the subscriber. Where, however, the subcriber is not in a position to satisfy the competent authority about the amount standing to his credit or where there is any doubt about the admissibility of the withdrawal applied for, a reference may be made to the Account Officer by the competent authority for ascertaining the amount standing to the credit of the subscriber with a view to enable the competent authority to determine the admissibility of the amount of withdrawal. The sanction for the withdrawal should prominently indicate the General Provident Fund Account Number and the Accounts Officer maintaining the accounts and a copy of the sanction for withdrawal should invariably be endorsed to that Accounts Officer. The sanctioning authority shall be responsible to ensure that an acknowledgement is obtained from the Accounts Officer that the sanction for withdrawal has been noted in the ledger account of the subscriber. In case the Accounts Officer reports that the withdrawal as sanctioned is in excess of the amount to the credit of the subscriber or otherwise inadmissible, the sum withdrawn by the subscriber shall forthwith be repaid in one lump sum by the subscriber to the Fund and in default of such repayment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in a lump sum or in such number of monthly instalments as may be determined by the Chairman.

(3) After sanctioning the withdrawal the amount shall be drawn on an authorisation from the Accounts Officer in cases where the application for final payment had fowarded to the Accounts Officer under clause (ii) of sub regulation (3) of regulation 20.

16. Conditions for withdrawal (1) Any sum withdrawn by a subscriber at any one time for one or more of the purposes specified in regulation 15 from the amount standing to his credit in the Fund shall not ordinarily exceed one-half of such amount or six months' pay whichever is less. The sanctioning authority may, however, sanction the withdrawal of an amount in excess of this limit up to 3/4th of the balance at his credit in the Fund having due regard to (i) the object for which the withdrawal is being made, (ii) the status of the subscriber, and (iii) the amount to his credit in the Fund.

Provided that in no case the maximum amount of withdrawal for purpose specified in clause (B) of sub-regulation (1) of regulation 15 shall exceed the maximum limit prescribed from time to time under Rules 2 (a) and 3 (b) of the Scheme of the Ministry of Works and Housing or of the Board for the grant of advances for house-building purposes :

Provided further that in the case of a subscriber who has availed himself of an advance under the Scheme of the Board or the Ministry of Works and Housing for the grant of advances for house-building purposes, or has been allowed any assistance in this regard from any other Board's source, the sum withdrawn under this sub-rule together with the amount of advance taken under the aforesaid Scheme or the assistance taken from any other Board's source shall not exceed the maximum limit prescribed from time to time under Rules 2 (a) and 3 (b) of the aforesaid Scheme.

(2) A subscriber who has been permitted to withdraw money from the Fund under regulation 15 shall satisfy the sanctioning authority within a reasonable period as may be specified by that authority that the money has been utilised for the purpose for which it was withdrawan, and if he fails to do so, the whole of the sum so withdrawn or so much thereof as has not applied for the purpose for which it was withdrawn shall forthwith be repaid in one lump sum by the subscriber to the Fund and in default of such payment, it shall be ordered by the sanctioning authority to be recovered from his emoluments either in a lump sum or in such number of mothly instalments, as may be determined by the Chairman.

Provided that, before repayment of a withdarwal is enforced under this sub-rule, the subscriber shall be given an apportunity to explain in writing and within fifteen days of the receipt of the communication why the payment shall not be enforced; and if the sanctioning authority is not satisfied with the explanation or no explanation is submitted by the subscriber within the said period of fifteen days, the sanctioning authority shall enforce the repayment in the manner prescribed in this sub-regulation.

(3) (a) A subscriber who has been permitted under sub-clause (a), sub-clause (b) or sub-clause (c) of clause (B) of sub-regulation (1) of regulation 15 to withdraw money from the amount standing to his credit in the Fund, shall not part with the possession of the house built or acquired or house-site purchased with the money so withdrawn, whether by way of sale, mortgage (other than mortgage to the Board), gift, exchange or otherwise, without the previous permission of the Chairman.

Provided that such permission shall not be necessary for :

(i) the house or house-site being leased for any term not exceeding three years, or

(ii) its being mortaged in favour of a Housing Board, Nationalised Banks, the Life Insurance Corporation or any other Corporation owned or controlled by the Central Government which advances loans for the construction of a new house or for making additions or alterations to an existing house.

(b) The subscriber shall submit a declaration not later than the 31st day of December of every year as to whether the house or the house-site, as the case may be, continues to be in his possession or has been mortgaged, otherwise transferred or let out as aforesaid and shall, if so required, produce before the sanctioning authority on or before the date specified by that authority in that behalf, the original sale mortgage or lease deed and also the documents on which his title to the property is based.

(c) If, at any time before his retirement, the subscriber parts with the possession of the house or house-site without obtaining the previous permission of the Chairman, he shall forthwith repay the sum so withdrawn by him in a lump sum to the Fund, and in default of such repayment, the sanctioning authority shall, after giving the subscriber a resonable opportunity of making a representation in the matter, cause the said sum to be recovered from the emoluments of the subscriber either in a lump sum or in such number of monthly instalments, as may be determined, by it.

16-A. *Conversion of an advance into a withdrawal.*—A subscriber who has already drawn or may draw in future an advance under regulation 12 for any of the purposes specified in Sub-regulation (1) of regulation 15 may convert at his discretion by written request addressed to the Accounts Officer, through the sanctioning authority, the balance outstanding against it into a final withdrawal on his satisfying the conditions laid down in regulation 15 and 16.

FINAL WITHDRAWAL OF ACCUMULATIONS IN THE FUND

17. *Final withdrawal of accumulations in the Fund.*—When a subscriber quits the service, the amount standing to his credit in the Fund shall become payable to him :

Provided, that a subscriber, who has been dismissed from the service and is subsequently reinstated in the service shall, if required to do so by the Board, repay any amount paid to him from the Fund in pursuance of this regulation with interest thereon at the rate provided in regulation 11 in the manner provided in the proviso to regulation 18. The amount so repaid shall be credited to his account in the Fund.

Explanation I.—A subscriber, who is granted refused leave shall be deemed to have quit the service from the date of compulsory retirement or on the expiry of an extension of service.

Explanation II.—A subscriber other than one who is appointed on contract or one who has retired from service and is subsequently re-employed with or without a break in service shall not be deemed to quit the service.

NOTE.—Transfers shall include cases of resignation from service in order to take up appointment in another Department of the Central Government or under the State Government without any break and with proper permission of the Board. In cases there has been a break in service it shall be limited to the joining time allowed on transfer to a different station

The same shall hold good in cases of retrenchments followed by immediate employment.

Explanation III.—When a subscriber, other than one who is appointed on contract or one who has retired from service and is subsequently re-employed, is transferred, without any break, to the service under Central/State Government or a body corporate owned or controlled by Central/State Government, or an autonomous organisation, registered under the Societies Registration Act, 1860, the amount of subscription together with interest thereon, shall not be paid to him but shall be transferred with the consent of that Government/body, to his new Provident Fund account under that Government/body.

Transfers shall include cases of resignation from service in order to take up appointment under Central/State Government or a body corporate owned or controlled by Central/State Government or an autonomous organisation, registered under the Societies Registration Act, 1860, without any break and with proper permission of the Board The time taken to joint the new post shall not be treated as a break in service if it does not exceed the joining time admissible to a Board servant on transfer from one post to another :

Provided that the amount of subscription together with interest thereon, of a subscriber opting for service under a Public Enterprise may, if he so desires, be transferred to his new Provident Fund Account under the Enterprise if the concerned Enterprise also agrees to such a transfer. If, however, the subscriber does not desire the transfer or the concerned Enterprise does not operate a Provident Fund, the amount aforesaid shall be refunded to the subscriber.

18. Retirement of Subscriber—When a subscriber—

(a) has proceeded on leave preparatory to retirement,

(b) while on leave, has been permitted to retire or been declared by a competent medical authority to be unfit for further service,

the amount standing to his credit in the Fund shall, upon application made by him in that behalf to the Accounts Officer, become payable to the subscriber :

Provided that the subscriber, if he returns to duty, shall, except where the Board decides otherwise, repay to the Fund for credit to his account, the amount paid to him from the Fund in pursuance of this regulation with interest thereon at the rate provided in regulation 11 in cash or securties or partly in cash and partly in securties, by instalments or otherwise, by recovery from his emoluments or otherwise, as may be directed by the authority competent to sanction an advance for the grant of which, special reasons are required under sub-regulation (2) of regulation 12.

19. Procedure on death of a subscriber—On the death of a subscriber before the amount standing to his credit has become payable, or where the amount has become payable, before payment has been made :

(1) when the subscriber leaves a family—

(a) if a nomination made by the subscriber in accordance with the provisions of regulation 5 or of the corresponding regulation heretofore in force in favour of a member or members of his family subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination;

(b) if no such nomination in favour of a member or members of the family, of the subscriber subsists, or if such nomination relates only to a part of the amount standing to his credit in the Fund, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, as the case may be, shall, notwithstanding any nomination purporting to be in favour of any person or persons other than a member or members of his family, become payable to the members of his family in equal shares ;

Provided that no share shall be payable to—

(1) sons who have attained majority;

(2) sons of a deceased son who have attained majority;

(3) married daughters whose husbands are alive;

(4) married daughters of a deceased son whose husbands are alive;

if there is any member of the family other than those specified in clauses (1), (2), (3) and (4) :

Provided further that the widow or widows and the child or children of a deceased son shall receive between them in equal parts only the share which that son would have received if he had survived the subscriber and had been exempted from the provisions of clause (1) of the first proviso—

(ii) when the subscriber leaves no family, if a nomination made by him in accordance with the provisions of regulation 5 or the corresponding regulation heretofore in force in favour of any person or persons subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.

19-A. *Deposit-linked Insurance Scheme* :—On the death of a subscriber, on or before 30th September, 1991 an dto whom regulation 19-B does not apply, the person entitled to receive the amount standing to the credit of the subscriber shall be paid by the Accounts Officer an additional amount equal to the average balance in the account during the 3 years immediately preceding the death of such subscriber subject to the condition that—

(a) the balance at the credit of such subscriber shall not at any time during the three years preceding the month of death have fallen below the limits of—

(i) Rs. 4,000 in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 1300 or more;

(ii) Rs. 2500/- in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which Rs. 900/- or more but less than Rs. 1300/-.

(iii) Rs. 1500/- in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 291/- or more but less than Rs. 900/-.

(iv) Rs. 1000/- in the case of subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is less than Rs. 291/-.

(b) The additional amount payable under this regulation shall not exceed the ceiling of Rs. 10,000/-.

(c) the subscriber has put in at least five years service at the time of his death.

19-B. *Deposit-linked Insurance Revised Scheme*—On the death of the subscriber, the person entitled to receive the amount standing to the credit of the subscriber shall be paid by the Accounts Officer an additional amount equal to the average balance in the account during the three years immediately preceding the death of such subscriber, subject to the condition that :—

(a) the balance at the credit of such subscriber shall not at any time during the 3 years preceding the month of death have fallen below the limits of—

(i) Rs. 12,000/- in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 4000/- or more.

(ii) Rs. 7500/- in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 2900/- or more but less than Rs. 4000/-.

(iii) Rs. 4500/- in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is Rs. 1151/- or more but less than Rs. 2900/-.

(iv) Rs. 3000/- in the case of a subscriber who has held, for the greater part of the aforesaid period of three years, a post the maximum of the pay scale of which is less than Rs. 1151/-.

(b) The additional amount payable under this regulation shall not exceed Rs. 30,000/-.

(c) The subscriber has put in at least 5 years service at the time of his/her death.

Note :—1. The average balance shall be worked out on the basis of the balance at the credit of the subscriber at the end of each of the 36 months, preceding the month in which the death occurs. For this purpose, as also for checking the minimum balance prescribed above—

(a) The balance at the end of March, shall include the annual interest credited in terms of regulation 11; and,

(b) if the last of the aforesaid 36 months is not March, the balance at the end of said last month shall include interest in respect of the period from the beginning of the financial year in which death occurs to the end of the said last month.

Note :—2. Payment under this scheme should be in whole rupee if an amount due includes a fraction of a rupee it should be rounded to the nearest rupee (50 paise counting as the next higher rupee).

Note :—3. Any sum payable under this scheme is in the nature of insurance money and therefore, the statutory protection given by Section 3 of the Provident Funds Act, 1925 (Act 19 of 1925) does not apply to sums payable under this scheme.

Note :—4. The scheme also applies to those subscribers to the funds who are transferred to an autonomous organisation consequent upon conversion of a Government Department into such a body and who, on such transfer, opt in terms of option given to them to subscribe to the Fund in accordance with these regulations.

Note :—5 (a) In case of a Board servant who has been admitted to the benefits of the Funds under regulation 21 but died before completion of three years of service or as the case may be, five years of service from the date of his admission to the Fund, the period of his service under the previous employer in respect whereof the amount of his subscription and the employer's contribution, if any, together with interest have been received shall count for purpose of clause (a) and clause (c).

(b) In case of persons appointed on tenure basis and in the case of re-employed pensioners, service rendered from the date of such appointment or re-employment, as the case may be, only will count for purposes of this regulation.

(c) The scheme does not apply to persons appointed on contract basis.

Note :—6. The Budget Estimates of expenditure in respect of this scheme will be prepared by the Accounts Officer responsible for maintenance of the account of the Fund having regard to the trend of expenditure, in the same manner as estimates are prepared for other retirement benefits.

PAYMENT

20. *Manner of payment of amount in the Fund.*—(1) When the amount standing to the credit of a subscriber in the Fund becomes payable, it shall be the duty of the Accounts Officer to make payment on receipt of a written application in this behalf as provided in sub-regulation (3).

(2) If the person to whom, under these regulation any amount is to be paid, is a lunatic for whose estate a Manager has been appointed in this behalf under the Indian Lunacy Act, 1912, the payment shall be made to such Manager and not to the lunatic;

Provided that where no Manager has been appointed and the person to whom the sum is payable is certified by a Magistrate to be a lunatic, the payment shall under the orders of the Collector be made in terms of sub-section (1) of Section 95 of the Indian Lunacy Act, 1912 to the person having charge of such lunatic and Accounts Officer shall pay only the amount which he thinks fit to the person having charge of the lunatic and the surplus, if any, or such part thereof, as he thinks fit, shall be paid for the maintenance of such members of the lunatic's family as are dependent on him for maintenance.

(3) Payments of the amount withdrawn shall be made in India only. The persons to whom the amounts are payable shall make their own arrangements to receive payment

in India. The following procedure shall be adopted for claiming payment by a subscriber, namely :—

(i) To enable a subscriber to submit an application for withdrawal of the amount in the Fund, the Head of Office shall send to every subscriber necessary forms either one year in advance of the date on which the subscriber attains the age of superannuation, or before the date of his anticipated retirement, if earlier, with instructions that they should be returned to him duly completed within a period of one month from the date of receipt of the forms by the subscriber. The subscriber shall submit the application to the Accounts Officer through the Head of Office for payment of the amount in the Fund. The application shall be made—

(a) for the amount standing to his credit in the Fund as indicated in the Accounts Statement for the year ending one year prior to the date of his superannuation, or his anticipated date of retirement, or

(b) for the amount indicated in his ledger account in case the Accounts Statement has not been received by the subscriber.

(ii) The Head of Office shall forward the application to the Accounts Officer indicating the recoveries effected against the advances which are still current and the number of instalments yet to be rocevered and also indicate the withdrawals, if any, taken by the subscriber after the period covered by the last statement of the subscriber's account sent by the Accounts Officer.

(iii) The Accounts Officer shall, after verification with the ledger account, issue an authority for the amount indicated in the application at least a month before the date of superannuation but payable on the date of superannuation.

(iv) The authority mentioned in clause (iii) will constitute the first instalment of payment. A second authority for payment will be issued as soon as possible after superannuaion. This will relate to the contribution made by the subscriber subsequent to the amount mentioned in the aplication submitted under clause (i) plus the refund of instalments against advances which were current at the time of the first application.

(v) After forwarding the appliction for the final payment to the Accounts Officer, advance/withdrawal may be sanctioned but the amount of advance/withdrawal shall be drawn on an authorisation from the Accounts Officer concerned who shall arrange this as soon as the formal sanction of sanctioning authority is received by him.

TRANSFER OF ACCUMULATION IN THE FUND

21. Procedure on transfer to Board service of a person from the service under Central/State Government or a body corporate owned or controlled by Central/State Government or an autonomous organisation, registered under the Societies Registration Act, 1860:—If a Board employee admitted to the benefit of the Fund was previously a subscriber to any Provident Fund of Central/State Government or a body corporate owned or controlled by Central/State Government, or an automonous organisation, registered under the Societies Registration Act, 1860, the amount of his subscriptions and the employer's contribution, if any, together with the interest thereon shall be transferred to his credit in the Fund with the consent of that Government/body.

22. Transfer of amount to the Contributory Provident (NCRPB) Fund :

If a subscriber to the Fund is subsequently admitted to the benefits of the Contributory Provident (NCRPB) Fund the amount of his subscriptions, together with interest thereon, shall be transferred to the credit of his account in the Contributory Provident (NCRPB) Fund.

RELEXATION OF REGULATIONS

23. *Relaxation of the provisions of the regulation in individual cases.*—When the Chairman is satisfied that the operation of any of these rules causes or is likely to cause undue hardship to a subscriber, he may, notwithstanding anything contained in these regulations, deal with the case of such subscriber in such manner as may appear to him to be just and equitable.

PROCEDURE REGULATIONS

24. *Number of account to be quoted at the time of the payment of subscription.*—When paying a subscription in India, either by deduction from emoluments or in cash, a subscriber shall quote the number of his account in the Fund, which shall be communicated to him by the Accounts Officer. Any change in the number shall similarly be communicated to the subscriber by the Accounts Officer.

25. *Annual statement of accounts to be supplied to subscriber.*—(1) As soon as possible after the close of each year, the Accounts Officer shall send to each subscriber a statement of his account in the Fund showing the opening balance as on the 1st April of the year, the total amount credited or debited during the year, the total amount of interest credited as on the 31st March of the year and the closing balance on that date. The Accounts Officer shall attach to the statement of account an enquiry whether the subscriber—

(a) desires to make any alteration in any nomination made under regulation 5 or under the corresponding regulation heretofore in force;

(b) has acquired a family in cases where the subscriber has made no nomination in favour of a member of his family under the proviso to sub-regulation (1) of regulation 5.

(2) Subscribers should satisfy themselves as to the correctness of the annual statement and errors should be brought to the notice of the Accounts Officer within three months from the date of the receipt of the statement.

(3) The Accounts Officer shall, if required by a subscriber once, but not more than once, in a year inform the subscriber of the total amount standing to his credit in the Fund at the end of the last month for which his account has been written up.

26. *Interpretation.*—If any question arises relating to the interpretation of these regulations, it shall be referred to the Board whose decision thereon shall be final.

27. *Administration of Funds.*—The Fund shall be administered by Member Secretary.

28. *Investment of Funds.*—The Fund shall be invested on the pattern and in the securities approved by the Government of India from time to time.

29. All decisions and orders issued by the Central Government in amplifications/clarifications of their General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 in relation to its own employees would apply mutatis-mutandis to the employees of this Board. Similarly amendments/modifications/additions to the General Provident Fund (Central Services) Rules, 1960 made from time to time by the Central Government for its own employees would apply mutatis-mutandis to the employees of the Board.

30. Any amendment/change to these rules shall be carried out in consultation with Ministry of Finance/Department of Pension and Pensioner's Welfare.

SCHEDULE [(regulation 5 (3)]

FORM OF NOMINATION

I,.....hereby nominate the person(s) mentioned below who is/are member(s)/ non-member(s) of my family as defined in regulation 2 of the National Capital Region Planning Board General Provident Fund Regulations, 1990 to receive the amount that may stand to my credit in the Fund as indicated below, in the event of my death before that amount has become payable or having become payable has not been paid.

Name and full address of the nominee(s)	Relationship with the Subscriber.	Age of the Nominee.	Share payable to each nominee.	Contingencies on the happenning of which the nomination will become invalid.	Name, address and relationship of the person(s) if any to whom the right of nominee shall pass in the event of his/her predeceasing the subscriber.	If the nominee is not a member of the family as provided in regulation 2 indicate the reasons.

Dated this.....day of 19.....at.....

Signature of the subscriber.....

Name in block letters .....

Designation.....

Two witnesses to signature

Name and address

1. Signature

2.

Space for use by the Head of Office/ Finance & Accounts Officer

Nomination by Shri/Smt./Kumari Designation

Date of receipt of nomination

Signature of Head of Office/Finance & Accounts Officer

Designation

Date :

Instructions for subscriber

(a) Your name may be filled in

(b) Name of the fund may be completed suitably.

(c) Definition of term "family" as given in the National Capital Region Planning Board General Provident Fund Regulations 1990 is reproduced below :

family means :

(i) In the case of a male subscriber, the wife or wives, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children and where no parents of the subscriber is alive, a parental grand-parents.

Provided that—

if a subscriber proves that his wife has been judicially separated from him or has ceased under the customary law of the community to which she belongs to be entitled to maintenance she shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate unless the subscriber subsequently intimates in writing to the Accounts Officer that who shall continue to be so regarded.

(ii) in the case of a female subscriber, the husband, parents, children, minor brothers, unmarried sisters, deceased son's widow and children, and where no parents of the subscriber is alive, ea parental grand-parents

provided that--

if a subscriber by notice in writing to the Accounts Officer expresses her desire to exclude her husband from her family, the husband shall henceforth be deemed to be no longer a member of the subscriber's family in matters to which these rules relate unless the subscriber subsequently cancels such notice in writing.

NOTE : Child means legitimate child and includes an adopted one, where adoption is recognised by the personal law governing the subscriber.

(d) Col. 4. If only one person is nominated the words "in full" should be written against the nominee. If more than one person is nominated, the share payable to each nominee over the whole amount of the Provident Fund shall be specified.

(e) Col. 5 Death of nominee(s) should not be mentioned as contingency in this column.

(f) Col. 6 Do not mention your name.

(g) Draw line across the blank space below last entry to prevent insertion of any name after you have signed.

K. K. BHATNAGAR
Member Secretary

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1990